लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७—९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०—२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२—०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४—२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५—२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९—३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४—५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६—५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०—८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२—९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८—२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१—२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

अंक ५८——गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ — २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ — २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका — २३१९–२०

अंक ५९——शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ — २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ — २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ — २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका — २३५५–५६

अंक ६०——सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ — २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका — २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, १ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा सचिव डा० एम० एम० दास उपमंत्री बन गये हैं। मैं औपचारिक ढंग से सभा को उनका परिचय कराना चाहता हूँ ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बर्मा में भारतीय

*१८३४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महायुद्ध में अनेक भारतीयों को बर्मा में बहुत हानि उठानी पड़ी थी;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे भारतीयों की कुल संख्या कितनी है और उन्होंने कुल कितनी अनुमानित हानि उठाई थी; और

(ग) उन भारतीयों की हानि की क्षत्ति पूर्ति कराने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं और उन में कहां तक सफलता मिली है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खाँ) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे भारतीयों की संख्या का पता नहीं है और न बर्मा सरकार ने कोई आंकड़े ही छापे हैं। १९४१ की कीमतों के आधार पर आंकी गई १५ करोड़ पौंड स्टर्लिंग की कुल अनुमानित हानि में से जो हानि बर्मा के मूल भारतीय लोगों ने उठाई थी, उसका अनुमान लगभग ७ करोड़ ३० लाख पौंड स्टर्लिंग है।

(ग) पिछले सालों में भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम सरकार से लिखा-पढ़ी की थी और बाद में बर्मा सरकार से भी की थी। जहां तक भारत सरकार को पता है, बर्मा सरकार ने अभी तक उन लोगों को मुआविज़ा अदा करने के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिन्होंने बर्मा में पिछली लड़ाई के दौरान में नुक्सान उठाया था ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय संसदीय सचिव के उत्तर से यह अर्थ लगाया जाये कि इस सम्बन्ध में कोई आशा ही नहीं की जा सकती, या यह कि लिखा पढ़ी करने से कुछ मिलने की उम्मीद की जा सकती है ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री सादत अली खाँ : यह बताना तो मुश्किल है, मगर जहां तक मैं समझता हूँ बर्मा सरकार से मुआवज़ा मिलने की कोई खास उम्मीद तो नहीं की जा सकती ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के नोटिस में यह बात आई है कि बहुत से भारतीयों ने बर्मा में अपने सारे जीवन की कमाई लगा दी थी और वहां से वह लोग बिल्कुल बरबाद होकर यहाँ आये हैं, और क्या इस वजह से उनके पुनर्वास अर्थात् रिहैबिलिटेशन के बारे में कोई कदम उठाया गया है या उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री सादत अली खां : यह बात तो दुरुस्त है कि उनकी हालत अफसोसनाक है, मगर जहाँ तक रिहैबिलिटेशन का सवाल है मैं इस वक्त ठीक तौर से कुछ नहीं बतला सकता । अलबत्ता दरियाफ्त करके बतला सकता हूं ।

†**डा० लंका सुन्दरम :** क्या सभा सचिव को यह तथ्य विदित है कि जब कभी इन क्षतियों की पूर्ति के लिये अभ्यावेदन दिये गये हैं—और मैं समझता हूँ कि ऐसे हज़ारों अभ्यावेदन दिये गये हैं—तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने एकरूप उत्तर यही दिया है कि इन क्षतियों के दावे बर्मा सरकार को भेजने चाहियें और भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती ?

†**श्री सादत अली खाँ :** यह सत्य है ।

†**डा० लंका सुन्दरम :** यदि यह सत्य है तो केन्द्रीय मंत्रालय को अब तक जितने दावे भेजे गये हैं उन के सम्बन्ध में भारत सरकार का कब तक सरकारों के परस्पर स्तर पर निबटारा करने के प्रश्न को हाथ में लेने का विचार है ?

†**श्री सादत अली खाँ :** हम ने इन लोगों को परामर्श दिया था कि वे सीधे बर्मा सरकार से पत्र व्यवहार करें और ऐसा प्रतीत होता है कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या बर्मा के प्रधान मंत्री स्वर्गवासी श्री आंग सान ने बर्मा के भारतीय निवासियों को वचन दिया था कि उनकी हानि की जांच की जाएगी और जब कभी बर्मा इस योग्य होगा उन्हें क्षति पूर्ति दी जाएगी; और यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने उस वचन से लाभ उठाया है ?

†**श्री सादत अली खां :** श्री आंग सान के बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं परन्तु फरवरी १९४९ में उन दिनों बर्मा की ब्रिटिश सरकार के एक युद्ध क्षति आयोग बनाया था जो युद्ध क्षति के दावे पंजीबद्ध करता था यद्यपि कोई आश्वासन नहीं था.....क्योंकि उन्होंने युद्ध क्षति की पूर्ति का वैध दायित्व स्वीकार नहीं किया था । और तत्पश्चात युद्ध क्षति दावों के इस निकाय के अतिरिक्त बर्मा युद्धहानिमय बीमा नियम १९४१ के अधीन दावे किये गये थे । युद्ध हानिमय बोर्ड ने बहुत से दावों की जाँच की और जिन दावों को मान्य समझा गया उनके लिए काफी राशि दी गई । फरवरी १९४७ में बोर्ड समाप्त कर दिया गया क्योंकि बर्मा सरकार का विचार था कि वे उन दावों के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

†**डा० लंका सुन्दरम :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हज़ारों की संख्या में भारतीय दावेदार वैदेशिक कार्य मंत्रालय, रंगून में भारतीय दूतावास, और बर्मा सरकार के दरवाज़े बिना लाभ खटखटा रहे हैं, क्या भारत सरकार, सरकारों के परस्पर समझौते के विख्यात सिद्धांत को अपनाने का विचार कर रही है ताकि शीघ्र ही सब दावों का कोई सम्मानपूर्ण निबटारा हो जाये ?

†**श्री सादत अली खाँ :** मुझे तो ऐसी किसी प्रस्थापना का पता नहीं ।

†**श्री कामत :** क्या यह सच नहीं कि बर्मा में भारतीय सम्पत्ति की अधिकतर हानि १९४२ में अंग्रेजी सेना के लौटते समय स्वेच्छा से भूसम्पत्ति जलाने की नीति और पुनः १९४५ में उनकी वापसी

†मूल अंग्रेजी में

पर उनकी प्रतिशोध और बदले की भावना से की गई तबाही के कारण हुई और यदि हाँ तो क्या ब्रिटिश सरकार से कहा गया है कि वह क्षतिपूर्ति दे ।

†**श्री सादत अली खाँ** : मेरे माननीय मित्र ने जो अभी कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं । कुछ भी कारण हो, हानि युद्ध के कारण और युद्ध के फलस्वरूप हुई । और जैसा मैंने अभी बताया इंगलैण्ड की सरकार ने कहा था कि वे बर्मा सरकार की युद्ध क्षतियों की पूर्ति का वैध उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या भारतीयों की हानि जापानियों के आक्रमण के कारण हुई और यदि हां तो क्या बर्मा सरकार को जापान से जो युद्ध क्षतिपूर्ति मिलती है उसमें हमारे राष्ट्रजनों की सम्पत्ति की हुई हानि की क्षतिपूर्ति भी सम्मिलित है ?

†**श्री सादत अली खाँ** : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है बर्मा ने जापान के साथ युद्ध क्षतिपूर्ति का करार किया है जिस के अधीन जापान ने गत युद्ध में हुई हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में दस वर्ष में बर्मा को २५ करोड़ डालर देने की सहमति दी है । यह भुगतान सामान और सेवा के रूप में होगा ।

†**डा० लंका सन्दरम** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जो हज़ारों लोग बर्मा से वापस आये हैं और जो विशेषतया आंध्र देश में निराश्रित रह रहे हैं--सभा सचिव को संभवतः न ज्ञात हो, मैं ने स्वयं वैदेशिक कार्य मंत्रालय को दर्जनों मामले भेजे हैं --क्या सरकार का इन लोगों को ज़िला स्तर पर सहायता दे कर पुनः बसाने का विचार है ?

†**श्री सादत अली खाँ** : मैं नहीं कह सकता कि वस्तुतः इस विषय में सरकार का क्या विचार है । मैं इस अवसर पर निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ।

पूर्वी जर्मन व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय

†***१८३६. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत में पूर्वी जर्मन व्यापार प्रतिनिधि का दूसरा कार्यालय खोला जा रहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : पूर्वी जर्मन व्यापार प्रतिनिधि ने नई दिल्ली में अपना मुख्यालय स्थापित किया है और बम्बई और कलकत्ता में शाखाएं स्थापित की हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : पूर्वी जर्मन ने दूसरा कार्यालय खोलने के क्या कारण बताये हैं ?

†**श्री करमरकर** : सद्भावना के कारण को हम ने स्वीकार कर लिया है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों का विकास हो ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या पूर्वी जर्मन के साथ कोई व्यापार करार हुआ है ?

†**श्री करमरकर** : हम ने पूर्वी जर्मन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य नहीं माना है परन्तु एक प्रकार का अनौपचारिक व्यापार करार है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या हमारा देश पूर्वी जर्मन में एक व्यापार प्रतिनिधि रखना चाहता है ?

†**श्री करमरकर** : मैं पूर्व सूचना पर इस का उत्तर दे सकता हूँ ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस सद्भावना के व्यवहार के अतिरिक्त क्या इस वर्ष के प्रथम भाग में पूर्वी जर्मन के साथ हमारे व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है और यदि हाँ तो कितने प्रतिशत ?

†**श्री करमरकर** : १९५४-५५ के २३ लाख रुपये की तुलना में अप्रैल से जनवरी १९५५-५६ में हमारा आयात ३० लाख रुपये तक पहुँच गया है । और निर्यात के सम्बन्ध में अभी अधिक विकास नहीं हुआ परन्तु हमें आशा है कि इस में भी विकास होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आर० पी० गर्ग :** क्या पूर्वी जर्मन व्यापार प्रतिनिधि ने पूंजीगत वस्तुएं भारत को देने का स्पष्ट वचन दिया है ।

†**श्री करमरकर :** उनके द्वारा वस्तुएं दिये जाने के सम्बन्ध में मुझे पता नहीं परन्तु यदि हम चाहें तो खरीद सकते हैं और यदि उनके पास हों तो वे बेच सकते हैं ।

†**श्री वेलायुधन :** पूर्वी जर्मन से बहुत से प्रतिनिधि मंडल और व्यापार प्रतिनिधि भारत आये थे । क्या सरकार समझती है कि पूर्वी जर्मन में उनका व्यापार प्रतिनिधि नहीं होना चाहिये ।

†**श्री करमरकर :** मैं समझता हूँ कि जब हम इस विषय पर अंतिम रूप से विचार करेंगे तो इस सुझाव पर भी विचार करेंगे ?

जापान द्वारा अयस्क का आयात

†*१८३९. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ३३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार और भारत सरकार के बीच हुए करार के अधीन भारत से भारी मात्रा में लोह अयस्क का अयात करने के लिये जापान को आज्ञा दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क़रार की शर्तें क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) तथा (ख). इस प्रकार का कोई करार नहीं हुआ है ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या भारत और जापान के बीच कोई करार है जिससे कि गोआ प्रतिबन्धों के कारण जापान को जो हानि हुई है उसके हेतु भारत को जापान के लिये लोह अयस्क का संभरण करना है ।

†**श्री करमरकर :** नहीं, इस प्रकार की कोई बात मुझे मालूम नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** जापान से जो बातचीत चल रही थी वे अब किस स्थिति में हैं ?

†**श्री करमरकर :** किस मामले और किस प्रकार की बातचीत । क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय अनिवार्य संभरण सम्बन्धी बातचीत से हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** भारत से जापान के लिये लोह अयस्क का निर्यात ।

†**श्री करमरकर :** इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। हम से लोह अयस्क प्राप्त करने में उन्हें खुशी है और हम भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात् अधिक से अधिक उन्हें भेजने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं ।

†**श्री एम० एम० द्विवेदी :** क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि अखबारों में जो यह रिपोर्ट निकली थी कि करीब ७ लाख टन आयरन और यहाँ से लदकर जापान जायगा और उसके सम्बन्ध में एक समझौता हो रहा है, उसमें कहां तक सच्चाई है ?

†**श्री करमरकर :** अगर माननीय सदस्य मुझे उस रिपोर्ट का हवाला देंगे तो मैं उसके बारे में कुछ बतला सकूंगा ।

†**श्री ए० एम० थामस :** आजकल जापान को निर्यात किये जाने वाले लोह अयस्क का औसतन वार्षिक मूल्य क्या है ? क्या इस आयात के बदले हमें उनसे कुछ वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी ?

†**श्री करमरकर :** १९५६ के दौरान में जनवरी से फरवरी तक जापान को कुल २,२२,००० टन लोह अयस्क का आयात किया गया है जब कि सम्पूर्ण १९५५ के दौरान में कुल ९,१२,००० टन का आयात किया गया था । बदले में कोई भी वस्तु भेजने का वायदा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वी० पी० नायर :** भारत के लोह अयस्क में लोहे की मात्रा अलग-अलग होती है। क्य निर्यात किये जाने वाले अयस्क में लोहे की मात्रा के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया जाता है अर्थात् क्या यह देखने के लिये कोई प्रबन्ध है कि अमुक अयस्क का जिसमें लोहे की मात्रा विशेष मूल्य से अधिक है निर्यात नहीं किया जायेगा।

†**श्री करमरकर :** नहीं। लोह अयस्क का निर्यात ग़ैर सरकारी लोग करते हैं। उच्च श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी में से किसी भी प्रकार के लोह अयस्क पर कोई प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है इस के बारे में हमने नहीं सोचा है।

†**श्री वी० पी० नायर :** क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि लोह अयस्क जिसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक अर्थात् लगभग ७० प्रतिशत होती है इतनी अधिक मात्रा में नहीं मिलता कि हम बराबर इसका निर्यात करते रहें ?

†**श्री करमरकर :** माननीय मित्र ने लोहे की मात्रा के जिस प्रतिशत का उल्लेख किया है उसके बारे में मैं यह नहीं कह सकता कि वह ठीक है। किन्तु इतना अवश्य है कि हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् ही उसका निर्यात करने की आज्ञा दी जाती है।

†**श्री सांरंगधर दास :** क्या जापान के कुछ व्यवसाइयों उड़ीसा सरकार के बीच नई खानों के लोह अयस्क का निर्यात करने के लिये, जो कि अभी पाई गई है, बातचीत चल रही हैं ?

†**श्री करमरकर :** शायद यह बात ठीक है। मुझे ठीक मालूम नहीं। इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या यह सच नहीं है कि अच्छी किस्म की लोहे की टूट फूट का भारत से जापान को निर्यात किया जा रहा है और विशेषत: उस समय जब कि इसकी कमी के कारण हमें इसकी बहुत आवश्यकता है।

†**श्री करमरकर :** हमारी सामान्यत : नीति यह रही है कि जो वस्तु हमारे काम की है हम उसे नहीं भेजते। जहाँ तक कि लोहे की टूटफूट की बात है, वास्तव में क्या हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। किन्तु कुछ दिन हुए तब तक केवल उसी लोहे की टूट फूट का निर्यात किया जाता रहा था जिसके बारे में यह तय कर दिया गया था कि हमारे स्थानीय लोहे और इस्पात के उपभोक्ताओं को इसकी आवश्यकता नहीं है।

†**श्री कासलीवाल :** क्या अभी कुछ वर्षों से भारत से जापान को किये जाने वाले लोहे की टूट फूट के निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई है ?

†**श्री करमरकर :** मैं तो ऐसा नहीं सोचता.....

†**श्री फीरोज गांधी :** यह ठीक है।

†**श्री करमरकर :** किन्तु इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। निर्यात सम्बन्धी मेरे आंकड़ों के बारे में श्री फीरोज़ गांधी ने जो कहा है उसे मैं स्वीकार नहीं करता किन्तु फिर भी उनके सुझाव को ठीक मानते हुए भी ठीक उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

पटुआ का निर्यात

†***१८४५. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को निर्यात किये गये पटुआ की क़िस्म के सम्बन्ध में कोई शिकायत आई है;

(ख) उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या सुविधायें और प्रोत्साहन दिया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या हमारे निर्यात का माल लन्दन होकर जाता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) विदेशों को निर्यात किये गये पटुआ की क़िस्म के बारे में सरकार को हाल में कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

(ख) पटुआ का उत्पादन बढ़ाने की अभी कोई स्पष्ट योजना नहीं है ।

(ग) ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : इस वर्ष कुल कितना निर्यात किया गया, क्या वह १६३६–४० के लक्ष्य तक पहुंच गया है ?

†**श्री करमरकर** : १६५५–५६ में (अप्रैल से फरवरी तक) इस क़िस्म क पटुआ के निर्यात का कुल परिमाण ३४४,००० हंडरवेट था, जबकि १६५४–५५ में वह ४३०,००० हंडरवेट था ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में, क्या पटुआ भिगोने के लिये पर्याप्त जल की व्यवस्था की गई है ?

†**श्री करमरकर** : पटुआ भिगोने के जल के सम्बन्ध में, मुझे पूर्व सूचना चाहिये । अधिक अच्छा यह होगा कि खाद्य और कृषि मंत्रालय से यह प्रश्न पूछा जाये ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या जूट उत्पादकों को जूट भिगोने के हौज़ों के सम्बन्ध में जो सुविधायें दी जाती हैं वे पटुआ उत्पादकों को भी दी जाती हैं ?

†**श्री करमरकर** : मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन इस सम्बन्ध में खाद्य और कृषि मंत्रालय से उचित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, क्योंकि पटुआ भिगोने के लिये जल की व्यवस्था करने और पटुआ के उत्पादन सम्बन्धी सभी कार्य वही मंत्रालय करता है ।

†**श्री वेलायुधन** : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में, क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच की है कि लन्दन ही निर्यात का नियंत्रण कर रहा है, जिसका परिणाम यह है कि भारतीय हितों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

†**श्री करमरकर** : साधारणतया प्रश्न पूछे जाने पर सूचना प्राप्त की जाती है । लेकिन अभी इस समय वह उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध होते ही, हम उसे लोक सभा पटल पर रख देंगे ।

†**श्री केशव अय्यंगर** : क्या यह सही ह कि ये निर्यात इसलिये लन्दन हो कर जाते हैं क्योंकि इंगलैण्ड निर्यात किय जाने वाले माल की किस्म की गारंटी देता है ।

†**श्री करमरकर** : यहां 'क्यों कि' का कोई सवाल ही नहीं उठता । क्योंकि ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिये हम उसे लोक सभा पटल पर नहीं रख सके हैं । उसके उपलब्ध होते ही, हम उसे लोक सभा पटल पर रख देंगे ।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या यह निर्यात किया जाने वाला पटुआ हमारी अपनी आवश्यकताओं से अतिरिक्त होता है ?

†**श्री करमरकर** : जी, हां ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : विदेशों में किस क़िस्म के पटुआ की अधिक मांग है—सन या दक्षिणी प्रकार के ?

†**श्री करमरकर** : मैं ने अभी जिसका उल्लेख किया है, उसका अधिकांश परिणाम सन-पटुआ का होता है । उसके और अधिक उप-वर्गीकरण के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल--जटा बोर्ड

†*१८४७. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि नारियल-जटा द्वारा नई दिल्ली में एक प्रदर्शन-कक्ष और विक्रय-डिपो खोलने के लिये कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या नारियल-जटा और नारियल जटा की वस्तुओं के प्रदर्शन तथा विक्रय और विक्रय-डिपो के सम्बन्ध में नियम बना लिये गये हैं; और

(ग) इनका उद्घाटन कब होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) आशा है कि प्रदर्शन-कक्ष और विक्रय-डिपो का उद्घाटन लगभग छः सप्ताहों में हो जायेगा ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** इसकी स्थापना पर कितना व्यय करने को प्रस्थापना है ?

†**श्री कानूनगो :** आरम्भ में तो इस पर लगभग २,००० रुपये प्रति माह खर्च होंगे ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या नारियल-जटा बोर्ड ने देश में नारियल-जटा के औद्योगिक संस्थानों और तकुओं की एक परिगणना की है ?

†**श्री कानूनगो :** नारियल-जटा बोर्ड को उत्पादन इकाइयों की जानकारी है ।

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या सरकार ने नारियल-जटा बोर्ड की इस सिफारिश पर विचार कर लिया है कि भारत के महत्वपूर्ण नगरों में प्रदर्शन-कक्षों और साथ ही नारियल-जटा की वस्तुओं का भंडार रखने और उनके विक्रय के लिये गोदाम स्थापित किये जायें, और यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में दिल्ली का प्रदर्शन-कक्ष खोला जा रहा है और दूसरे की कलकत्ता में खोले जाने की आशा है ।

†**श्री ए० एन० थामस :** माननीय मंत्री ने केवल प्रदर्शन-कक्षों के सम्बन्ध में बताया है, गोदामों के सम्बन्ध में नहीं ?

श्री कानुनगो : दिल्ली के प्रदर्शन-कक्ष के साथ एक गोदाम भी रहेगा । कलकत्ता में भी ऐसा ही होने की आशा है ; यह स्थान और व्यय पर निर्भर रहेगा ।

†**श्री वेलायुधन :** दिल्ली डिपो कब आरम्भ किया गया था और क्या उसमें नारियल-जटा उद्योग का कुछ अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को अधिकारी नियुक्त किया गया है ? क्या उस पद का विज्ञापन दिया गया था, या नहीं ? अब अधिकारी कौन है ? क्या उस पद पर एक पंजाबी नियुक्त किया गया है, या कोई और ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । वे सभी अच्छे हो सकते हैं ।

†**श्री कानूनगो :** प्रदर्शन-कक्ष और गोदाम अभी तक खुले नहीं हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर :** डिपो खोलने के सम्बन्ध में, मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान नारियल-जटा बोर्ड के सभापति द्वारा जारी किये गये उस प्रेस-वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक दल के मंत्री, श्री के० पी० माधवन नायर नामक एक सज्जन के लगातार जोर डालने के कारण उन्हें एक सज्जन विशेष को प्रबन्धक के पद पर नियुक्त करना पड़ा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : माननीय मित्र को जो सूचना प्राप्त है मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं उसे आपक पास भेज दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समाचार पत्र में प्रकाशित किसी समाचार को यहां पूछे जाने वाले प्रश्न का आधार नहीं बनाया जाना चाहिये । माननीय सदस्य को नामों का उल्लेख करने से विशेष तौर पर बचना चाहिये । हमें किसी भी व्यक्ति विशेष की खिल्ली उड़ाने से कोई रुचि नहीं है। हमें तो केवल सूचना देना चाहते हैं कि कोई दबाव डाला गया था या नहीं । यह तो मैं समझ सकता हूं, संभव है कि वह सच हो या न हो । इसीलिये, केवल इसी कारण से हम कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये कि हमें एक विशेषाधिकार प्राप्त है और इस लोक सभा के बाहर हम पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । हमें बड़ी सावधानी और संतुलित ढंग से इस विशषाधिकार का प्रयोग करना चाहिये ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं किसी प्रस रिपोर्ट का नहीं, बल्कि सभापति के वक्तव्य का हावाला दे रहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें नाम का उल्लख नहीं करना चाहिये था । नाम तो सैकड़ों-हजारों हो सकते हैं । हमे अपने स्वविवेक से काम लेना चाहिये ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : प्रदर्शन-कक्ष क इस कार्य म राज्य सरकारों को क्या करना है ?

†**श्री कानूनगो** : इस प्रदर्शन-कक्ष और गोदाम का संचालन नारियल जटा बोर्ड करेगा । कोई भी राज्य सरकार या नारियल-जटा की वस्तुओं का उत्पादक उपलब्ध सेवाओं से लाभ उठा सकता है ।

सूती कपड़े का निर्यात

†***१८४८. श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश में उपभोग किये जाने के लिये जो कपड़ा और सूती वस्तुयें गांठों में बांधी गई थीं उन्हें बिना अपेक्षित लाइसैंस के तिब्बत, भूटान और सिक्किम को निर्यात करने की स्वीकृति दे दी गई है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : हां, श्रीमान ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : बिना लाइसैंस के कपड़े के इस निर्यात के कारण क्या हैं ?

†**श्री करमरकर** : भारत के निकट होने के कारण हमने उन्हें भारत का अंग ही समझा, और क्योंकि इस हालत में कपड़े के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था अतः लाइसैंन्स की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या तिब्बत को भारत का एक भाग समझा जाता है ?

†**श्री करमरकर** : मैंने यह राजनैतिक दृष्टि से नहीं कहा है । मैंने कहा कि कपड़े के निर्यात के विषय उन पर वही प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं समझा गया जो अन्य देशों को किये जाने वाले निर्यात पर लगाये जाते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इन देशों को बिना लाइसैंस के कितने गज कपड़ा भेजने की स्वीकृति दी गई है ?

†**श्री करमरकर** : म माननीय मित्र को कुल निर्यात के आंकड़े बता सकता हूं । १९५५ में इतनी मात्रा में निर्यात किया गया : तिब्बत १७० गांठें (प्रत्येक गांठ में १५०० गज कपड़ा था सिम्किन ५३ गांठे और भूटान कुछ नहीं । १९५४ के तत्स्थानी आंकड़े ३१३० गांठे १९२ गांठे और शून्य थे । सन् १९५६ में (केवल मार्च तक) तिब्बत को १८-१/४ गांठें और भूटान को शून्य ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : तिब्बत की तरह अन्य कौन से देशों को कपड़े के निर्यात के लिये लाइसैंस प्राप्त करने से मुक्त किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : मेरे पास केवल तिब्बत, भूटान, और सिक्किम के बारे में जानकारी है । यदि लोक सभा चाहे तो म इसे पढ़ कर सुना सकता हुं ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : नेपाल के लिये भी ।

†**श्री करमरकर** : नेपाल के बारे में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि जब से लाइसैंस देने की सुविधा दी गई है तब से तिब्बत का व्यापार बढ़ा है, और इसलिये क्या इस सुविधा को और आगे जारी रखने का विचार किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : जी हां, हमने २७ जून, १९५५ के दिन तय किया कि जिस प्रकार हम दूसरे रेशों को एक्सपोर्ट (निर्यात) करने को कोई रुकावट नहीं डालते हैं उसी प्रकार इन देशों के लिये भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये जो भी कंसैशन (रियायत) दूसरे देशों को दिये हैं वह इनके बारे में भी रखे गये हैं और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या सरकार ने इन देशों से यह आश्वासन प्राप्त किया है कि निर्यात किये गये इस कपड़े को पुन: निर्यात नहीं किया जाता है ?

†**श्री करमरकर** : किसी भी आश्वासन की आवश्यकता नहीं है । हमारा निर्यात जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा है । हम अपने निर्यात के मार्ग में क्यों रुकावट डालें ?

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या हमारी परम्परागत मंडियों में जापान हमारे साथ—प्रतिस्पर्धा कर रहा है ? यदि हां तो अपने व्यापार को इसके प्रभाव से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री करमरकर** : जापानी कटपीस के कपड़े और हमारे कटपीस के कपड़े में प्रतिस्पर्धा चल रही है । बाजारों पर इसके प्रभाव के बारे में मुझे पता लगाना पड़ेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्योंकि माननीय मंत्री के मंत्रालय ने अम्बर चर्खा कार्यक्रम के कारण आगामी वर्षों में देश में कपड़े की कमी के बारे में वावेला मचा रखा है इसलिये क्या बिना लाइसैंस कपड़े के इस निर्यात की कोई सीमा निश्चित की जायेगी ?

†**श्री करमरकर** : क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये ? मेरे विचार से इस प्रश्न का मूल प्रश्न के साथ कोई परोक्ष सम्बन्ध भी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य यह जानना जाहते हैं कि कपड़े की कमी के बारे में जो वक्तव्य दिये गये हैं क्या उनके होते हुये भी निर्यात की अनुज्ञा देना वांछनीय है ?

†**श्री करमरकर** : तिब्बत, भूटान आदि को ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय में या तो माननीय मंत्री को जानकारी होनी चाहिये या प्रश्नकर्ता को ?

†**श्री करमरकर** : मैं सादर निवेदन करता हूं कि प्रश्न बिलकुल असंगत है । मैं यह कहना नहीं चाहता था । मैं अध्यक्ष महोदय का परामर्श चाहता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस बात को सामने रखते हुये कि यह कहा गया है कि आगामी वर्षों में कपड़े की बहुत कमी होगी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन देशों को बिना लाइसैंस कपड़ा भेजने के लिये कोई सीमा निश्चित की गई है ।

†**श्री करमरकर** : आगामी वर्षों के बारे में आगामी वर्ष में ही विचार किया जायेगा । इस समय कमी होने का कोई भय नहीं है । अतः हम चाहते हैं कि जितना अधिक सम्भव हो कपड़े का निर्यात किया जाये ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : गत वर्ष उससे पूर्व के वर्ष की तुलना में कपड़े के निर्यात में जो कमी हुई थी क्या बिना लाइसैंस सूती कपड़े के निर्यात की नीति के कारण वह पूरी हो जायेगी ?

†**श्री करमरकर** : इन तीनों देशों के सम्बन्ध में बात यह है कि कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे और कपड़े के निर्यात के मामले में हमने इन्हें अन्य देशों के समान माना था । परन्तु यदि प्रतिबन्ध नहीं है तो निर्यात में वृद्धि होगी । यदि आन्तरिक सम्भरण को हानि पहुंचाये बिना निर्यात बढ़ाया जा सके तो यह अच्छा ही होगा । वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कि इन तीनों देशों को कपड़ा निर्यात किये जाने से कोई हानि नहीं हुई है ।

अलौंग में हवाई अड्डा

†*१९५२. **श्री गार्डिलिगन गौड** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियांग सीमान्त डिवीजन के मुख्यालय अलौंग में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के लिये सभी मौसमों में काम आने योग्य एक हवाई अड्डा बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे का अनुमानित वार्षिक व्यय क्या है; और

(ग) इस हवाई अड्डे के क्या लाभ हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग) जी हां । यह सभी मौसमों में काम आने योग्य हवाई अड्डा हाल ही में बनकर पूरा हुआ है । देख रेख के अनुमानित वार्षिक व्यय की जांच पड़ताल की जा रही है । नया अड्डा आदिम जातियों और उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के कर्मचारीवृन्द के लिये संचार साधनों और आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण की व्यवस्था करेगा ।

†**श्री गार्डिलिगन गौड** : क्या सरकार के पास उस क्षेत्र में दो और हवाई अड्डों का निर्माण करने की प्रस्थापना है ? यदि हां, तो जिन स्थानों पर इनका निर्माण किये जाने की सम्भावना है उनके नाम क्या हैं ?

†**श्री सादत अली खाँ** : मैं इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दे सकता ।

†**श्रीमती खोंगमेन** : क्या वहां केवल यही एकमात्र यातायात का साधन है ?

†**श्री सादत अली खाँ** : जी, हां । जहां तक मुझे विदित है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : आपका उत्तर 'हां' में था इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि इस क्षेत्र में और हवाई अड्डों द्वारा संचार साधनों के विस्तार की और क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

†**श्री सादत अली खाँ** : इसका विकास हो जाने पर हम इसे देखेंगे ।

कच्चे मेंगनीज पर निर्यात-शुल्क

†*१८५३. **श्री देवगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शुल्क की समाप्ति के बाद जबकि कच्चे मेंगनीज की सभी किस्मों के मूल्य औसतन ५० प्रतिशत बढ़ गये हैं तो निर्यात-शुल्क फिर से न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : इस मामले पर इस सभा में चर्चा करना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा ।

जलपोत निर्माण उद्योग

†*१८५४. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने कोचीन पत्तन या उसके आसपास एक जलपोत निर्माण उद्योग आरम्भ करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सम्मिलित किये जाने के लिये भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां ।

(ख) त्रावनकोर-कोचीन सरकार को यह आश्वासन दे दिया गया है कि दूसरे पोतोगण के लिये स्थान का चुनाव करते समय उस प्रदेश के दावे पर यथोचित विचार किया जायेगा ।

†**श्री वी० पी० नायर** : हम इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं कि हमारे दावे पर विचार किया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकरी है कि जहां तक दूसरे पोतों-गण की स्थापना का सम्बन्ध है कोचीन पत्तन को कतिपय सुविधायें उपलब्ध हैं जो किसी अन्य पत्तन को प्राप्त नहीं हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : दूसरे पोतांगण के स्थान की सिफारिश करने के लिये जब भी कभी प्रविधिक परामर्शदाता नियुक्त किये जायेंगे तो इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोचीन ही एक ऐसा बड़ा पत्तन है जो कि रेलवे और आन्तरिक जल परिवहन से जुड़ा हुआ है और वही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां भारत में सबसे अधिक सस्ती दरों पर इमारती लकड़ी और अन्य सामग्री उपलब्ध है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रविधिक परामर्शदाताओं द्वारा इन बातों पर भी विचार किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कुछ परामर्शदाता इस मामले की जांच के लिये नियुक्त किये जाने वाले हैं तो एक के बाद दूसरा तर्क प्रस्तुत करने में क्या लाभ है ? माननीय मंत्री तो इसका निर्णय नहीं करेंगे ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उत्पादन मंत्रालय ने कुछ कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ५०,००० रुपये के आवंटन से अधिक व्यय किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई और ठोस कार्यवाही की गई है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि जब कि कोचीन में दक्ष कर्मचारी उपलब्ध हैं तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : पोतांगण के कार्यकरण के लिये प्रविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७५ लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है ? यह प्रशिक्षण विशाखा-पट्टनम् पोतांगण में दिया जायेगा जो कि इस समय देश का एकमात्र बड़ा पोतांगण है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि दूसरा पोतांगण स्थापित करने से पूर्व इन सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा । पोतांगण का स्थान आदि जैसी बातों पर विचार करने के अतिरिक्त क्या सरकार त्रावणकोर-कोचीन राज्य में इस समय जो अति-विचित्र बेकारी फैली हुई है उस पर भी विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य समिति को एक स्मृतिपत्र क्यों प्रस्तुत नहीं करते हैं ?

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं केवल जानकरी प्राप्त करना चाहता था । प्रश्न का यही उद्देश्य होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें और देखें ।

†**डा० लंका सुन्दरम** : क्या यह सच है कि दूसरे पोतांगण के स्थान के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व ही विशाखापट्टनम् पोतांगण के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये आदेश दे दिये गये हैं, और यदि हां, तो योजना क्या है और उसमें कितने लोगों की आवश्यकता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसा कि मैंने कहा है कि अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है । उस प्रयोजन के लये एक योजना बनाई जा रही है । कुछ अधिसंख्य पद बनाये जायेंगे; कुछ अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे और उन्हें बिशाखापत्तनम् पोतांगण में प्रशिक्षण दिया जायेगा । ताकि जैसे ही दूसरे पोतांगण को आरम्भ करने का निर्णय किया जाये वैसे ही उक्त व्यक्तियों को वहां स्थानान्तरित किया जायेगा और हमारा कार्य शुरू हो जायेगा ।

नेकोवाल दुर्घटना

†*१८५५. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेकोवाल दुर्घटना में जिन भारतीयों की जानें गई थीं उनकी क्षतिपूर्ति के लिये भारत द्वारा की गई मांग को पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा यह जो नीति अपनाई गई है उसके आधार क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों की इस आशय की उपपत्तियों के बावजूद कि एक पूर्वनिर्धारित योजना का संकेत प्राप्त हुआ था जिसमें पाकिस्तान की सीमा पुलिस की तैयारी योजना के लिये प्रारम्भिक रूप से आवश्यक थी, पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि दायित्व किसका है इस बात का निर्णय करना कठिन है क्योंकि राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन में कथित योजना क्या थी, उसे किसने सोचा था और उसे कार्यरूप में परिणित करने के लिये कौन उत्तरदायी था, इन सब बातों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है । तथापि पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि इस दुर्घटना से सम्बन्धित समूचे पाकिस्तानी दस्ते को ताड़ना दे दी गई है और उसे नेकोवाल से स्थानान्तरित कर दिया गया है । पाकिस्तान सरकार ने आगे भी यह कहा है कि राष्ट्रसंघ पर्यवेक्षकों द्वारा उक्त घटना को पाकिस्तान सीमा पुलिस द्वारा सीमा का उल्लंघन घोषित किये जाने मात्र से ही पाकिस्तान भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं हो जायेगा क्योंकि अतीत में सीमा पर हुई घटनाओं के सम्बन्ध में दोनों सरकारों में से किसी ने भी क्षतिपूर्ति नहीं दी थी ।

(ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक और पत्र भेज कर सूचित किया है कि उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उनमें बहुत कम सत्यांश है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान सरकार ने यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल का निर्णय प्रतिकर देने के लिये पर्याप्त कारण नहीं है, क्या सभा सचिव सदन के लाभार्थ पर्यवेक्षक दल के निर्णय को पढ़ने की कृपा करेंगे ?

†**श्री सादत अली खां** : इस विशिष्ट घटना के मामले में, संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में उस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह घटना हुई थी । उसके शब्द ये हैं :

"जैसा कि बाद में देखा गया, उस क्षेत्र की हालत जिस में कि भारतीय पकड़े गये, सामरिक दृष्टि से इसके अलाभों और ट्रैक्टरों को हुई क्षति से पता चलता है कि पाकिस्तानी सीमा पुलिस ने पहले से ही इस की योजना बना रखी थी । और पाकिस्तान सीमान्त पुलिस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग थी ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारत ने पहले तीन लाख रुपया प्रतिकर के रूप में दिये जाने और अपराधियों को उपयुक्त दंड दिये जाने की, मांग की थी, क्या प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान सरकार को लिखे अपने हाल ही के पत्र में, इसी प्रकार की मांगें की थीं ; और यह पत्र कब लिखा गया था ?

†**श्री सादत अली खाँ** : हमने अपनी मांग दोहराई थी और उन्हें बताया था कि उनके तर्क मान्य नहीं हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान का इस घटना के लिये प्रतिकर देने से इन्कार करना स्पष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि और नैतिकता का उल्लंघन है, क्या सरकार इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को प्रार्थनापत्र देगी ?

†**श्री सादत अली खाँ** : यह मैं नहीं कह सकता । किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि पाकिसान के प्रधान मंत्री ने इस बात की अवहेलना कर दी थी कि ऐसे मामलों में प्रतिकर केवल इस कारण नहीं दिया जाता कि दोनों सम्बन्धित देशों के बीच कोई समझौता हो गया है ; बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार भी प्रतिकर दिया जाता है । भारत सरकार उन मामलों के विषय में जिनमें यह सिद्ध हो चुका हो कि हमारी ओर से उल्लंघन किया गया है या कोई घटना हमने शुरू की थी, प्रतिकर देने की इच्छा प्रकट कर चुकी है , किन्तु उन्होंने इस मामले पर विचार करने तक से बिल्कुल इन्कार कर दिया था ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : चूंकि यह पहला अवसर नहीं है जब कि पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार की उपेक्षा की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ? बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं । इसलिये किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है ?

†**श्री एन० एम० लिंगम** : भूमिका के बिना तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह भूमिका के बिना ही प्रश्न पूछें ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : चूंकि सरकार का विचार है कि पाकिस्तान को विरोध-पत्र भेजने से कोई लाभ नहीं होगा, क्या वह इस मामले से संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के सामने ले जाने का विचार करती है, क्योंकि इसमें देशों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक माननीय सदस्य ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा, दूसरे ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में । माननीय सभा सचिव ने कहा है कि उन्हें मालूम नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : बताया गया था कि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि भूतकाल में दोनों में किसी भी सरकार ने कोई दावा नहीं माना था । क्या पाकिस्तान सरकार ने किसी घटना के सम्बन्ध में कोई दावा किया था और यदि हां, तो क्या भारत सरकार भी उसी रवैया को अपनाने जा रही है जो पाकिस्तान सरकार ने अपनाया है ।

†**श्री सादत अली खाँ** : मुझे यह विदित नहीं है कि पाकिस्तान सरकार ने प्रतिकर के लिये कोई दावा किया है । मैंने यह कहा कि यदि वह कोई दावा करे और हम यह समझें कि वह दावे न्यायोचित हैं, तो हम अवश्य उनकी मांग पूरी करेंगे । यह स्थिति कल्पनात्मक है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या उसके दावे पर विचार करते समय भारत सरकार भी उसी रवैये को अपनायेगी ?

†**श्री सादत अली खाँ** : अवश्य ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : एक पहले अवसर पर इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से कभी कोई प्रतिकर मांगा है यह बताया गया था कि पाकिस्तान सरकार द्वारा कभी कोई मांग नहीं की गई थी । क्या पाकिस्तान ने अब कोई मांग की है ?

†**श्री सादत अली खाँ** : मैंने केवल यही कहा था कि मुझे पाकिस्तान द्वारा की गई किसी मांग की कोई जानकारी नहीं थी । मैंने यह नहीं कहा था कि कोई मांग की ही नहीं गई थी । जो कुछ मैंने अभी कहा है उस के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : चूंकि किसी न्यायिक या मध्यस्थ निर्णय द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती है, सरकार पाकिस्तान से संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिये क्या करने का विचार करती है ?

†**श्री सादत अली खाँ** : सहनशीलता और धैर्य ।

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी समझौता

†*१८५७. **श्री बी० एस० मूर्ति**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने, ४ मई, १६४८ को पानी सम्बन्धी अन्तर-औपनिवेशीय समझौते के अन्तर्गत भारत को देय राशि के भुगतान को रोक लिया है ;

(ख) कुल राशि कितनी है ; और

(ग) इस धन राशि को वसूल करने के लिये कया कार्रवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) कुल राशि इस प्रकार है :

जिसके बारे में झगड़ा है	७०,२२,७०५ रुपये
जिसके बारे में झगड़ा नहीं है	४७,०२,२३१ रुपये

(ग) इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : पाकिस्तान सरकार के साथ यह पत्र व्यवहार कब शुरू किया गया था ?

†**श्री हाथी** : कुछ मास पहले ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : यह आज किस अवस्था में है ?

†**श्री हाथी** : उसने जून १६५५ तक की राशि का भुगतान कर दिया है, जिसके बारे में झगड़ा नहीं था, जून १६५५ से १६५६ तक की राशि बकाया है । उसने सूचना दी है कि उसने इस धनराशि को अदायगी के लिये हिदायतें जारी कर दी हैं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या पाकिस्तान को पानी अब भी दिया जा रहा है या बन्द कर दिया गया है ?

†**श्री हाथी** : हमने पाकिस्तान को पानी देना बन्द नहीं किया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सरकार देश के कृषकों से नहरी पानी के कर वसूल करने में बहुत शीघ्रता से काम लेती है । पाकिस्तान सरकार से ये कर वर्ष प्रतिवर्ष वसूल करने में सरकार की राह में क्या बाधा थी ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने कहा, उसने जून १६५५ तक की वह राशि दे दी है, जिसके बारे में कोई झगड़ा नहीं था । इस वर्ष के लिये उसने हमें सूचित कर दिया है कि उसने पश्चिम पाकिस्तान सरकार को उक्त राशि के भुगतान करने का आदेश दे दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एन० बी० चौधरी** : पाकिस्तान के इस रवैये के सम्बन्ध में विश्व बैंक के अधिनिर्णायकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री हाथी** : यह एक बहुत ही विशाल प्रश्न है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि पाकिस्तान सरकार उक्त धन राशि को देने से इन्कार करती है ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने कहा । उसने जून १९५५ तक की राशि का भुगतान कर दिया है । जून १९५५ से १९५६ तक का भुगतान उसने नहीं किया है । हमने उससे इस धन राशि का भुगतान करने के लिये कहा है । पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार ने हमें सूचना दी है कि उसने पश्चिम पाकिस्तान सरकार को इस राशि का भुगतान करने के लिये कह दिया है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद

†**१८६१. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय किया है कि प्राप्त साधनों से देश के कम विकसित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाये और सिफारिश की है कि देश के अलग अलग भागों के विकास के अन्तर को ध्यान में रखा जाये ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी हां । इस सम्बन्ध में खास सिफारिशों का उल्लेख द्वितीय पंच वर्षीय योजना के मसविदे के प्रथम अध्याय २८वें परिच्छेद में किया गया है ।

श्री के० सी० सोधिया : इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये क्या सरकार ने देश के पिछड़े हिस्सों की कोई एक सूची बनाई है ?

श्री हाथी : ऐसी कोई सूची तो नहीं बनाई है लेकिन आम तौर पर सरकार को पता है कि कौन कौन से प्रदेश में ऐसी हालत है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्षेत्रीय न्याय करने के सिद्धांत को द्वितीय योजना के प्रारूप में स्वीकार किया जा चुका है । क्या वास्तव में इस बात की जांच करने के लिये, कि क्षेत्रीय न्याय किया जा रहा है अथवा नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद् की कोई उप-समिति नियुक्त की गयी है अथवा कोई अन्य व्यवस्था की गयी है ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में, विभिन्न राज्यों की योजनाओं पर योजना आयोग द्वारा भारत सरकार के पदाधिकारियों और राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर विचार किया गया है और केवल इसके बाद ही इन योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान किया गया है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या यह सच है कि अभिकरण क्षेत्रों पर परिषद् द्वारा अधिक ध्यान दिया गया है और यदि हां, तो उसका निर्णय क्या है ?

†**श्री हाथी** : यह एक ऐसा निकाय है जो राय देता है, मिलता है और परामर्श करता है । प्रारूप योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कम विकसित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर सरकार द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्या सरकार ने कम विकसित क्षेत्रों की कोई सूची तैयार करवाई है, और क्या उसमें हिमाचल प्रदेश को भी सम्मिलित किया गया है ?

†**श्री हाथी** : कोई विशिष्ट सूची तो तैयार नहीं की गयी है परन्तु सरकार को यह ज्ञात है कि वह क्षेत्र कौन से हैं जिन को विशेष आवश्यकताओं की जरूरत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद : यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो यह सिद्धांत मान लिया गया है कि इस देश के कम विकसित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाये और उनका उत्थान किया जाय, तो उस सिद्धांत को कार्य रूप देने के लिये आपके पास क्या उपाय अथवा तरीके हैं ?

†**श्री हाथी** : यदि माननीय सदस्य उस कण्डिका को, जिसका मैंने उल्लेख किया है, पढ़कर देखें तो उनको पता चलेगा कि उसमें वह विभिन्न तरीके और मापदण्ड दिये हुये हैं जिनके आधार पर इन क्षेत्रों को विकसित किया जायेगा और उसी में यह बताया गया है कि उनको क्या प्राथमिकता दी जायेगी ।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : क्या सरकार इस प्रश्न पर निर्णय करने से पूर्व पिछड़े हुये क्षेत्रों के संसद् सदस्यों से परामर्श कर रही है ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि संसद् सदस्यों से परामर्श किया जा रहा है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह सच नहीं है कि यह वचन देने के बाद भी, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अलग की गयी विशाल धन राशियों से कम विकसित क्षेत्रों को विकसित किया जायेगा, पुरानी रेलवे लाइनों का जीर्णोद्धार करने अथवा नव-प्रस्थापित करनाटक अथवा मैसूर राज्य में नयी लाइनों के विकसित करने के लिये एक रुपया भी खर्च नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ? .

†**श्री जोकीम आल्वा** : जी हां । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ।

†**श्री हाथी** : इस योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि नेशनल डेवलपमेंट कौंसल (राष्ट्रीय विकास परिषद्) या प्लानिंग कमीशन का ध्यान स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की उस सिफारिश की ओर भी आकर्षित हुआ है कि पिछड़े हुये इलाकों का विकास करने के लिये वहां पर स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स (विशेष विकास बोर्ड) बनाये जायें और क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है या कोई कदम उठाने का निश्चय किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : इस पर विचार किया जायेगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या कम विकसित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं में उन क्षेत्रों के प्रशासन की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता का विकास भी शामिल है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सिंचाई मंत्रालय इस मामले का प्रभारी नहीं है ।

अब मैं उन प्रश्नों को लूंगा जो सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

†**डा० लंका सुन्दरम** : मैं लोकहित में आप से अनुरोध करता हूं कि प्रश्न संख्या १८४४ का उत्तर दिये जाने की अनुमति दें । इसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने पुर्त्तगाल के मामले से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि उसके पहले प्रश्न संख्या १८३५ आता है जिसके लिये श्री भक्त दर्शन के पास प्राधिकार है ।

†**श्री कासलीवाल** : श्री कृष्णाचार्य जोशी के प्रश्न संख्या १८३५ के लिये मेरे पास प्राधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दोनों के प्राधिकार को स्वीकार करता हूं ।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

†*१८३५. **श्री भक्त दर्शन (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा १९५५ में अलग दस्तकारी उद्योगों के सामान्य विकास और विशिष्ट योजनाओं के प्रश्नों पर विचार किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कौन सी सामान्य विकास योजनायें कार्यान्वित किये जाने को हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारें इन योजनाओं में बोर्ड के साथ सहयोग कर रही हैं ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) जी हां ।

(ख) दस्तकारी के विकास के लिये १९५५-५६ में मंजूर की गयी योजनाओं को दिखाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १]**

(ग) जी, हां ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट को इस बात से संतोष है कि जब से यह आल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स (अखिल भारतीय दस्तकारी) बोर्ड बनाया गया है तब से हैंडीक्राफ्ट के विकास में काफी संतोषजनक प्रगति हो रही है और क्या इसके बारे में सरकार समय समय पर विचार करती रहती है ।

श्री आर० जी दुबे : गवर्नमेंट यह बात महसूस करती है कि इस बारे में जितनी तरक्की होनी चाहिये थी, उतनी तरक्की नहीं हो सकी है और इसीलिये सेकेंड फाइव इयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में अलग अलग स्टेट्स को और अधिक आर्थिक सहायता दिये जाने के बारे में सोचा जा रहा है और डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज (उद्योग महानिदेशक) के पर्सनल (कर्मचारियों) में भी काफी वृद्धि की जाने की आवश्यकता महसूस की गई है ।

श्री भक्त दर्शन : राज्य सरकारों को इस मद में जो अनुदान दिये जा रहे हैं, उसका पूरा भार केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है या राज्य सरकारें भी उसमें कुछ हिस्सा लगाती हैं और उसके बारे में क्या कोई सिद्धांत निश्चित किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : उसका पूरा खर्चा तो केन्द्रीय सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है लेकिन ज्यादातर ग्रान्ट्स (अनुदान) बढ़ाये जाने की योजना है और साथ ही साथ स्टेट्स गवर्नमेंटस (राज्य सरकारों) को हिदायतें दी जा रही हैं कि वे अपनी तरफ से भी और अधिक ग्रान्ट्स एलाट (आवंटित) करें ।

†**श्री ए० एम० थामस** : मैंने दस्तकारी बोर्ड की अग्रिम योजनाओं और माननीय सभासचिव द्वारा लोक-सभा पटल पर रखी गयी योजनाओं की सूची, दोनों को देखा है । मुझे उसमें एक राज्य अर्थात् त्रावनकोर-कोचीन राज्य नहीं मिला है, जहां दस्तकारी बोर्ड द्वारा लगायी गयी पूंजी एक बड़े शून्य के बराबर है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात के लिये कौन सी चीजें उत्तरदायी हैं ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : त्रावनकोर-कोचीन सरकार के लिये अपनी ओर से कोई योजना प्रस्तुत करना संभव नहीं था । इसीलिये इसके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सके ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उस विवरण में बताई गई विभिन्न योजनाओं के परिणामस्वरूप हस्तकला बोर्ड के द्वारा उत्पादन में लगभग कितनी वृद्धि होगी ?

†**श्री आर० जी दुबे** : मैं केवल आभास सा दे सकता हूं । मेरे लिये ठीक ठीक आंकड़े बताना तो सम्भव नहीं है । बोर्ड ने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित कई योजनाओं को स्वीकृति दी है । १९५३-५४ में इसने १४ लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी थी और यह सारा रुपया खर्च कर दिया गया था । इसी प्रकार १९५४-५५ में १६ लाख रूपया स्वीकृत किया गया था और वह सब भी खर्च कर दिया गया था । अभी वर्तमान वर्ष का विवरण नहीं मिल सका है । इस दृष्टि से देखने पर हम कह सकते हैं कि अवश्य ही उत्पादन बढ़ा है । किन्तु कितना यह मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० पी० नायर** : श्री थामस के एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि शायद त्रावनकोर-कोचीन ने कोई योजना नहीं भेजी है। अब वहां पर वह सरकार भी नहीं रही है। अब तो वहां पर भारत-सरकार का शासन है। क्या अब सरकार वहां पर इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई जांच करेगी ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : मुझे पूर्ण विश्वास है कि हस्तकला बोर्ड अवश्य ही इस प्रश्न पर विचार करेगा।

अफ्रीकी देशों को वित्तीय सहायता

***१८४३. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अधीन अथवा किसी अन्य प्रकार से किसी अफ़्रीकी देश को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

†**वैदेशिक कार्य-मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी, नहीं। फिर भी, भारत सरकार ने अफ़्रीका क कुछ मुल्कों को, उनकी प्रार्थना पर, भारत से इंजीनियर और अन्य तकनीकी (टेक्नीकल) कर्मचारी दिये हैं।

श्री के० सी० सोधिया : कौन-कौन से देशों को यह लोग भेजे गये हैं ?

श्री सादत अली खां : मिसाल के तौर पर सूडान है जहां पर यह लोग भेजे गये हैं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या कोलम्बो प्लैन के भीतर अफ़्रीका का कोई देश नहीं आता है ?

श्री सादत अली खां : जहां तक मुझे मालूम है अफ़्रीका का कोई देश कोलम्बो प्लैन में नहीं आता है। जैसा आनरेबल मेम्बर को पता है जो उसके पहले मेम्बर थे वह हैं आस्ट्रेलिया, कैनाडा, सीलोन, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और मलाया तथा ब्रिटिश बोर्निया के साथ यूनाइटेड किन्गडम। अब उसमें अमरीका, जापान और फिलिपाइन भी आ गये हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : श्रीमान्, क्या आप प्रश्न संख्या १८४४ को लेने का आदेश देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां। प्रश्न संख्या १८४४ का उत्तर दिया जाये।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुर्तगाल का मामला

†***१८४४. श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को उन विधि सम्बन्धी आधारों की कोई प्रति मिली है जिनके आधार पर पुर्तगाल सरकार ने नगर हवेली तथा दादरा तक पहुंचने के लिये भारतीय इलाके में से मार्ग प्राप्त करवाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक वाद दायर करवाया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : जी, हां। पुर्तगाल ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजे गये आवेदन में यह कहा है कि उसे निम्नलिखित आधारों पर दादरा तथा नगर हवेली तक पहुंचने के लिये भारतीय क्षेत्रों में से मार्ग प्राप्त करने का अधिकार है :—

(१) पुर्तगाल तथा पूना के पेशवा के बीच की गई १७७९ की संधि;—जिसे हुये बहुत समय हो गया है,

(२) इन स्थानों तथा बस्तियों के स्थानीय तथा सामान्य रसमों रिवाज, और

(३) समावृत बस्ती तक पहुंचने के लिये मार्ग देने के सम्बन्ध में विधि के सामान्य सिद्धांत।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या भारत सरकार ने पुर्तगाल की इन बातों को मान लिया है यदि नहीं तो उसे क्या उत्तर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खाँ :** इन बातों के सम्बन्ध में, खास कर १७७९ की संधि के बारे में तथा इंगलैंड और पुर्तगाल व पुर्तगाल और उस समय के भारतीय राजाओं के बीच क्या क्या संधियां हुई थीं इस सम्बन्ध में इतिहासिक प्रलेखों आदि की खोज की जा रही है। किन्तु मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस समय उस विषय पर चर्चा चलाने से कुछ लाभ नहीं होगा।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या यह सत्य नहीं है कि ब्रिटिश सरकार और पुर्तगाल सरकार के बीच एक ऐसी सन्धि थी कि आयात के समय ब्रिटिश सरकार किसी भी समय २४ घंटे के अन्दर गोवा में प्रवेश कर सकती थी ? क्या भारत सरकार को जो कि अंग्रेज सरकार की उत्तराधिकारी है यही अधिकार प्राप्त नहीं है ?

†**श्री सादत अली खाँ :** जैसा कि मैंन अभी कहा है कि इन सभी इतिहासिक तथा विधि सम्बन्धी उपलक्षणाओं का परीक्षण किया जा रहा है। यदि हम अभी उन पर चर्चा करने लगेंगे तो समस्याओं और भी जटिल हो जायेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि इस मामले के बाहर की कोई बात है तो मैं और प्रश्न करने की अनुमति दे सकता हूं अन्यथा नहों जो विषय वहां विचराधीन है—उसके बारे में प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं।

श्री फीरोज गांधी : जब गोवा स्वतंत्र हो जायेगा तो क्या केन्द्र द्वारा इसका प्रशासन होगा अथवा यह 'ग' राज्य होगा अथवा यह महाराष्ट्र का अंग होगा ?

श्री केशव आय्यंगार उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति। शान्ति। मैंने इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी थी और कुछ सीमा तक इसका उत्तर भी दिया जा चुका है। सभा-सचिव इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जिन आधारों पर पुर्तगाल सरकार ने अपना दावा दायर किया है वे बता दिये गये हैं। अभी हाल ही में प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि उन लोगों का इसमें कोई क्षेत्राधिकार नहीं है आदि। क्योंकि इस सम्बन्ध में विवरण बाद में पेश किये जाने हैं। इसीलिये सभा-सचिव इस समय इस प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। हम इसे फिर कभी ठीक ढंग से लेंगे।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** क्या भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार की बातों का उत्तर दे दिया है ?

†**श्री सादत अली खां :** मैंने बता दिया है कि अभी इस मामले की जांच हो रही है। अभी तक कोई उत्तर नहीं भेजा गया है।**

†**श्री फीरोज गांधी :** श्रीमान्, मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। जब वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में प्रधान मंत्री के अलावा तीन और मंत्री हैं तब भी माननीय सभासचिव को यह 'श्रमदान' क्यों करना पड़ रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा-सचिव इसी कार्य के लिये होता है।

मद्रास के लिए कोयला

†*१८६२. **श्री एस० वी० राम स्वामी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास में सीमेंट जैसे उच्चतम प्राथमिकता के उद्योगों को छोड़कर निजी उद्योगों के लिये कितना कोयला स्वीकृत हुआ है;

(ख) १९५५ में इसका कितने प्रतिशत कोयला प्रदाय किया गया और कितने प्रतिशत व्यपगत हो गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

**अध्यक्ष के आदेश से निकाला गया।

(ग) सारे का सारा स्वीकृत कोटा प्रदाय करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यह कोटा व्यपगत होने से पूर्व कितनी अवधि में पूरा किया जाना चाहिये ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

कलकत्ता बंदरगाह में आपात

†**अ० सू० प्र० संख्या १३. श्री कामत :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की बंदरगाह में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) किन परिस्थितियों में और क्यों ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां ।

(ख) १९ अप्रैल १९५६ से ।

(ग) १९५४ से कलकत्ता के पत्तन में उदवभरक कर्मचारियों में अनुशासन हीनता, हिंसा तथा धीरे-धीरे काम करने की प्रवृत्ति के कारण काम की स्थिति बड़ी बिगड़ रही थी और परिस्थिति इतनी गम्भीर हो रही थी कि अगस्त १९५५ में पत्तन-न्यास के अध्यक्ष को वहां पर आपात की स्थिति की घोषणा करनी पड़ी । बाद में स्थिति में कुछ सुधार हो गया और ३१ मार्च १९५६ को इस स्थिति के प्राप्त होने की घोषणा कर दी गई । १५ अप्रैल को पूल के कामगारों ने इस छोटे से बहाने पर काम करने से अचानक इन्कार कर दिया कि उनका मास के मध्य में मिलने वाला अग्रिम वेतन उस दिन क्यों नहीं बंटा, हालांकि वह इतवार का दिन था । उससे जहाजों से माल न उतारा जा सका । यह बात राष्ट्रीय हित के विरुद्ध थी और बड़ी अन्यायपूर्ण थी । अतः पत्तन-न्यास अध्यक्ष ने सरकार की अनुमति से १९ अप्रैल को वहां पर फिर से आपात स्थिति की घोषणा कर दी है ।

†**श्री कामत :** उपमंत्री के वक्तव्य से यह सिद्ध हाता है कि वहां पर १ अगस्त १९५५ से ३१ मार्च १९५६ तक ८ महीने के लिये आपात की स्थिति रही । क्या इस अवधि के बीच में सरकार अथवा वहां के बोर्ड के अध्यक्ष ने गोदी कामगारों की मांगों पर विचार करने का कोई प्रयत्न किया ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**श्री आबिद अली :** कामगारों की मांगें एक न्यायाधिकरण के सामने रख दी गई हैं ।

†**श्री कामत :** यह कहा गया है कि १५ अप्रैल १९५६ को एक छोटे से बहाने—मध्य मासिक अग्रिम वेतन के उस दिन जो कि रविवार था, न बांटने के कारण उन्होंने अचानक काम करने से इन्कार कर दिया । निस्संदेह यह बात सरकार अथवा मंत्री महोदय के लिये छोटी सी हो सकती है । किन्तु क्या उस समय अधिकारियों ने अगले दिन अर्थात् सोमवार की वेतन बांटने का वादा किया था और क्या इस वादे के बावजूद भी कामगारों ने हड़ताल की थी अथवा अधिकारियों के अगले दिन भी वेतन बांटने का वादा न करने के कारण उन्होंने हड़ताल की थी ?

†**श्री आबिद अली:** सामान्यता मध्य-मासिक वेतन का भुगतान १५, १६, १७ तथा १८ तारीखों को होता है । कामगारों को यह सूचना दी गई थी कि क्योंकि १५ तारीख को रविवार है तथा शनिवार को छुट्टी और शुक्रवार को आधे दिन की छट्टी के कारण १६ तारीख को वेतन देना प्रारम्भ किया जायेगा अर्थात् इस बार १६, १७, १८ और १९ को तनख्वाह बांटी जायेगी । फिर भी उन्होंने हड़ताल कर दी । इसीलिये हम कहते हैं कि यह हड़ताल एक छोटे से बहाने पर की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत :** क्या १६ तारीख को वेतन दे दिया गया था और क्या इसके बावजूद उन्होंन हड़ताल की है और क्या इसीलिये १९ तारीख को पुन: आपात स्थिति की घोषणा की गई है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में उनको कब वेतन दिया गया था ?

†**श्री आबिद अली :** क्योंकि कामगारों ने रविवार १५ तारीख को ही हड़ताल कर दी थी अत: १६ तारीख को उन्हें वेतन देने की नोबत ही नहीं आ सकती थी ।

†**श्री कामत :** बोर्ड के अध्यक्ष ने आपात स्थिति की घोषणा करने के लिये सरकार से कब अनुमति मांगी थी ?

†**श्री आबिद अली :** जैसे ही कामगारों ने हड़ताल की थी उसी समय सरकार को खबर कर दी गई । तब स्वीकृति दी गई और १९ अप्रैल से वहां पर आपात की स्थिति की घोषणा कर दी गई ।

†**श्री के० के० बसु :** क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या कामगारों को १५ अप्रैल १९५६ से पहले यह सूचना दी गई थी कि छुट्टियों के कारण उनका वेतन १६ तारीख से बटना प्रारम्भ होगा । अथवा उनके हड़ताल कर देने पर सरकार ने बाद में इस प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है ?

†**श्री आबिद अली :** वास्तव में भुगतान १६ तारीख सोमवार, को हो प्रारम्भ होना था । इस बात पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता है । कामगार यह चाहते थे कि भुगतान १५ तारीख को ही शुरू कर दिया जाये । यद्यपि इससे पहले भी एक बार जब बीच में इतवार आ गया था तो सोमवार को ही तनख़ाह दी गई थी । और ऐसे भी उदाहरण हैं जब १५ तारीख को इतवार होने पर उससे पहले शनिवार को ही तनख़ाह बट जाती थी । किन्तु इस मामले में शनिवार की पूरी छुट्टी थी और शुक्रवार भी आधे दिन की छुट्टी थी । अत: इतवार को वेतन बाटना असम्भव था ।

†**श्री के० के० बसु :** जब १५ तारीख को कामगारों ने हड़ताल की थी तो क्या बोर्ड के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य अधिकारी ने उन्हें यह बताया कि १५ तारीख को छुट्टी होने के कारण उन्हें १६ तारीख को वेतन दे दिया जायेगा तथा अब उन्हें काम करना शुरू कर देना चाहिये ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कामगारों के सामने कोई ऐसी बात रखी गई थी अथवा जब वे हड़ताल पर चले गये तब बदला लेने के लिये यह बात घड़ ली गई है ?

†**श्री आबिद अली :** मुझे यह विश्वास है कि कामगारों को अवश्य ही ऐसी बात कही गई होगी । क्योंकि उन्हें वेतन तो देना ही था अत: उसमें देरी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था ।

†**श्री कामत :** श्रीमान, माननीय मंत्री को पूरी सूचना मिल जाने दीजिये । क्योंकि आपने कहा है कि उनका विश्वास है कि कामगारों को ऐसी सूचना दी गई होगी । यदि आज नहीं तो वह फिर कभी हमें सही सूचना दे दें । वह हमें कल ठीक-ठीक बता सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय मंत्री किसी पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो मैं उसे अगले दिन के लिये लटका नहीं रख सकता हूं ।

†**श्री के० के० बसु :** श्रीमान् : यह एक तथ्यों से सम्बन्धित प्रश्न है । हमारा यह विचार है कि अगर अधिकारी ठीक ढंग से काम लेते तो मामला सुलझ सकता था । हम जानना चाहते हैं कि यह सब किस की गफलत या शरारत से हुआ है । हो सकता है कि माननीय मंत्री को इस बात की जानकरी न हो । किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों को इसका अवश्य पता होगा । अत: हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री इस सभा में ठीक-ठीक सूचना रखें ।

†**श्री आबिद अली :** अब हड़ताल समाप्त हो गई है । वेतन के देने अथवा न देने के कारण आपात की स्थिति की घोषणा नहीं की गई है । आपात की घोषणा इस लिये की गई है कि उनमें से कुछ आदमी हिंसा पर उतर आये थे । कोई ५० जहाज रुक गये थे और यह खतरा था कि माल पर फिर सरचार्ज पड़

†मूल अंग्रेजी में

जायेगा। यह बात राष्ट्रीय हित के विरुद्ध थी। वास्तव म जब पहली बार आपात की घोषणा की गई थी तो शांति हो गई थी। किन्तु उन कामगारों में कुछ ऐसे आदमी हैं जो तनातनी बनाये रखना चाहते हैं और आपात की स्थिति की समाप्ति की घोषणा से उन्होंने फिर से लाभ उठाने की कोशिश की है। किन्तु क्योंकि अब फिर आपात की घोषणा कर दी गई है अत: मुझे आशा है कि वहां शीघ्र ही शान्ति हो जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दक्षिण भारत में कताई मिलें

†*१८३७. **श्री डाभी :**
श्री वोडयार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में कताई की और ६५ मिलें, जिनमें ७ लाख तकुए होंगे, स्थापित की जाने वाली हैं;

(ख) मैसूर राज्य में इनमें से कताई की कितनी मिलें और कितने तकुए होंगे; और

(ग) कितने श्रमिकों को रोजगार मिलेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां। ६५ नयी इकाइयों के सम्बन्ध में जिनके लिये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियां पहले ही जारी की गयी हैं।

(ख) और (ग). तीन कताई-मिलें जिनमें ३४,००० तकुए होंगे। उन से १,५०० कर्मचारियों को, जिनमें श्रमिक भी होंगे, रोजगार मिलेगा।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये शिल्पिक कर्मचारी

†*१८३८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में नदी घाटी परियोजनाओं के लिये आवश्यक शिल्पिक कर्मचारियों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संपूर्ण स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटर पर रखा जाना है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २**] वास्तविक आवश्यकता विभिन्न पहलुओं के खर्च पर निर्भर होगी।

केन्द्रीय क्रय संगठन

†*१८४०. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं नगरपालिकाओं अथवा नगरपालिका निगमों ने १९५५-५६ में केन्द्रीय क्रय संगठन के जरिय कोई खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्होंने कितने की खरीद की है; और

(ग) क्या सरकार ने खरीद की इस पद्धति को लोक-प्रिय बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) जी, हां।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ग) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

हंगरी में राजदूतावास

†*१८४१. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हंगरी में भारत का राजदूतावास कब खोला जायगा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खाँ)** : एक अग्रिम दल पहले से ही बुडापेस्ट में है। आशा है कि पूरे पदाधिकारी शीघ्र ही नियुक्त किये जायेंगे।

सीमेंट के भाव

†*१८४२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम लिन्क की दोनों ओर अर्थात् कटिहार और गौहाटी में सीमेंट के सम्बन्ध में, जो बाहर से आसाम में ला ी जाती है, फुटकर भावों का क्या सार है;

(ख) क्या अन्तर साधारण परिवहन लागत के कारण है अथवा असाधारण दशाओं के कारण है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ख) अन्तर मुख्यत: परिवहन की लागत के कारण है।

(ग) स्थिति में केवल तभी सुधार हो सकता है जब कि आसाम में सीमेंट के कारखाने खोले जायें। सरकार ने आसाम म सीमेंट के दो कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी है।

अम्बर चर्खा

†*१८४६. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बर चर्खे की शिल्पिक संभावनाओं की अनुसंधान समिति के एक सदस्य श्री पी० एच० भुट्टा ने आठ तकुओं का एक चर्खा निकाला है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या संभावनायें हैं और वह किस प्रकार कार्य करता है;

(ग) प्रति घंटे सूत का उत्पादन कितना है;

(घ) क्या वह विद्युत् चालित है अथवा हाथ से चलाया जाने वाला है; और

(ङ) उसकी लागत लगभग कितनी है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नागपुर की इम्प्रेस मिल्स के श्री भुट्टा ने आठ तकुओं वाला एक चर्खा निकाला है किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुसंधान समिति के सदस्य के तौर पर काम करना उनके लिये संभव नहीं रहा।

(ख) से (ङ). श्री भुट्टा कताई-यंत्रव्यवस्था का परीक्षण करा रहे हैं। उसके कार्य और लागत के बारे में आंकड़े अभी तुरंत उपलब्ध नहीं हैं। यह ज्ञात हुआ है कि चर्खा हाथ से और विद्युत् शक्ति दोनों क द्वारा ही चलाया जा सकेगा।

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण

†*१८४९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण ने राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आपात श्रम अधिग्रहण अधिनियम, १९५४ का कभी उपयोग किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अधिनियम लागू करने से किन क्षेत्रों और कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन लोग किस प्रकार का काम करेंगे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). आपात के समय कुलियों के अधिग्रहण के लिये विनियमन बनाया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार, अभी तक विनियमन का उपयोग नहीं किया गया है।

मलाया का अभिकरण

†***१८५०. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार से मलाया का अभिकरण खोलने के लिये एक औपचारिक प्रार्थना की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : नहीं।

त्रिपुरा के लिये औद्योगिक सहायता योजना

†* **१८५१. श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उद्योगपति ने त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये, औद्योगिक सहायता योजना के अधीन सहायत की कोई योजना सरकार के सामने रखी है;

(ख) वह किस प्रकार की योजना है; और

(ग) कितनी योजनाओं का परीक्षण किया गया और कितनी योजनाओं के लिये सहायता दी जाने की आशा है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) हां।

(ख) योजनायें स्पन रीइन्फोर्सड कांक्रीट पाइप, और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये स्पिरिट तयार करने, अनानास को डिब्बों में बंद करने, चिकित्सा प्रयोजनों के लिये केफैन तैयार करने, धान कूटने, तेल निकालने और कपास में से बिनौले निकालने के लिये हैं।

(ग) स्पन पाइप फैक्टरी की योजना के लिये पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और अन्य योजनायें विचाराधीन हैं।

गिरिडीह कोयला खानें

†***१८५६. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री २ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गिरिडीह कोयला खानों की आर्थिक कार्यपद्धति के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन, जो दिसम्बर, १९५५ के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया गया था, का परीक्षण संभवतः कब तक अंतिम रूप से तय हो जायेगा ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : कोयला उत्पादन और विकास आयुक्त की टिप्पणियां अभी हाल में प्राप्त हुई हैं और समिति की सिफारिशों संबन्धी विनिश्चयों पर यथासंभव शीघ्र ही विचार किया जायगा।

केन्द्रीय क्रय संगठन

†***१८५८. श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय क्रय संघठन ने १९५५ अथवा १९५६ में सरकारी क्रय के सम्बन्ध में कोई डायरेक्टरी प्रकाशित की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन-किन विभागों ने केन्द्रीय क्रय संघटन से कहा है कि वह उनके द्वारा चीजें खरीदने के बजाय स्वयं चीजें खरीदना चाहते हैं; तथा

(ग) विमुक्ति मांगने के कारण क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री नास्कर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकारी विभाग समय समय पर केन्द्रीय क्रय संघठन से सीधे क्रय के लिये तदर्थ मंजूरी देने की प्रार्थना करते हैं तथा इस तरह की प्रार्थना पर गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाता है । रेल विभाग के इंजनों तथा डिब्बों आदि की सीधी खरीद के लिये तथा प्रतिरक्षा सेवाओं के अस्त्रशस्त्र तथा गोलाबारूद की सीधी खरीद के लिये मंजूरी दी गई है ।

(ग) सीधी खरीद के लिये जो कारण बताये जाते हैं वह नीचे दिये गये हैं :—

(१) बाढ़, भूकम्प आदि के अवसरों पर अथवा मशीनरी तथा संयंत्र संचालन में अवरोध उत्पन्न होने पर आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिये सामान की आवश्यकता पड़ती है;

(२) व्यादेश देने वाले विभाग विशेषीकृत सामान स्वयं अच्छी तरह खरीद सकते हैं; तथा

(३) संधारण स्टाक की पूर्ति के लिये जहां कि उसके निम्नतम स्तर से नीचे गिर जाने की आशंका है, सामान की आवश्यकता पड़ती है ।

नमक

†*१८५९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम रेल कडी के दोनों ओर अर्थात् कटिहार तथा गौहाटी के स्थानों पर नमक जो कि आसाम के बाहर से लाया जाता है, के परचून मूल्यों का स्तर क्या है;

(ख) क्या यह कठिनाई सामान्य परिवहन व्यय के कारण है अथवा असाधारण परिस्थितियों के कारण है; तथा

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) प्रति सेर नमक की कीमत निम्नलिखित है :

कटिहार	दो आने
बारपेटा	ढाई आने

(ख) आसाम राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण परिवहन व्यय बढ़ जाता है जिसके परिणाम-स्वरूप आसाम में कीमतें अधिक रहती हैं ।

(ग) आसाम रेल कडी पर परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां ज्यों ज्यों उत्पन्न होता है त्यों-त्यों उन्ह दूर किया जाता है ।

मोनाजाइट निक्षेप

†*१८६०. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास तट का पूर्व-परीक्षण किये जाने के परिणामस्वरूप कुछ मोनाजाइट निक्षेपों का पता चला है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खाँ)** : जी, हां ।

विदेशों में भारतीयों द्वारा उद्योगों में लगाई गई पूंजी

†१६०८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीयों द्वारा बर्मा, पाकिस्तान, नेपाल, और लंका में उद्योगों में लगाई गई पूंजी कुल कितनी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन देशों में भारतीयों के उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे प्रतिबन्ध किस प्रकार के हैं और वे कब लगाये गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारतीयों द्वारा पाकिस्तान और लंका में उद्योगों में लगाई गई पूंजी का कोई प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है । बर्मा और नेपाल के प्राक्कलन भी बहुत विश्वसनीय नहीं हैं किन्तु अनुमान है कि बर्मा में भारतीयों द्वारा उद्योगों में लगभग २।। करोड़ रुपये लगाये गये हैं और नेपाल में लगभग १५।। करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग). बर्मा, नेपाल और लंका में भारतीयों के उद्योगों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं हैं । विदेशी संस्थाओं के संस्थापन पर लागू विद्यमान विधियों के अधीन रहते हुये इन देशों में भारतीयों को व्यापारिक स्वन्त्रता प्राप्त है । पाकिस्तान में भी भारतीय पूंजी के विनियोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं दिखाई देता किन्तु भारतीय उपक्रमों के संचालन पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू होते हैं :

(१) पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय व्यवसायों से प्राप्त मुनाफे पाकिस्तान के राज्य बैंक की अनुमति के बिना भारत नहीं भेजे जा सकते । पता चला है कि ऐसी अनुमति शायद ही कभी दी जाती है ।

(२) पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय उद्योगों में कार्य करने वाले भारतीय अपने भारत स्थित आश्रितों को पाकिस्तान के राज्य बैंक की अनुमति के बिना रुपया नहीं भेज सकते । पाकिस्तान का राज्य बैंक इस प्रकार के प्रेषणों में आम तौर पर सम्बन्धित व्यक्ति की कुल आय के १० से लेकर १५ प्रतिशत भाग की अनुमति देता है ।

(३) पश्चिमी पाकिस्तान स्थित भारतीय उद्योगों में जब कभी कोई भारतीय निकाला जाता है अथवा अवकाश प्राप्त करता है तब उसका स्थान किसी पाकिस्तानी को दिया जाना अपेक्षित होता है । पूंजी के निर्गमन, प्रत्यादान आदि विषयों में भारतीय उद्योगों को अनेक स्थानीय नियमों का पालन करना पड़ता है ।

ग्राम तेल-उद्योग

†१६०९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेप्सू सरकार ने ग्राम तेल-उद्योग के विकास के लिये दी गई ७५०० रुपये की रकम का उपयोग नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) और (ख). १९५५-५६ में ग्राम तेल-उद्योग के विकास हेतू पेप्सू सरकार को ७५०० रुपये की स्वीकृति दी गई थी किन्तु उस वर्ष उसका उपयोग नहीं किया गया । १९५६-५७ के लिये राज्य सरकार ने ४५,२०० रुपये की योजना भेजी है । अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय सरकार १९५६-५७ के लिये राज्य सरकार को जो अनुदान देगी उसमें वह रकम भी शामिल कर ली जायेगी जो १९५५-५६ में राज्य सरकार को वास्तव में दी गई थी ।

सूचना केन्द्र

†१६१०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में खोले जाने वाले सूचना केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनके लिये अभी तक कौन से स्थान चुने गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). चालू वर्ष के प्रारम्भ से अब तक बिहार और उत्तर प्रदेश की राजधानियों में सूचना केंद्र खोले गये हैं और मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश और पेप्सू राज्यों की राजधानियों में भी उन के खोले जाने की संभावना है। राज्यों द्वारा उनकी योजनाओं के अनुसार जिलों के सदर मुकामों में सूचना केंद्र शीघ्र ही खोले जायेंगे। अभी तक ऐसे ७१ केंद्र खोले जा चुके हैं और २२१ केंद्रों (उत्तर प्रदेश के जिलों के सदर मुकामों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण नगरों के ६२ केंद्र सहित) के ३१ मार्च, १९५७ से पहले खोले जाने की संभावना है। सामुदायिक परियोजनाओं के खण्डों के सदर मुकामों में ६९५ केन्द्र खोले जा चुके हैं और मार्च १९५७ से पहले ५०० केन्द्र और खोले जाने की संभावना है। खण्डों के सदर मुकामों को इस के लिये पसन्द करना सामुदायिक परियोजना प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करता है।

रेस्टा नमक

†**१६११. श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेस्टा नमक बिटर्न का एक उपोत्पाद है;

(ख) यदि हां, तो सांभर झील और अन्य स्थानों पर क्रमशः यह नमक प्रति वर्ष कितने मन तैयार किया जाता है; और

(ग) नमक की अन्य किस्मों की तुलना में यह नमक कैसा है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) नहीं।

(ख) यह नमक केवल सांभर झील में बनाया जाता है और उसका औसत वार्षिक उत्पादन लगभग ९,२५,००० मन है।

(ग) वहां पर बनाये जाने वाले 'पान' नमक और 'क्यार' नमक में सोडियम क्लोराइड के ९५·२५ प्रतिशत और ९५·५ प्रतिशत अंश की तुलना में रेस्टा नमक में उसका अंश ९७·६ प्रतिशत है।

कंघा-निर्माण

†**१६१२. श्री देवगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने-कितने मूल्य के प्लास्टिक और सींग के बने हुये कंघों का आयात किया जाता है ;

(ख) वे किन देशों से आयात किये जाते हैं;

(ग) कितने मूल्य के प्लास्टिक और सींग के कंघों का निर्माण देश में किया जाता है;

(घ) क्या यहां से कंघों का निर्यात भी किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उन का मूल्य कितना है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कंघों के आयात की अनुमति नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि व्यापार क आंकड़ों में इन का रिकार्ड अलग नहीं रखा जाता।

नेपाल को टेक्नीकल सहायता

†**१६१३. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा अभी तक नेपाल को कितने न्यायिक, शिक्षा तथा अन्य टेक्नीकल कर्मचारी भेजे जा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कोलम्बो योजना की टेक्नीकल सहयोग योजना तथा आर्थिक सहायता योजना के अधीन अल्प कालीन तथा दीर्घ कालीन दोनों प्रकार के आधारों पर नेपाल को भेजे गये न्यायिक, शिक्षा तथा अन्य टेक्नीकल कर्मचारियों का ब्योरा इस प्रकार है :

१. कोलम्बो योजना की प्रविधिक सहयोग योजना के अधीन भेजे गये कर्मचारी :

न्याय विशेषज्ञ	१
शिक्षा विशेषज्ञ	१
वन विद्या, क्षय रोग चिकित्सा, दूर संचार और बैंकिंग के टेक्नीकल विशेषज्ञ	१०

२. कोलम्बो योजना की आर्थिक सहायता योजना के अधीन भेजे गये कर्मचारी :

छोटे सिंचाई कार्यों के लिये ३ सहायक इंजीनियर
४ सहायक भूतत्ववेत्ता, और लगभग ५० सर्वेक्षक और निम्न दर्जे के टेक्नीकल कर्मचारी,
१ डाक्टर,
५ असैनिक चिकित्सा पदाधिकारी,
४१ चिकित्सक,
नेत्र चिकित्सा कैम्पों के सम्बन्ध में ८ से १० डाक्टरों के ५ दल ।

उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने रेलवे, असैनिक उड्डयन और जल-विद्युत् विभागों में से दो-दो टेक्नीकल कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि-मंडल भेजे हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्तियां

†**१६१४. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अधीन केवल पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये अब तक बनायी गयी बस्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन बस्तियों में टेक्नीकल प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं;

(ग) क्या इन में से किसी बस्ती में कोई उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं; और

(घ) क्या इन बस्तियों के लिये कोई सामुदायिक परियोजनायें भी हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ६४५

(ख) और (ग). ९० प्रशिक्षण योजनाओं की और दर्मियाने दर्जे के, छोटे और कुटीर उद्योगों के लिये ४१ योजनाओं की स्वीकृति दे दी गयी है ।

(घ) जी, हां । पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में ३३ बस्तियों के लिये ।

भारत-नेपाल सीमा पर बाढ़-नियंत्रण और सिंचाई-कार्य

†**१६१५. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरों के एक दल ने बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई-कार्यों के लिये उपयुक्त स्थानों की खोज में उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने नेपाल के शहर बुटवाल के उत्तर में एक जल-प्रपात का पता लगाया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो उस प्रपात की ऊंचाई कितनी है ; और

(ङ) क्या उस प्रपात की संसार के किसी अन्य ऊँचे जल प्रपातों के साथ तुलना की जा सकती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) उन्होंने कुछ ऐसे स्थानों का पता लगाया है जो कि जलाशयों के लिये उपयुक्त सिद्ध होंगे, इसके सम्बन्ध में अभी और खोज की जा रही है ।

(ग) उन्हें किसी उल्लेखनीय जल-प्रपात का पता नहीं लगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात का आयात

†**१६१६. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश की मांग को पूरा करने के लिये निजी व्यापारियों को विदेशों से इस्पात का आयात करने के लिये प्रोत्साहन दिया है या क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: जी, हां । आयात लाइसेंस देने की नीति को उदार बना दिया गया है और लाइसेंस अबाध रूप से जारी किये जा रहे हैं । आयात की मात्रा बढ़ाने के लिये इस्पात की महत्त्वपूर्ण किस्मों, जैसे इस्पात की चादरों, प्लेटों, रेल की पटरियों, सींकचों, डंडों और संरचनात्मकों पर से शुल्क हटा दिया गया है ।

कुट्टनाद विकास योजना

†**१६१७. श्री वेलायुधन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कुट्टनाद विकास योजना के लिये जिसमें थोट्टापल्ली निर्गम मार्ग भी सम्मिलित है, कोई अनुदान अथवा सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुदान उस राज्य में योजना के निर्माण में कहां तक सहायक सिद्ध हुआ है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)**: (क) जी, हां ।

(ख) योजना अब पूरी होने वाली है ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग

†**१६१८. श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग की विद्युत् शक्ति सम्बन्धी उप समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है जिसमें एक टेक्नीकल अध्ययन-दौरे का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सरकार को एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के सचिवालय से अभी कोई अधिकृत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर बिहार नलकूप तथा विद्युतीकरण योजना

†१६१९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार नलकूप तथा विद्युतीकरण योजना की कार्यान्विति में ३१ मार्च, १९५६ तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) इन नल-कूपों से विभिन्न जिलों में अब तक किन क्षेत्रों की सिंचाई की जा चुकी है;

(ग) ऐसी सिंचाई के लिये पानी किस दर पर दिया जाता है;

(घ) बिजली घरों की कुल क्षमता क्या है और इन में आजकल बिजली का उत्पादन कितना है तथा कितनी बिजली का उपयोग होता है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में विस्तार की भावी योजनायें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) और (ग). उत्तर बिहार में लगाये गये ४५० नल-कूपों में से फरवरी १९५६ तक ३२१ में बिजली लगाई जा चुकी है और पानी निम्न दरों पर दिया जा रहा है :—

खरीफ के दौरान में ३०,००० गैलन के लिये २ रुपये ।

रबी के दौरान में ३०,००० गैलन के लिये ३ रुपये ।

गर्मियों की ऋतु में ३०,००० गैलन के लिये ४ रुपये ।

(ख), (घ) और (ङ). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद

†१६२०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में ईरान से कितना पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद आयात किया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : एक विवरण जिसमें १९५५-५६ में ईरान से आयात किये गये पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद की मात्रा बताई गई है लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५]**

सरकार का छपाई का काम

†१६२१. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में निजी छापाखानों ने सरकार के लिये छपाई का कितना काम किया था;

(ख) निजी छापाखानों को किस प्रकार का काम सौंपा जाता है; और

(ग) निजी छापाखानों को काम देने का ढंग क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) सरकार का छपाई का जो काम निजी छापाखानों को दिया गया था उसका मूल्य निम्न था :—

१९५४	१८,५०,१९९ रुपये
१९५५	२२,०४,२७९ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जब सरकार के छापाखाने किसी अन्य कार्य के करने में लगे हुये हों और उसके अतिरिक्त कार्य करना उनकी क्षमता से बाहर हो तब निजी छापाखानों को काम सौंपा जाता है । परिस्थितियों के अनुसार इस काम में प्रपत्रों की छपाई और बड़े-बड़े प्रकाशनों की छपाई भी सम्मिलित होती है ।

(ग) काम या तो तुलनात्मक टैण्डर के आधार पर दिया जाता है या अविलम्बनीयता के मामले में अनुमोदित सूची में से छापाखानों को अनुसूची दरों पर दिया जाता है ।

लिगनाईट

†१६२२. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीवेली के लिगनाईट कोयले का बसों और लारियों में ईन्धन के रूप में उपयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दशा में कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: (क) कुछ समय पूर्व लारियों और बसों को गैस देने वाले एक प्रोड्युसर गस संयंत्र में लिगनाईट कोयले का प्रयोग किया गया था और परिणाम काफी संतोषजनक निकले थे । फिर भी जब तक हाल में जर्मनी की लूरगी की प्रयोगशालाओं में किये गये बहुत से नमूनों के विश्लेषण और प्रयोगों के परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते और उनकी जांच नहीं की जाती तब तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

(ख) जब नीवेली परियोजना की स्वीकृति दे दी जायेगी और लिगनाईट की खुदाई का कार्य आरम्भ हो जायेगा तब प्रोड्यूसर गैस संयंत्र में उपयोग के लिये लिगनाईट की कच्ची रेत या जले हुये लिगनाईट को परिवहन गाड़ियों के चालक खरीद सकेंगे ।

कर्मकारों की सुरक्षा समितियां

†१६२३. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन परियोजनाओं के नाम दिये गये हों जिनमें सुरक्षा समितियां और कर्मकारों की सुरक्षा समितियां अब तक बनाई जा चुकी हैं और यह भी बतायेंगे कि क्या इन समितियों में कर्मकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और जितनी जल्दी सम्भव होगा उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

उड़ीसा में सीलेरियो नदी पर बांध

†१६२४. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुर ज़िले में बालीमेला स्थान पर सीलेरियो नदी पर बांध के निर्माण के सम्बन्ध में क्या उड़ीसा सरकार न भारत सरकार की मंजूरी के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का परिणाम क्या है;

(ग) इस परियोजना का अनुमानित व्यय क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मांगी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ). उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी विज्ञापन

†१६२५. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशी भाषाओं के साप्ताहिक, पाक्षिक, तथा मासिक पत्र पत्रिकाओं की (भाषावार) संख्या कितनी है जिन्हें १९५५-५६ में सरकारी विज्ञापन दिये गये थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६]**

प्रलेखीय चलचित्र

†१६२६. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** लोक-सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) उन प्रलेखीय चलचित्रों और समाचार चलचित्रों के नाम क्या हैं जिन्हें देशवार १९५५ में चलचित्र विभाग और वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजा गया था; और

(ख) उन चलचित्रों को किस आधार पर चुना गया था ?

† **प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस--१६१/५६]**

(ख) चलचित्र का चुनाव उसके विषय के उपयुक्त होने, और उस का टेक्नीकल और कलात्मक स्तर काफी ऊंचा होने के आधार पर किया जाता है। उन चलचित्रों पर जिनमें भारत में किये जाने वाले रचनात्मक कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया हो, विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

भारतीय चलचित्र

†१६२८. **श्री मादिया गौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने फर्म चलचित्रों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) सरकार उन पर किस प्रकार का नियंत्रण रखती है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय चलचित्र विवाचन बोर्ड ने वर्षवार कितने चलचित्रों का प्रमाणन किया; और

(घ) कितने चलचित्रों का आयात किया गया और कितनों का निर्यात ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि निर्माताओं को अनुज्ञप्ति देने या पंजीयित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) सिवाय इस बात के कि प्रदर्शन के लिये चलचित्रों के प्रमाणन का निर्णय केन्द्रीय चलचित्र विवाचन बोर्ड करता है, और किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग)	वर्ष	भारतीय	आयात किये हुये
	१९५१	१०५०	२९५८
	१९५२	६३१	२४४७
	१९५३	६८०	१७०३
	१९५४	६९१	१७१४
	१९५५	७८५	१९७८

(घ) आपका ध्यान २१ मार्च १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर के भाग (क) और (ख) की ओर, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने दिया था, आकर्षित किया जाता है।

टीन की चादरों के कोटे

†१६२९. **श्री के० के० बसु** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद की मैसर्ज हिन्दुस्तान टिन फैक्टरी और डालमियाँनगर की रोजेज इंडस्ट्री को टीन की चादरों का अधिकतम कितना कोटा दिया गया था ;

(ख) ये आवंटन किस आधार पर किये गये थे ;

(ग) क्या किसी मामले में साधारण प्रक्रिया का अनुसरण छोड़ दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हिन्दुस्तान टिन फैक्टरी गाजियाबाद को १/५६ की अवधि के लिये २०७ टन कोटा दिया गया था।

हमें रोजेज इंडस्ट्री डालमियाँनगर नाम की किसी फर्म का पता नहीं है।

(ख) आई० एण्ड एम० सी० का पत्र (संख्या आई० एम० ए०, ७३/९/टी पी, दिनांक २१-१०-५४) जिसमें आवंटन किन आधारों पर किया जाता है, इस का उल्लेख है संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ग) और (घ): हिन्दुस्तान टिन फैक्टरी के मामले में साधारण प्रक्रिया लागू नहीं होती थी।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन उसे जो अनुज्ञप्ति दी गई थी उसकी यह शर्त थी कि "टीन की चादरें फर्म को उस का वास्तविक काम देखकर दी जायेंगी, जब तक कि उसे अपनी संस्थापित क्षमता का अनुभव न हो जाये।" इसलिये टीन की चादरें समय समय पर फर्म का काम देख कर दी जा रही हैं।

त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों को सहायता

†१६३०. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष भयानक आंधियों से पीड़ित, त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों को सहायता के लिये दी गई कुछ राशि केन्द्र को लौटा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र राज्य के लिये विकास परियोजनायें

†१६३१. **श्री गाडिलिंगन गौड़**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके लिये आंध्र सरकार ने वर्ष १९५५-५६ के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) उन परियोजनाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके लिये सहायता की मंजूरी दी गई है ;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) क्या मंजूर की गई कुल राशि का पूरा पूरा उपयोग कर लिया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

घानी तेल

†१६३२. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र में घानी तेल के उत्पादन के विकास के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ;

(ख) ऐसे तेल के उत्पादन में लगी हुई तेलियों की सहकारी संस्थाओं की संख्या कितनी है ;

(ग) ऐसी कितनी सहकारी संस्थायें हैं जिनको कोई भी सहायता, प्रविधिक अथवा अन्य, नहीं दी गई जिसके परिणामस्वरूप उनका काम बन्द है ; और

(घ) तेलियों की निष्क्रिय सहकारी संस्थाओं को चलाने के लिये क्या कोई प्रस्ताव है और यदि है तो क्या ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सुख-सुविधा सर्वेक्षण समिति

†१६३३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित सुख-सुविधा सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन स्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या सि ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) श्रीमान् अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

सूखे पोतघाट (डाक) का निर्माण

१६३४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम् पर सूखे पोतघाट का निर्माण करने के बारे में अनमान तैयार करने के लिये एक ब्रिटिश फर्म से कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) और (ख). प्राथमिक रूपांकन तथा अनुमान तैयार करने के लिये एक ब्रिटिश फर्म से प्रबन्ध किया गया था ; परन्तु कोई औपचारिक समझौता नहीं किया गया। इस कार्य के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इस फर्म को २००० पौंड की राशि तथा शुष्क पोतघाट के स्थान का वीक्षण करने के लिये फर्म के प्रतिनिधि की यात्रा तथा निर्वाह का खर्च देना स्वीकार किया है।

साबूदाना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

†१६३५. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबूदाना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) स्वास्थ्य तथा पोषण की दृष्टि से उसकी क्या उपपत्तियां हैं ; और

(ग) इन के सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं श्रीमान, अभी नहीं।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

सहकारी कताई मिलें

†१६३६. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी कताई मिलें स्थापित करने का विचार है ;

(ख) उनकी अंश पूंजी क्या होगी ; और

(ग) वे किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (ग). इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

आकाशवाणी, शिमला

१६३७. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २५ मार्च, १९५६ को काली बाड़ी में आकाशवाणी, शिमला, द्वारा मनाये गये रेडियो सप्ताह कार्यक्रम में कितने कलाकारों ने भाग लिया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : रेडियो सप्ताह के सम्बन्ध में नहीं, होली उत्सव के सम्बन्ध में कालीबाड़ी में आकाशवाणी, शिमला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में (६ विभिन्न दलों में) ५४ कलाकारों ने भाग लिया था।

आकाशवाणी, शिमला

†१६३८. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के शिमला केंद्र में कलाकारों का श्रेणी अथवा वर्गवार नियमित रजिस्टर रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र की नियमित सूची में प्रत्येक श्रेणी में कितने कलाकार हैं ; और

(ग) उन में अनुसूचित जातियों के कितने कलाकार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) ४५ 'साधारण' और १५ 'अच्छे' ।

(ग) कलाकारों को केवल उनकी कला-सम्बन्धी योग्यता देखकर रखा जाता है । इसलिये उनकी जाति अथवा सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखी जाती ।

वामनपुरम् में बांध निर्माण

†१६३९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेदुमांगद तालुक में वामनपुरम् के स्थान पर एक बांध बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). राज्य सरकार ने साधारण और छोटी परियोजनाओं के लिये अपनी संशोधित योजना में १९०,०० लाख रुपये की व्यवस्था की है । निर्माण कार्यों के नाम नहीं दिये गये हैं ।

आसाम की नदियां

†१६४०. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अनुमान लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि आसाम की ब्रह्मपुत्र, मोनास, कथीली और आई नदियों में प्रति वर्ष कुल कितना पानी बहता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कुछ नदियों के पानी को द्वितीय योजना में बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं द्वारा प्रयोग में लाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) आसाम में कुछ बहु प्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं की जांच की जा रही है । जांच समाप्त होने के पश्चात् परियोजनाओं की क्रियान्विति इस बात पर निर्भर होगी कि वे टेकनीकल और वित्तीय पहलुओं से किस हद तक साध्य हैं ।

कोयला

†१६४१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की खानों की ऐसी कम्पनियों की संख्या क्या है जिनका उत्पादन १० लाख टन से अधिक है ; और

(ख) १९५४ और १९५५ में इन कम्पनयिों का कुल उत्पादन कितना था ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) चार ।

(ख) १९५४ — ६,७८७,९४३ टन

१९५५ — ६,८००,७२७ टन

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१९६६–८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८३४	बर्मा में भारतीय	१९६६–६८
१८३६	पूर्वी जर्मन व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय	१९६८–६९
१८३९	जापान द्वारा अयस्क का आयात...	१९६९–७०
१८४५	पटुआ का निर्यात	१९७०–७१
१८४७	नारियल जटा-बोर्ड	१९७२–७३
१८४८	सूती कपड़े का निर्यात	१९७३–७५
१८५२	अलौंग में हवाई अड्डा	१९७५
१८५३	कच्चे मेंगनीज पर निर्यात शुल्क ...	१९७५–७६
१८५४	जलपोत निर्माण उद्योग ...	१९७६–७७
१८५५	नेकोवाल दुर्घटना	१९७७–७९
१८५७	भारत-पाकिस्तान नहरी पानी समझौता ...	१९७९–८०
१८६१	राष्ट्रीय विकास परिषद्	१९८०–८१
१८३५	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड... ...	१९८१–८३
१८४३	अफ़्रीकी देशों को वित्तीय सहायता	१९८३
१८४४	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुर्तगाल का मामला ...	१९८३–८४
१८६२	मद्रास के लिये कोयला	१९८४–८५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१३	कलकत्ता बन्दरगाह में आपात	१९८५–८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		... १९८७–२००१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८३७	दक्षिण भारत में कताई मिलें	१९८७
१८३८	नदी घाटी परियोजनाओं के लिये शिल्पिक कर्मचारी	१९८७
१८४०	केन्द्रीय क्रय संगठन...	१९८७
१८४१	हंगरी में राजदूतावास	१९८८
१८४२	सीमेंट के भाव	१९८८
१८४६	अम्बर चर्खा	१९८८
१८४९	उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण	१९८८–८९
१८५०	मलाया का अभिकरण	१९८९
१८५१	त्रिपुरा के लिये औद्योगिक सहायता योजना...	१९८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८५६	गिरिडीह कोयला खानों	१९८९
१८५८	केन्द्रीय क्रय संगठन...	१९८९–९०
१८५९	नमक	१९९०
१८६०	मोनाजाइट निक्षेप	१९९०
१६०८	विदेशों में भारतीयों द्वारा उद्योगों में लगाई गई पूंजी ...	१९९०–९१
१६०९	ग्राम तेल उद्योग	१९९१
१६१०	सूचना केंन्द्र	१९९१–९२
१६११	रेस्टा नमक	१९९२
१६१२	कंघा निर्माण	१९९२
१६१३	नेपाल को टेकनीकल सहायता	१९९२–९३
१६१४	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्तियां ...	१९९३
१६१५	भारत-नेपाल सीमा पर बाढ़-नियंत्रण और सिंचाई कार्य ...	१९९३–९४
१६१६	इस्पात का आयात... ...	१९९४
१६१७	कुट्टनाद विकास योजना	१९९४
१६१८	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग	१९९४
१६१९	उत्तर बिहार नलकूप तथा विद्युतीकरण योजना	१९९५
१६२०	पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद	१९९५
१६२१	सरकार का छपाई का काम	१९९५–९६
१६२२	लिगनाइट	१९९६
१६२३	कर्मकारों की सुरक्षा समितियां...	१९९६
१६२४	उड़ीसा में सीलेरियो नदी पर बांध	१९९६
१६२५	सरकारी विज्ञापन	१९९७
१६२६	प्रलेखीय चलचित्र	१९९७
१६२८	भारतीय चलचित्र	१९९७–९८
१६२९	टीन की चादरों के कोटे	१९९८
१६३०	त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों को सहायता	१९९८
१६३१	आंध्र राज्य के लिये विकास परियोजनायें	१९९९
१६३२	घानी तेल	१९९९
१६३३	सुख-सुविधा सर्वेक्षण समिति	१९९९
१६३४	सूखे पोतघाट (डाक) का निर्माण	१९९९–२०००
१६३५	साबूदाना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	२०००
१६३६	सहकारी कताई मिलें	२०००
१६३७	आकाशवाणी, शिमला	२०००
१६३८	आकाशवाणी, शिमला	२०००–०१
१६३९	वामनपुरम् में बांध निर्माण	२००१
१६४०	आसाम की नदियां	२००१
१६४१	कोयला	२००१

M51LSD—190—19-6-57—GIPF

खण्ड ४ — अंक ५५
१ मई, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha (XII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, १ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

११.३७ म० पू०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

रेशम बोर्ड के १-४-१९५५ से ३१-१२-१९५५ तक के कार्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं, श्री के० सी० रेड्डी की ओर से, २९ जुलाई, १९५२ को केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में लोक-सभा पटल पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड के १–४–१९५५ से ३१–१२–१९५५ तक के कार्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन की एक प्रति रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० १४४/५६**]

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं, श्री के० एस० राघवाचारी की ओर से, संसद् राज्य विधान मण्डलों, और उनकी समितियों की कार्यवाही के प्रतिवेदनों के प्रकाशन को संरक्षण देने वाले विधेयक से सम्बन्धित प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा, श्री पाटस्कर द्वारा १२ दिसम्बर, १९५५ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी :

"कि हिन्दुओं में वसीयतरहित (इच्छापत्र-हीन) उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

†**श्री एन० आर० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : कल मैंने कहा था कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये फिर परिचालित किया जाये, क्योंकि हम विधि की मिताक्षरा प्रणाली को एक सीमित रूप में प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा करने से हम इस आलोचना से बच सकेंगे कि हम ने जनता पर अचानक यह विधि लाद दी है ।

मुझे प्रसन्नता है कि पुत्रियों को भी उनके भाइयों के बराबर ही अंश दिया जा रहा है । लेकिन, खण्ड ६ के अनुसार, इसमें पुत्रियों और अविभाजित पुत्रों दोनों ही के साथ काफी विभेदपूर्ण बर्ताव किया गया है । मैं चाहता हूं कि इस खण्ड को फिर से प्रारूपित किया जाये । वर्तमान खण्ड ६ में दिया गया है कि जहां तक पुत्रियों का सम्बन्ध है, उनको अंशों का आवंटन करने के समय, अविभाजित पुत्रों के अंशों को तो एक साथ संचित किया जाये, पर विभाजित पुत्र के अंश को उसमें संचित न किया जाये । राज्य सभा ने इसे संशोधित कर दिया है । लेकिन ऐसा करने से तो संयुक्त परिवार में पिता और पुत्रियां ही रह जायेंगी । इस विधेयक के पारित होने के बाद और मृतक की मृत्यु से पहिले क्या होगा ? पिता की मृत्यु के पहिले औरों को तो उनका अंश मिल जायेगा, पर पुत्री को नहीं । मान लीजिये कि किसी पिता का अपना कोई भी अंश नहीं है और वह पुत्रों में अपनी सारी सम्पत्ति बांट देता है और विभाजन के पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अविभाजित पुत्र न होने के कारण इसके अनुसार, पिता और पुत्रियों को कुछ भी नहीं मिलेगा । मिताक्षरा प्रणाली में कुछ मामलों में इसकी अनुमति है कि विभाजन में पिता का कोई भी अंश न होने पर भी यदि विभाजन के बाद उसके कोई पुत्र उत्पन्न होता है, तो वह पुत्र समूची सम्पत्ति का फिर से विभाजन करा सकेगा । हमें पुनर्विभाजन का यह अधिकार पुत्रियों को भी देना चाहिये । पुत्रियों को समान अंश देने का यही उचित आधार बन सकता है । इस विधेयक के अनुसार तो अविभाजित सम्पत्ति में से ही पुत्रियों को अंश मिलेगा । यह समूची सम्पति में समान अधिकार देना तो नहीं हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य का आशय यह है कि यदि विभाजन १२ वर्ष पूर्व भी हुआ हो तो अब नवजात शिशु के लिये १२ वर्ष पूर्व सम्पत्ति का अंश पाने वाले और अलग हो जाने वाले पुत्र की सम्पत्ति को फिर से पिता की सम्पत्ति का हिस्सा मानकर पुनर्विभाजित करना चाहिये ?

†**श्री एन० आर० मुनिस्वामी** : उससे तो बड़ी अव्यवस्था होगी । वर्तमान खण्ड के अनुसार पुत्रियों के अंश के लिये अविभाजित पुत्र के अंश का ही संचय किया जायेगा । कम से कम इसे तो प्रभावी बना देना चाहिये । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पिता अपनी सम्पत्ति में से अपने लिये कोई भी अंश नहीं रखता है । ऐसे मामलों में तो पुत्रियों को कुछ भी नहीं मिल सकेगा । इसके लिये यह आवश्यक है कि विभाजित पुत्रों के अंशों को भी एक साथ संचित किया जाये और पुत्रियों को भी विभाजन के बाद उत्पन्न हुये पुत्रों के समान ही माना जाये और उनको भी सम्पत्ति का पुनर्विभाजन कराने का अधिकार दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इससे एक अनियमितता और उत्पन्न हो सकती है । खण्ड ३२ के अनुसार मिताक्षरा समांशी सम्पत्ति में एक पुरुष हिन्दू का हित उसके द्वारा वसीयत आदि की जा सकने वाली सम्पत्ति के बराबर माना जायेगा । वर्तमान विधि के अन्तर्गत कोई अविभाजित पुत्र सम्पत्ति के अपने अंश की वसीयत नहीं कर सकता है । पर यदि उक्त खण्ड ३२ के अनुसार उसे वसीयत का अधिकार मिल जाता है तो प्रत्येक अविभाजित पुत्र अपने अंश की वसीयत विभाजन से पूर्व ही कर देगा और तब पुत्रियों को कुछ भी नहीं मिल सकेगा । इससे तो पुत्रियों को खण्ड ६ में दिये गये अधिकार का निराकरण हो जाता है । इसीलिये मेरा सुझाव है कि विभाजन के बाद पुत्रियों को दिये जाने वाले अंश को निश्चित कर देना चाहिये । इसके लिये एक अवधि निश्चित की जानी आवश्यक है ताकि इस विधेयक के पारित होने के बाद उस अवधि तक मृतक की मृत्यु होने पर पुत्रियों को समान अंश देने के लिये विभाजित सम्पत्ति का पुनर्विभाजन किया जा सकता है ।

सन् १९३७ के अधिनियम में पत्नी को उसके जीवन पर्यन्त मृत पति की सम्पत्ति भोगने का अधिकार दिया गया था । वर्तमान विधेयक में उसको उस सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दे दिया गया है । मां अपनी सम्पत्ति की वसीयत कर सकती है । वह सारी सम्पत्ति अपनी पुत्रियों को दे सकती है । इस प्रकार, पुत्रियों को पिता की ओर से ही नहीं माताओं की ओर से भी अंश मिल सकेगा । मैं इसका स्वागत करता हूं ।

* * * *

खण्ड ३२ के अन्तर्गत कोई भी अविभाजित पुत्र अपने अंश की ऐसी एक वसीयत कर सकता है जो उसकी अपनी मृत्यु से पहले और पिता की मृत्यु के बाद प्रभावी हो । यह संविधान में प्रत्याभूत मूल अधिकारों के विरुद्ध है । माननीय मंत्री को इसे हटा देना चाहिये ।

अग्रक्रय के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को खरीदना चाहता है तो यह देखा जाना चाहिये कि उसके अंश का उसे कितना मूल्य मिल सकता है । खण्ड २४ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में यह प्रार्थना-पत्र देता है कि वह किस सम्पत्ति को खरीदना चाहता है और उसके लिये उसके अंश का मूल्य निर्धारित कर दिया जाये, पर वह बाद में उसे नहीं खरीदता, तो उसे उसका खर्च करना पड़ेगा । यदि एक ही अंशधारी हो तो यह ठीक हो सकता है, पर मान लीजिये कि उस सम्पत्ति में बारह अंशधारी हैं और उसके एक अंशधारी को ही पूरी लागत अदा करने के लिये कहा जाता है तो वह बहुत अधिक हो जायेगा । मेरा सुझाव यह है कि अग्रक्रय के बारे में विक्रेता और क्रय करने वाले दोनों ही को बराबर खर्च देने को कहा जाये, वह दोनों में बांट दिया जाये ।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया । यह एक ऐसा बिल है जिस पर अगर कोई मेम्बर साहबान सख्त बातें भी कहें तो हम लोगों को इसके लिये तैयार रहना चाहिये कि उनकी बातों को खामोशी के साथ हम सुनें । यह एक समाज सुधार का बिल है और इस पर लोगों के ख्यालात काफी सख्त हो सकते हैं ।

कल हमने पंडित ठाकुर दास भार्गव की काबिल तकरीर सुनी । वह हमारे यहां के बड़े तजुर्बेकार और कानूनी मेम्बर हैं । दुनिया का उन्हें तजुर्बा है । जिस तरीके पर कि उन्होंने यहां पर चीजें रखीं उनमें बहुत कुछ वजन है और उन बातों को हमें सोचना चाहिये । लेकिन मैं अदब से अर्ज करूंगा

**अध्यक्ष के आदेश से निकाल दिया गया ।

[श्री रघुवीर सहाय]

कि उन्होंने अपनी बातों को एक इन्तहा दर्जे तक पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ हमारी बहन सुभद्रा जोशी ने अपने ख्यालात इस बिल के बारे में रखे हैं। उन्होंने ज्यादातर भावुकता को इस्तेमाल किया है। जोश ज्यादा दिखलाया है। वह मुझे माफ करेंगी अगर वह इस हाउस (लोक-सभा) में हों, उन्होंने दानिशमन्दी का कम ख्याल किया। अगर आज हिन्दुस्तान में तमाम चीजें उनके ख्यालात के मुताबिक कर दी जायें तो हिन्दुस्तान न मालूम कहां पर पहुंच जाये।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा,—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर) : उनको इस बात की परवाह नहीं है।

श्री रघुवीर सहाय : हम लोग जो यहां पार्लियामेंट (संसद्) में बैठे हैं, हम सभी का यह फर्ज है कि दो इन्तहा दर्जे की बातों को सुनकर बीच का रास्ता निकालें। हमारे यहां हिन्दी में एक मसल है कि "सांप मरे लाठी न टूटे"। हमारा काम भी बन जाये लेकिन उसके साथ ही साथ समाज के जो दकियानूसी ख्यालात हैं, जो कि बहुत समय से चले आये हैं, उन पर ज्यादा जोरों का आघात और हमला भी न हो। मैं समझता हूं कि हमारे लीगल एफेअर्स (विधि-कार्य) के मिनिस्टर (मंत्री) श्री पाटस्कर साहब ने ऐसा ही रास्ता निकाला है। इस रास्ते पर चल कर वह कहां तक कामयाब होंगे यह दूसरी बात है। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि जितनी बातें उन्होंने इस बिल (विधेयक) में रखी हैं वे सब काबिले मंजूरी हैं, उनमें किसी तरमीम की जरूरत नहीं है, या इससे ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके पर वह इस बिल को धीरे धीरे इस दरजे तक लाये हैं यह एक बड़ी अकलमन्दी की बात है और समझदारी और जिम्मेदारी की बात है।

अब आप यह देखिये कि इस बिल की खास खास बातें क्या हैं और जो बात मैंने कही है कि एक बीच का रास्ता निकाला गया है वह कहां तक सही है। इस बिल में जो खास बातें हैं उनमें से एक तो यह है कि एक हिन्दू को इस बात का हक दिया गया है कि, चाहे वह ज्वांइट फैमिली प्रापर्टी (संयुक्त परिवार की सम्पत्ति) हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी (स्वर्अर्जित सम्पत्ति) हो, वह अपनी प्रापर्टी (सम्पत्ति) की जिस तरीके पर चाहे वसीअत कर सकता है, चाहे लड़के को दे सकता है, चाहे लड़की को दे सकता है, या किसी दूसरे रिश्तेदार को दे सकता है, या चाहे तो किसी को भी न दे। उसे वसीअत करने का पूरा हक है।

दूसरी खास बात इस बिल में यह है कि इस वक्त तक जो औरतों को प्रापर्टी में लिमिटेड राइट (सीमित अधिकार) हैं उसके लिये कहा गया है कि उसको पूरा राइट होना चाहिये। वह जिस तरीके पर चाहे अपनी जायदाद को इस्तेमाल कर सकती है और जो उसका लिमिटेड अधिकार है उसको खत्म कर दिया जाये।

तीसरे हमारे बहुत से दोस्तों को इस बात का भय था कि अगर यह बिल उसी सूरत में पास (पारित) कर दिया गया जिसमें कि वह पेश किया गया था तो देहात में काश्तकारी की जमीनें छिन्न भिन्न हो जायेंगी और गांवों की हालत खराब हो जायेगी। लेकिन मैं देखता हूं कि इस बिल में खास तौर एक क्लाज (खण्ड) रख दिया गया है कि जिसमें यह प्राविजन (उपबन्ध) किया गया है कि जो गांवों में खेती की जमीनें हैं उन पर यह लागू नहीं होगा बल्कि जो भिन्न भिन्न स्टेट्स (राज्यों) के टिनेन्सी लाज (काश्तकारी कानून) हैं वे ही लागू होंगे।

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या आपका आशय यह है कि राज्यों के विधान इस लोक सभा द्वारा पारित वधान को व्यर्थ बना देंगे ? तब तो इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुवीर सहाय : हमारे लायक दोस्त पांडे जी ने जो बात कही है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर दफा ४ के सब क्लाज (उपखंड) २ को देखें तो गालबिन उनके दिल के अन्दर और दूसरे मेम्बर साहिबान के दिल के अन्दर जो शक है वह दूर हो जायेगा। सब क्लाज २ में यह लिखा है कि "इस अधिनियम का कोई भी प्रभाव जोतों के छोटे-छोटे टुकड़े होने से रोकने के लिये या जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण के लिये ऐसी जोतों सम्बन्धी काश्तकारी अधिकारों के न्यसन की व्यवस्था करने वाली किसी विधि पर नहीं पड़ेगा।"

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड—सोरठ) : इसका अर्थ यह नहीं है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; इसका अर्थ यही है कि जोतें छोटे-छोटे टुकड़ों में न बटें।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : राज्य की विधियों द्वारा प्रदत्त काश्तकारी अधिकारों के न्यसन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : कितने राज्यों में .....

†**श्री पाटस्कर** : मैं उत्तर दूंगा और यदि आप सुनेंगे उससे सभी को संतोष हो जायेगा।

श्री रघुवीर सहाय : यह हो सकता है, जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, कि बाज बाज स्टेट्स में टेनेन्सी लाज न हों, वहां के बारे में इस कानून में तरमीम की जा सकती है। लेकिन एक आम प्रावीजन (उपबन्ध) ऐसा कर दिया गया है जिससे कि जो खतरा आनरेबुल मेम्बर्स (माननीय सदस्यों) के दिमाग में था वह दूर किया जा सकता है।

इस बिल में एक खास बात और भी है। मेम्बर साहिबान ने ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी (संयुक्त प्रवर समिति) में और दूसरी जगह भी यह खतरा जाहिर किया था कि अगर एक मकान है और उस मकान में उसका लड़का भी रहता है, कई भाई हैं, उनकी बहुएं भी रहती हैं और अगर लड़की जो कि दूसरे घर चली गयी है वह बाद में उस घर में हिस्सा लेना चाहे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस दिक्कत को दूर करने की भी कोशिश की गयी और इस बिल में यह रखा गया है कि लड़की बहुत खास सूरतों में ही मकान में रहने के अधिकार को ले सकती है। मैं समझता हूं कि इस प्राविजन से भी वह खतरा बहुत कुछ दूर हो जायेगा।

इसी तरीके पर एक ऐतराज यह भी किया गया था कि अगर लड़की को बाप का बुरसा मिलेगा और उस लड़की के कोई बच्चा नहीं है कि जो उसका वारिस बने, तो उस सूरत में उस बाप की जायदाद को जो दामाद के घर वाले हैं वह लेंगे। इस खतरे को भी दूर कर दिया गया है। अगर उसके कोई बच्चा नहीं है तो वह जायदाद वापस जायेगी और बाप के रिश्तेदारों और अजीजों को मिलेगी।

एक चीज इस बिल में खास रखी गयी है जिसकी वजह से यह तमाम झगड़े पैदा हो रहे हैं और वह यह है कि लड़की को लड़के को बराबर बिरासत में हक दिया जा रहा है।

मैं अर्ज करता हूं, जैसाकि मैंने शुरू में कहा था, कि ये इस बिल की खास चीजें हैं। लेकिन ये जबरदस्त तब्दीलियां हैं और इन की वजह से लोगों के दिलों में एक खलजान पैदा हो गया है। लोग यह समझते हैं कि इतनी तरमीमों को इस बिल में नहीं आना चाहिये था। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि जमाना बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है और हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं और हमको उनके मुताबिक चलना चाहिये और जो चेंजेज (परिवर्तन) और तरमीमें सोसाइटी (समाज)

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुवीर सहाय]

इस वक्त करना चाहती है उनको हमें मंजूर करना चाहिये। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में हमारे दोस्तों ने जो ऐतराजात बतौर मिनिट्स आफ डिस्सेंट (विमति टिप्पणियां) दिये थे उनको भी राज्य सभा में दूर करने की कोशिश की गयी है। मसलन शुरू के बिल में इस बात को रखा गया था कि जो नाजायज तरीके के बच्चे होंगे उनको भी वैसा ही अधिकार होगा जैसा कि जायज बच्चों को। लेकिन उसके बारे में देखा गया कि पब्लिक ओपीनियन (लोकमत) उसके काफी खिलाफ है और उससे और भी खराबियां पैदा होंगी, इसलिये उस चीज को हटा दिया गया। इस तरीके की और चीजों को कहने में चूंकि ज्यादा वक्त लगेगा इसलिये मैं उनको छोड़ता हूं।

मैं यह देख रहा हूं कि जितने भी एतराजात जिस जिस स्टेज (अवस्था) पर किये गये हैं उन ऐतराजात को पूरे तरीके पर समझने की कोशिश की गई है और जहां तक हो सका है उनको दूर करने की कोशिश की गई है।

अब आप देखिये कि सबसे बड़ी चीज जो इस बिल में रखी गई है और वह है वसीयत का हक। वसीयत का हक पहले सब हिन्दुओं के लिये खुला हुआ नहीं था। इस हक को देने से इस बिल का जो सबसे ज्यादा कड़वापन है वह निकल जाता है। और जिस वक्त कि आप वसीयत का हक एक हिन्दू को देते हैं तो इस बिल के अन्दर जितनी खराबियां हैं, वह मेरे ख्याल में दूर हो जाती हैं। अगर कोई शख्स अपनी लड़की को न देना चाहे तो न दे और अपने लड़के को न देना चाहे तो न दे, जैसे चाहे वसीयत करे। लेकिन जिस तरीके पर कि आज सोसाइटी चल रही है और जैसे कि लोगों के ख्यालात हैं, उस तरीके पर यह पूरी उम्मीद की जाती है कि कोई हिन्दू जिसके पास जायदाद ख्वाह वह मनकूला (चल) हो या गैर-मनकूला (अचल) हो, वह इस तरीके पर तकसीम करेगा कि उसके लड़के भी फायदा उठायें और लड़कियां भी फायदा उठायें, वह पूरे इंसाफ के साथ उनके हक को देखेगा। लेकिन इन तमाम बातों को कहने के बाद मैं यह समझता हूं कि यह बिल कोई फूल प्रूफ (बिलकुल ही त्रुटिहीन) नहीं है और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यह बिल ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं पर नुक्ता तबदील नहीं किया जा सकता या फुलस्टाप (विराम चिन्ह) तबदील नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसी बातें हैं जिनकी कि तरमीम की जा सकती है क्योंकि हमारे लायक मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कई मर्तबा कहा है कि इस बिल के लाने से हमारे यहां की जो सबसे बुरी रस्म दहेज की है, लेनदेन की है और जिसकी कि वजह से हिन्दुओं में आज कल एक बड़ी ही खराबी पैदा हो गई है, वह खराबी दूर हो जायेगी। मैं इस सिलसिले में उनसे बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं लेकिन बहुत जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह ख्याल उनका ठीक नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि दहेज की रस्म बराबर जिस तरीके पर जोरों के साथ जारी है, उसी तरह जारी रहेगी क्योंकि जो दामाद और जो लड़का अपनी शादी करना चाहता है उसके वालदैन उसकी शादी करना चाहते हैं, वह कहेंगे कि हमें दहेज में इस वक्त जो चीज हम चाहते हैं, वह दो। यह जायदाद का जो तुम ढकोसला रखना चाहते हो, तो वह तो तब मिलेगी जब लड़की का बाप मरेगा और बाप न मालूम कितने दिन बाद मरे, बीस वर्ष बाद मरे या कितने वर्ष में मरे, किसी को क्या पता, इसलिये मैंने जो लड़के को पढ़ाया लिखाया है उसके लिये तुम मुझे इसी वक्त डाउरी (दहेज) दे दो। कहने का मतलब यह है कि यह डाउरी का सिस्टम (दहेज प्रथा) इस बिल के पास होने से दूर नहीं हो सकती। मेरा ख्याल यह है कि इस डाउरी सिस्टम के बारे में खास तौर से एक प्राविजन मैरिज बिल (विवाह विधेयक) में करना चाहिये था, आपने वह नहीं किया और मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा भारी ओमिशन (लुप्ति) इस में हमने छोड़ दिया है जिसकी कि वजह से हिन्दू जाति नुकसान उठायेगी और नुकसान उठा रही है।

एक सबसे बड़ी चीज इसमें यह रखी गई है और वह यह है कि हिन्दू अपनी जायदाद की वसीयत कर सकता है। जहां तक वसीयत के अखितयार की बात है वह बहुत ठीक है और मुनासिब है और लोगों को वसीयत करनी चाहिये लेकिन यह कहा जा सकता है कि वसीयत तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, शहर में रहने वाले कर सकते हैं, और कानून के वाकिफ कर सकते हैं लेकिन वह करोड़ों इंसान जो देहातों में रहते हैं और जो एक लफ्ज भी नहीं पढ़े हैं, जो कानून नहीं जानते हैं और जिनके कि पास जायदाद भी है, जमीन भी है, धन भी है वह लोग क्या वसीयत करेंगे ? उनका यह समझना कि इसकी वजह से गांवों में झगड़े और टंटेबाजी ही बढ़ेगी, मैं अर्ज करता हूं कि यह उनका जायज खतरा है और इस जायज खतरे को दूर करने के लिये हमारे मिनिस्टर साहब को कोशिश करनी चाहिये।

आखिर में अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि शुरू में भी मेरा यही ख्याल था कि इस बिल की मुखालफत होनी चाहिये लेकिन जिस जिस तरीके पर पब्लिक ओपीनियन को बदलते मैंने देखा तो मैंने पाया कि इसके मुताल्लिक राय आम्मा बदल रही है और मैंने भी अपनी राय को बदलना शुरू किया।

मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करूंगा कि करीब तीन चार महीने हुये, मेरी कांस्टीटुएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) में एक लड़के और लड़कियों का इस विषय को लेकर डिबेट (वाद विवाद) हुआ और इत्तिफाक से वहां के आर्गेनाइजर्स (संगठनकर्त्ता) ने यह कहा कि मैं उस पर प्रीसाइड (अध्यक्षता) करूं। सक्सैसशन बिल (उत्तराधिकार विधेयक) पर वहां बहस होनी थी। मैं आपसे सच कहता हूं कि १५, १५ और १६, १६ वर्ष की लडकियां और लड़कों की स्पीचेज (भाषणों) को सुन कर तबीयत बहुत खुश हुई.....

एक माननीय सदस्य : और आपकी राय तबदील हो गई।

श्री रघुवीर सहाय : उन लड़के और लड़कियों की खुद की स्पीचेज नहीं थीं, वह तो उनके वालदैन ने तैयार कराई थीं और जब मैं ने उन बच्चों को इस विषय पर बोलते सुना तो मेरे दिल पर यह असर हुआ कि वाकई हिन्दू समाज में इस वक्त कुछ तबदीली पैदा हो रही है और यह लड़के और लड़कियां हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक में जो प्राविजंस (उपबन्ध) रखे गये हैं, उनको देख करके खुश हो रहे हैं और उन के बारे में जो यह कह रहे हैं, वे अपने मां, बाप के खयालात को जाहिर कर रहे हैं और उसका मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि मैंने यह तय किया कि मैं भी अपनी रजामंदी और मंजूरी इस बिल के लिये यहां पर पेश कर दूं।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी–पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं इस बिल के सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं अपने विधि मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इतनी मेहनत और कोशिश के बाद यह बिल (विधेयक) हमारे सामने पेश किया है।

कल से मैं बराबर इस बिल के सम्बन्ध में व्याख्यान सुन रही हूं और मैं भी आज चूंकि अवसर मिला है, उसके सम्बन्ध में कुछ चर्चा करूंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बतलाना चाहती हूं कि इस विषय में जो मैंने पहला व्याख्यान सुना वह हमारे भाई श्री वी० जी० देशपांडे का था और जिन्होंने कि अपने भाषण में तीन वर्गों की चर्चा की थी। उसमें एक वर्ग तो शायद वह था जो कि हर वक्त दलीलें और बहसें किया करते हैं कि मनु जी के वक्त में यह था और यह नहीं था और दूसरे वर्ग का नाम उन्होंने रोमांटिक दिया और तीसरे वर्ग का नाम डरपोक है जो कि औरतों से घबराते है।

[श्रीमती उमा नेहरू]

तीनों वर्गों का आपने जिक्र किया और उनकी दलीलों को सुनने के बाद मुझे आपसे यह कहना है कि ऐसी बातों से कभी काम चलने वाला नहीं है कि साहब स्त्री को देख कर इतने नर्मदिल हैं कि आंसू बहने लगें या स्त्रियों को देख कर ऐसे घबराते हैं कि घर छोड़ कर भागते हैं, इस तरह की बातें अब हमें नहीं कहनी हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें और आप को बगैर कोई गुस्से या जोश के किसी नतीजे पर पहुंचना है। स्त्री को देख कर तो आप कमजोर हो जायें या उससे आपको इतना प्यार हो कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगें लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर इस प्रापर्टी (सम्पत्ति) के मामले में आप इतना सख्त दिल क्यों हैं ? मैं कल से सोच रही हूं कि आखिर यह क्या चीज है ? दूसरी बातों का मैं जवाब भी नहीं देना चाहती । लेकिन एक बात जो कल पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपनी तकरीर के दौरान जोश और गुस्से में आकर कह डाली और उन्होंने एक जगह पर "रामायण का जनाजा" यह अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किये, उसके बारे में मैं वहैसियत एक स्त्री के कहती हूं कि उनके मुंह से "रामायण का जनाजा" यह शब्द सुनकर हमें बहुत तकलीफ हुई और मैं उनको इस बात का अच्छी तरह से यकीन दिलाना चाहती हूं कि रामायण का जनाजा हमने नहीं निकाला, बल्कि रामायण का जनाजा तो आप निकाल रहे हैं । जब आप रामायण के जनाजे की चर्चा करते हैं तो आज मैं आप को बतलाती हूं कि आज भारत स्त्री की वजह से ही कायम है । अगर भारत में स्त्री अपने सिद्धांतों में मजबूत न होती तो यह भारत कभी भी कायम नहीं रहता। आज उसी की वजह से वह कायम है। मैं अपने भाइयों से बताऊं कि मैंने खुद देखा कि जैसी हवा आई, उसमें मेरे भाई बहे। हमने अपनी साड़ी, अपनी गृहस्थी और अपने घर के काम काज को नहीं छोड़ा, लेकिन हमारे भाइयों ने कोट पतलून पहना, टाई बांधी, बाहर जा जा कर नाचे भी, शराबें भी पीं, कोई कर्म नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। फिर यह कहना कि रामायण का जनाजा हमारे हाथों निकला, यह ठीक नहीं है। यह हमारे भारत की बदकिस्मती है, कि उसके बदकिस्मत पुत्र ऐसा सोचते हैं। अगर हमारे ठाकुर दास जी यहां होते, मैं उनको समझाती, लेकिन वह यहां नहीं हैं।

कुछ माननीय सदस्य : आ गये, आ गये ।

श्रीमती उमा नेहरू : मैं उनको यकीन दिलाती हूं कि उनके मन में हमारे लिये कोई शंका नहीं होनी चाहिये। समाज में हमारी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन भारत की जो सभ्यता है वह हमारे हाथों में है और हम ने उसको कायम रखा है और आगे भी उसी तरह से कायम रखने वाले हैं। जिस वक्त मैंने इस बात को सुना तो मुझे खयाल आया कि आखिर बात क्या है, और मैं क्या देखती हूं ? हमारे भाई ने भी कहा, हमारी बहन ने भी कहा। जाहिर है कि जोशीली स्पीचें हुईं, गुस्से में हुईं और हमारी बहन ने भी उसी गुस्से में बात की। लेकिन मुझे सिर्फ यह कहना है कि मैंने स्त्री का इतिहास देखना शुरू किया कि आखिर क्या कारण है, क्यों हम को गर्व है वैदिक जमाने की स्त्री का। वैदिक जमाने में स्त्री कहां तक स्वतन्त्र थी ? कोई भी नहीं कह सकता कि वैदिक जमाने में स्त्री स्वतन्त्र नहीं थी। लेकिन स्त्री आज इतनी गिरी क्यों ? वैदिक जमाने के बाद मुझे स्त्री का पतन सा दिखाई देता है। यहां पर मनु जी की बड़ी चर्चा हुई। मनु जी ने अपने जमाने में स्त्री को बहुत कुछ बचा लिया, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इतना ही सोच मुझे है, जिसके लिये मेरे भाई और वकील लोग मुझे समझायेंगे, कि मैं यह देखती हूं कि मनु के जमाने से आज तक जो हमारा बेसिक आदर्श था उसमें कोई तबदीली नहीं हुई। हम से कहा गया कि सामाजिक तब्दीलियां इसलिये नहीं हुईं कि यहां पर फारेन गवर्नमेंट (विदेशी शासन) थी। लेकिन आज हम चाहते हैं कि तब्दीलियां हों । मनु जी के जमाने में जो कानून आ वही आज तक चला आता है। मैं समझती हूं कि यदि आज मनु जी जिन्दा होते तो स्वयं एक बड़ी हद तक वह कानून में परिवर्तन कर देते। यह मेरा ही मत नहीं है, औरों का भी है। यहां हमारे माननी

सदस्य भी मेरी राय में इस चीज को लेकर डिवाइडेड (मतभेद) थे। यहां पर कहा गया कि आजकल की स्त्रियां जो हैं वे कनाट प्लेस में घूमती फिरती हैं। शायद उन्होंने गुस्से में ही ऐसा कहा होगा, क्योंकि यह सब गुस्से की बातें हैं। जिन से कोई फायदा नहीं। मैं चाहती हूं कि फिर से वही वैदिक पीरियड (युग) आवे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जो जमाना चला जाता है वह फिर आ नहीं सकता है। लेकिन अगर वह जमाना नहीं आ सकता है तो कम से कम हमारे पास वैदिक पीरियड का नक्शा तो रखा है। क्यों न हम ऐसे कानून बनावें जिन की मदद लेकर हम फिर देश में वैदिक पीरियड की स्त्री की शक्ल इस कलियुग में लाकर रख सकें ? मैं नहीं चाहती कि आप इस शक्ल में अपने कानून को तब्दील करें जिस से हर एक घर में एक उपद्रव या तूफान मच जाय। लेकिन मैं यह जरूर चाहती हूं कि हमारे पुत्र और पुत्रियां जिन्दा रहें। मै चाहती हूं कि कुछ भी हम यहां पर करें उसकी बैक-ग्राउंड (पृष्ठभूमि) यही हो।

मुझे आपसे यह कहना है कि मैं वकील तो हूं नहीं, अगर वकील होती तो दलीलें करती, मैं सिर्फ कामन सेन्स (सहज ज्ञान) थोड़ा रखती हूं और उसी कामन सेन्स से अगर मैं कुछ कहूं तो वकील लोग मुझे माफ करें और जो गल्ती मैं कर जाऊं उस पर ध्यान न दें। मैं समझती हूं कि सब चीजों को देखने के बाद हमारे सामने यह चीज आती है कि आखिर मिताक्षरा ला (विधि) और मिताक्षरा ज्वायेंट फैमिली (संयुक्त परिवार) है क्या चीज। जब हम मिताक्षरा ला को देखते हैं तो हमारे सामने यह चीज आती है कि कहां तक इन्हेरिटेंस (उत्तराधिकार) के ला को इस बिल में रखा जा सकता है और कहां तक उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कहां तक हम उसको छांट सकते हैं। हमें यह सोचना है कि अगर हम ने इसको बहुत ज्यादा काटा छांटा तो कहीं ऐसा न हो हमारे कानून के बन जाने के बाद कि हम रोज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर खड़े हो जायें। जहां तक मैंने मिताक्षरा कानून को पढ़ा है, मैं यही समझी हूं कि भले ही हम उसको बिल्कुल मिटा दें, खत्म कर दें, लेकिन उसमें पैच वर्क (फुटकर काम) नहीं कर सकते। उसको तोड़ मरोड़ कर नई चीजें उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। यह मेरा ख्याल है, यह हमारे कानूनी भाई जानें कि मैं सही कहती हूं कि या नहीं।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि इस सारे बिल को पढ़ने के बाद मैं सारी अपनी कांस्टिटुएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) में घूमती फिरी, देहातों में ही मेरा ज्यादातर काम रहता है। देहातों के अपने भाइयों और बहनों के घरों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि छोटी छोटी जमीनें उनके पास हैं, छोटे छोटे घर हैं, यह सब चीजें हैं, लेकिन वह पढ़े लिखे नहीं हैं। वह कुछ जानते ही नहीं हैं। मैं अपने ग्रामीण समाज को देखने के बाद साफ तौर से कह सकती हूं, इस बिल को पढ़ने के बाद, उसकी एक एक चीज देखने के बाद मैं समझती हूं, कि हमारी सरकार के लिये यह ज्यादा मुनासिब होगा कि वह हमारे देहातों पर हाथ न रखे, देहातों से वह दूर रहे। जो लैंड्स (कृषि भूमि) हैं उनको छुये नहीं। क्योंकि मैं यह जानती हूं कि अगर यह हुआ तो हमारी व्यवस्था बिल्कुल तबाह हो जायेगी। सरकार के पास कोई मंत्र नहीं हैं जिससे कि आप यह समझ सकें कि आपने उस मंत्र को पढ़ा और सब जगह पीस (शान्ति) हो गई। मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगी कि वह इसको समझें कि सब की राय है कि लैंड्स को इस बिल से एग्जेम्ट (मुक्त) कर दिया जाय।

इन सब बातों के बाद मैंने यह भी सोचा कि क्या वजह है कि आप मिताक्षरा के पीछे पड़ें। जो मिताक्षरा का कानून है उस को तोड़ना, छांटना, तराशना, उसके भीतर घुस कर उसको तबदील करने की कोशिश करना बेकार है। मैं कुछ अपने वकील भाइयों से मिली, जजों से मिली और उनस इसका जिक्र किया तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि वह ऐसा कानून ही नहीं

[श्रीमती उमा नेहरू]

है जिसको छुआ भी जा सके। जब यह चीजें हमारे सामने आईं, और साथ ही यह चीज भी सामने आई कि हमें वेलफेअर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) बनाना है जिसके लिये हम अलग अलग कानून बना रहे हैं, हमने यहां पर इनकम टैक्स बिल (आयकर विधेयक) बनाया है, और भी इसी तरह की चीजें हमने पास की हैं, तो कोई वजह नहीं थी कि मिताक्षरा के सक्सेशन (उत्तराधिकार) कानून को तबदील किया जाय। हमको चाहिये था कि मिताक्षरा को अलग करके एक इंडियन सक्सेशन ऐक्ट (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम) पास करते। अगर हम ऐसा करते तो मैं समझती हूं कि आप की जो मुश्किलें हैं, वह सारी की सारी दूर हो जातीं। मैं आप से कहना चाहती हूं कि मुझे मिताक्षरा या दायभाग से कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो यह पता भी नहीं है कि वह क्या है। लेकिन मैं यह जरूर चाहती हूं कि हम कोई कानून ऐसा न बनायें कि जो कि हमारी स्त्रियों को ही बुरा लगे और जिस कानून से सारे देश में, यहां तक कि देहातों में भी एक कंफ्यूजन (भ्रांति) हो जाय और जिधर मुंह फिरे उधर लिटिगेशन ही लिटिगेशन (मुकदमा बाजी) दिखाई पड़े। मैं चाहती हूं कि हम और आप इस ख्याल को छोड़ कर बैठें कि हमें इस कानून में तबदीली करनी है। हम को यह तय कर लेना चाहिये कि हम को स्त्री के लिये कुछ करना है, क्योंकि स्त्री गिरी तो इतिहास हमें बतलाता है कि वह प्रापर्टी (सम्पत्ति) के ही सवाल पर गिरी। जब तक प्रापर्टी का सवाल नहीं था उस वक्त तक स्त्री नहीं गिरी थी, लेकिन हम को और आपको उस को ठीक से तकसीम करना है। हमारी बेटी हमारी दुश्मन नहीं है। हमारे दामाद हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारे लड़के हमारे दुश्मन नहीं हैं। आज के दिन भी जो भारत में भाई बहिनों में प्यार है, और जगहों पर भी है, उस पर हमें गर्व है। हजारों चीजें हमारे यहां बहिनों ने भाई के प्यार से छोड़ी हैं और भाई ने हर मुसीबत में बहिन का साथ दिया है। भारत में भाई बहिन के इस प्यार में किसी भी कानून से भी फर्क नहीं आना चाहिये। मैं कहती हूं कि इस भाई बहिन के प्रेम के आदर्श को सब से ज्यादा भारत में पालन किया गया है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि पीस (शान्ति) का इतना जिक्र करते हैं और इस विषय में इतने आगे जा रहे हैं, वह भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और भारतीय पुत्र हैं, वह पश्चिमीय पुत्र नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : दूसरे देशों में पढ़े हैं।

श्रीमती उमा नेहरू : तो मेरा कहना यह है कि यह आदर्श हमने अपने सामने रखा है और वगैर गुस्से के इस चीज़ को हमें आगे ले जाना है। मुझे तो आज अपने भाइयों से अपील करनी है। मैं आज आपके सामने माता के रूप में खड़ी हूं। मुझे जरा भी खुशी नहीं होती जब मैं देखती हूं कि समाज के टुकड़े हो रहे हैं। मुझे जरा भी खुशी नहीं होती जब कोई भाई इसका विरोध करता है और कहता है कि अगर स्त्रियों को जायदाद में हिस्सा मिलेगा तो हमारे घरों में मुसीबत आ जायेगी। इसलिये हमें बैठकर यह सोचना है कि किस तरह से हमारी स्त्री जिन्दा रहे, किस हैसियत से जिन्दा रहे। मैं तो समझती हूं कि वह माता की हैसियत से जिन्दा रहे। वह फैमिली (परिवार) की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। मैं समझती हूं कि फैमिली की जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब होता है। यहां पर लाखों रुपये की बात कही जाती है। लेकिन हमारे देश में तो ज्यादातर लोग बे पैसे के हैं। लेकिन जो तुम्हारा पैसा हो वह तुम्हारी माता के हाथ से खर्च हो। इसलिये मैं कहूंगी कि यह दो तीन चीज़ें जो मैं ने सरकार के सामने रखी हैं उन पर वह संजीदगी से गौर करे। मुझे उम्मीद है कि इस बात में हमारी सरकार हमारी मदद करेगी और इस बात का सदा ख्याल रखेगी कि हमारे देहात क़ायम रहें।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद–पश्चिम) : श्री अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मुझे बहुत नई बातें नहीं कहनी हैं परन्तु मैं आज इसलिये खड़ा हुआ हूं कि कुछ शब्द कह कर अपना कर्त्तव्य निभा दूं।

आज सरकार इतने क्रान्तिकारी प्रस्ताव को लेकर खड़ी हुई है। जब प्रवर समिति में इस विधान को भेजने का प्रस्ताव पहले आया था उस समय मैंने अपना मत सामने रखा था। मुझ को आशा थी कि हमारे मंत्री महोदय श्री पाटस्कर जी, जिन्होंने अपने पूर्व भाषण में भारतीय संस्कृति का आधार लिया था, उस संस्कृति को विसारेंगे नहीं। मैं उन से इस बात में सहमत था कि भारत में परिवर्तन होते चले आये हैं। भारत ने अपने को किसी तालाब में बांध दिया हो ऐसा कभी नहीं रहा है। पिछले अवसर पर भी मैंने यही बताने का यत्न किया था कि हमारा देश परिवर्तनशील रहा है। क्रान्ति से वह घबराया नहीं है। क्रान्ति हमारे यहां का ही शब्द है। इसके लिये हमारे यहां स्मृतियों में स्पष्ट वाक्य हैं। हमने अपने को शास्त्रों के शब्दों से भी बांधा नहीं है, यह भी मैं ने आपसे उस समय कहा था।

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्योपिविनिर्णयः

केवल शास्त्र का सहारा लेकर कर्त्तव्य का निर्णय नहीं होता। यह बृहस्पति स्मृति का वाक्य है यहां तक हमारी स्मृतियां गयी हैं। भारतीय समाज ने कभी अपने को कूप मंडूक नहीं बनाया। परन्तु उसकी कुछ मौलिक धारणायें रही हैं। आज मैं देखता हूं कि हमारे पाटस्कर जी भी पश्चिमीय क्रम को इतना ऊंचा समझते हैं कि वे भारतीय क्रम को छोड़ कर उधर जाने की चिन्ता कर रहे हैं। हमारे एक भाई ने यह भी कहा कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है और पिछड़े हुए देश में रहना उचित नहीं, इसलिये उसे आगे बढ़ाना चाहिये और आगे बढ़ाने का अर्थ है पश्चिमीय क्रम पर चलाना। मैं उन से बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। पर मैं समझता हूं कि पश्चिमी क्रम पर चलना तो बहुत उन्नति का लक्षण नहीं है। यह मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। हर बात में पश्चिमीयता, विशेषकर जहां चारित्रिक और सामाजिक क्रम का सम्बन्ध है, वहां उनके पीछे चलना हमारे लिये हानिकर ही होगा। जो हमारा भारतीय क्रम है उसको हमें सदा अपनी आंख के सामने रखना चाहिये, उसे कभी आंख से ओझल नहीं होने देना चाहिये। मैं पाटस्कर जी से यह पूछता हूँ कि हमारे देश में लड़कियों का सम्मान और आदर किसी देश से क्या उन्होंने कम देखा है? हमारे यहां अपनी बच्चियों से क्या किसी दूसरे देश की अपेक्षा प्रेम कम है? हमारे यहां के पिता अपनी लड़कियों के लिये, हमारे यहां के भाई अपनी बहिनों के लिये, हमारे यहां के चचा अपनी भतीजियों के लिये, जितना करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं क्या संसार में कोई और देश है जहां उससे अधिक किया जाता हो? लड़कियों के आदर का प्रश्न इस प्रकार का है जिसके सम्बन्ध में ऐसी आवाज़ लगाना, जैसी कि हमारी एक बहिन ने पीछे से आवाज़ लगायी थी कि यहां उनका आदर नहीं है, नितान्त अशुद्ध है। कहीं अपवाद हो सकता है, भूलें भी होती हैं। उन्होंने उदाहरण दे दिया कि घरों में लड़कियों को दूध भी नहीं मिलता और लड़कों को मिलता है। भला यह क्या बात है? हमारे यहां मातायें अपने लड़कों और लड़कियों के लिये क्या करने को तैयार नहीं होतीं? लेकिन यह छिपाने की बात नहीं है कि लड़कियों और लड़कों में एक अन्तर है। प्रेम खींचने वाले वे दोनों हैं, पर वे सब दृष्टि से बराबर हैं यह कौन कह सकता है। यह क्या सही है? क्या यह प्रकृति का क्रम है कि दोनों बराबर हैं और मैं पूछता हूं कि आप बार-बार यह जो इक्वैलिटी (समता) शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस से आप का तात्पर्य क्या है? बे समझे हुए इक्वैल्टी शब्द यहां प्रयुक्त किया जाता है। किस बात में इक्वैल्टी? बिल्कुल दोनों का ढंग दूसरा है, और रहन सहन दोनों का अलग अलग है, प्रकृति ने दोनों को जुदा जुदा कामों के लिये बनाया है और यह स्पष्ट है कि एक ही काम दोनों नहीं कर सकते, दोनों के मुख्य कर्त्तव्य अलग हैं। हमारे भारतीय समाज ने उस कर्त्तव्य को समझने का यत्न किया है और उसके अनुसार दोनों को अलग अलग स्थान दिया है। मैं पूछता हूं कि गृहस्थी का भार क्या कहीं किसी ने लड़की के ऊपर डाला है? कोई व्यक्ति यह आशा नहीं करता कि बुढ़ापे में मुझ को मेरी लड़की खिलावेगी या गृहस्थी का भार बुरे दिनों में सम्भालेगी, यह तो कोई आशा नहीं करता और इस कारण से जायदाद के बंटवारे के क्रम में अन्तर रहा है। यदि उसमें हमको कुछ दोष लगें तो हम

[श्री टंडन]

सम्भालने का प्रयत्न करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आज जो आप यह लड़के और लड़की को बराबर करने का क्रम कर रहे हैं, उससे तो यह स्पष्ट मालूम होता है कि हमारे समाज का जो क्रम है, उसकी ओर से आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है। हमारे समाज का क्रम बिल्कुल दूसरा है। आप प्राचीन काल के उस सिद्धान्त को न मानें जो पुराने लोग मानते थे कि हम को पुत्र नरक से बचायेगा, उसको छोड़ दीजिये, जिस कारण से पुत्र को समाज में एक विशेष स्थान था, आप उस सिद्धान्त को न मानें और उस को छोड़ दीजिये परन्तु यह आपके सामने ही है कि गृहस्थी का भार पुत्र उठाता है लड़की नहीं उठाती। आपको पिंडदान में या तर्पणों में विश्वास हो या न हो परन्तु यह क्रियायें लड़का करता है लड़कियों से यह काम नहीं लिया जाता...

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : लोग आजकल तर्पणं ही नहीं करते।

श्री टंडन : संभव है कि कनाट प्लेस से तर्पण उठ गया हो और शायद पार्लियामेंटरी जगहों से भी तर्पण उठ गया हो परन्तु हमारे देश से अभी तक तर्पण उठ नहीं गया है और आज भी वह जारी है। हमारे समाज में तर्पण का अधिकार पुरुषों को दिया गया है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि पिता लड़की से प्रेम नहीं करता है, वह लड़की से भी लड़के के समान ही प्रेम करता है लेकिन यह जानता है कि लड़की दूसरे घर में जाने वाली है, उसका जो अधिकार है वह दूसरे ढंग का है और उसको दूसरे घर में अधिकार प्राप्त हैं। इसमें कोई लड़की या लड़के में अन्तर का प्रश्न नहीं है। एक नर है और एक मादा है, इसका प्रश्न नहीं है। मैंने उस समय भी कहा था और आज भी दुहराता हूं कि आप लड़कियों को जो पिता की सम्पत्ति में अधिकार देते हैं, यह अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिये। जहां तक लड़कियों के पिता की सम्पत्ति में अधिकार का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब तक कि वह घर में और विवाहित नहीं हो जाती, उसको अधिकार प्राप्त होना चाहिये और किसी ने यह सुझाया भी था कि अविवाहित लड़कियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार मिलना चाहिये, आप उसको उस अवस्था में अधिकार दे सकते हैं लेकिन अगर न भी दें तो भी कुछ बिगड़ता नहीं है। अधिकार न भी हो तो भी हम जानते हैं कि माता, पिता, भाई सम्पत्ति को बेच कर भी पुत्री और बहिन का व्याह करते हैं। अभी-अभी जब मैं घर से इधर आ रहा था तब मैंने एक मित्र के सम्बन्ध में जो लोक-सभा के सदस्य हैं अपने घर में सुना कि उनकी लड़की का व्याह होने वाला है और तीन हज़ार रुपये उन्होंने कहीं से बटोर करके हाल में तिलक में दिये हैं। मैं उनकी स्थिति जानता हूं। उनके घर में तीन हज़ार रुपया नहीं रहा होगा। वे भाई कनौजिया ब्राह्मण हैं और बेचारे प्रथा के चक्कर में दब गय हैं। यह एक साधारण बात है कि हमारे यहां लोग लड़की के व्याह के लिये बहुत मुसीबतें उठाते हैं। अब आप इस विधेयक के द्वारा पिता के चले जाने के बाद उसके परिवार में झगड़ा मचाना चाहते हैं। लड़की तो स्वयं झगड़ा नहीं करेंगी लेकिन जिस घर में लड़की जायगी वहां वालों का और उसके पति का उस पर दबाव पड़ेगा कि वह अपने भाइयों से झगड़ेबाज़ी करे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप इस तरह का कानून बना कर के करने क्या जा रहे हैं। मैं बुद्धिवादी हूं, मैं रूढ़िवादी नहीं हूं। मैं बुद्धि के कांटे पर शास्त्रों को तोलता हूं, वेदों को भी तोलता हूँ परन्तु आपको भी तो तोलता हूँ। जब मैं वेदों को तोलने को तैयार हूँ तो आपको और आपके मंत्रिमंडल को और जो ऊपर के नेतागण हैं उनको भी तो अपनी बुद्धि पर तोलता हूँ। आपके नेतागण और वे सब लोग जिनके भरोसे पर आप यह विधेयक लाये हैं बिल्कुल पाश्चात्य ढंग से सोच रहे हैं। आज आवश्यकता यह है कि आप भारतीय संस्कृति की रक्षा करें और इस समस्या पर भारतीय ढंग से सोचें और कुटुम्बों का नाश न होने दें। मैं तो युक्ति की बात कहता हूँ। क्या आपकी बात युक्तिसंगत है ? मैं युक्ति के विरुद्ध नहीं जाता।

युक्ति युक्तं वचो ग्राह्यम्।
युक्ति हीनं वचः त्याज्यम्॥

मैं तो इसका मानने वाला हूं। मैं इस सम्बन्ध में आपको एक पुराना श्लोक सुनाता हूँ जो कि इस प्रकार है :

युक्ति युक्तं वचो ग्राह्यम वालादपि शुकादपि ।
युक्ति हीनं वचस्त्याज्यम् वृद्धादपि शुकादपि ।।

यदि कोई वृद्ध भी और यदि कोई मिनिस्टर भी बैठ कर के कोई युक्तिहीन बात कहता है तो वह बात त्याज्य है। हमारे देश की यह परम्परा रही है कि कोई वृद्ध या स्वयं शुकदेव जी भी अगर आप से कोई युक्तिहीन बात कहें तो वह त्याज्य है लेकिन अगर युक्तिसंगत वाणी बच्चा या तोता भी कहे, 'शुक' शब्द पर श्लेष है, बच्चा या तोता भी अगर युक्तिसंगत बात कहें तो ग्राह्य होनी चाहिये। हमारे देश की यह परम्परा रही है ।

श्री पाटस्कर : शास्त्र हम भी जानते हैं और मानते हैं ।

श्री टंडन : मैं शास्त्र की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो इस समय बुद्धि की बात कह रहा हूं और युक्तिसंगत और युक्तिहीन बात के बारे में बतला रहा हूं। मैं आपको यह बतला रहा हूँ कि लड़की को आप धन दे कर गृहस्थी का विघटन करा दें, यह युक्ति नहीं है। हर कोई जानता है कि लड़की शादी के बाद दूसरे घर की हो जाती है और हर कोई जानता है कि लड़की शादी के बाद कहां से कहां पहुँचती है। वह लड़की अपने मायके के स्थान में आ कर वहां की भूमि अथवा सम्पत्ति में हिस्सा बंटाये, इसमें क्या बुद्धि की बात है ।

प्रवर समिति ने माता को प्रथम उत्तराधिकारी में स्थान देने का निश्चय किया था, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन न मालूम क्यों राज्य सभा ने उसे हटा दिया। मैं स्वयं इसका स्वागत करता हूं कि माता भी हो, पिता भी हो....

श्री गिडवानी (थाना) : राज्य सभा वाले ज्यादा अक्लमंद हैं ।

श्री टंडन : मैं इसके पक्ष में हूँ कि आप इसमें विधवा स्त्री को रखें, माता को रखें और पिता को रखें। अगर इस में आप लड़की को रखते हैं तो इस तरह से रखना चाहिये कि जो कुमारी हो उस का अधिकार है, लेकिन विवाह के समय वह अपने साथ उस अधिकार को लेकर नहीं जा सकेगी। जो मुख्य बात मेरे मन में है वह यह है कि हमारे समाज का, हमारी गृहस्थी का इस तरह से विघटन न किया जाय। हमारे भाई ठाकुर दास जी ने जो कहा उस से मैं सहमत हूं। इस तरह से आप समाज में बुराई पैदा कर देंगे।

यहां पर रामायण की कुछ चर्चा आ गई । रामायण की चर्चा तो आदर्शों की बात है। वह आदर्श आज आप के इस बिल में देखने को नहीं मिलते। इस का आदर्श सीता जी नहीं हैं परन्तु वह आदर्श आज उड़ नहीं गया है। आज भी वह हमारे देश के गांवों में मौजूद है। आप हमारे पुराने आदर्शों की हंसी न उड़ायें। पश्चिमी क्रम में जो अच्छी बातें हैं मैं उन को लेने के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु जो हमारे यहां समाज को ऊँचा उठाने वाले आदर्श हैं, मनुष्य मात्र को ऊँचा उठाने वाले आदर्श हैं, वह पूजनीय हैं और सदा हमारी आंखों के सामने रखने के योग्य हैं। हमारे यहां स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। जैसा ऊंचा स्थान माता का और बड़ी भावज का होता है उस की चर्चा रामायण में आती है। यह भी आता है कि पति और पत्नी का क्या कर्त्तव्य है। जब सीता जी ने रामचन्द्र जी से वन चलने की इच्छा प्रकट की तब रामचन्द्र जी ने कहा कि वे उस के साथ वन में न जायें। परन्तु सीता जी की आकांक्षा थी कि मैं चलूं ।

"मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिन छिन चरन सरोज निहारी।"

यह आदर्श था कि क्षण-क्षण आप के चरणों को देखने का मुझे अवसर मिलेगा, उन को देख कर मुझे थकावट आने वाली ही नहीं है। हां हो सकता है कि आज की आधुनिक स्त्रियां इस में विश्वास न करती हों, परन्तु हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि यह आज भी हमारे देश की करोड़ों स्त्रियों की परम्परा

[श्री टंडन]

है। इसी कारण मैं अपनी भाभी उमा जी से सहमत हूँ कि हमारे देश की स्त्रियों ने हमारे देश की रक्षा की है। रक्षा की है धर्म के प्रति अपने दृढ़ नियम से। जहां तक मुझे पता है, और यह बात अंग्रेजों की कही हुई बताता हूं, भारत की अपेक्षा पतिव्रत धर्म को निभाने वाली स्त्रियां संसार में और कहीं भी देखने में नहीं आतीं।

मैं पाटस्कर जी से एक कुंजी की बात कहता हूँ। वह मर्दों से सलाह न लें, घरों में जो बड़ी, बूढ़ी स्त्रियां हैं उन से पूछें कि क्या वह लड़कियों को अपना धन देंगी। मैं कहता हूं कि स्त्रियां, शिक्षित स्त्रियां भी, इस बात की विरोधिनी हैं कि लड़कियों को उन के घर की जायदाद में हिस्सा दिया जाय क्योंकि उन के सामने भी प्रश्न यह है कि हमारा घर कैसे चलेगा। जो कुछ उन्हें मरने से पहले देना होता है, लड़कों को देती हैं, बहुओं को देती हैं, पुत्रियों को देती हैं परन्तु आप ने यह कभी नहीं देखा होगा कि जो घर की सम्पत्ति है उस के बारे में उन की इच्छा हो कि पुरुषों के मरने पर जब जायदाद का बंटवारा हो तो वह लड़कियों को दी जाय। इसलिये आप यह देखेंगे कि जैसा हमारी भाभी जी ने कहा.....

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलुरु) : मेरे विचार से वह इतनी स्वतन्त्र अभिकर्ता नहीं हैं।

श्री टंडन : आपका विचार यह भले ही न हो। मृत्यु के समय वह अपने पति या पुत्र अथवा किसी व्यक्ति विशेष के संरक्षण में नहीं होती हैं।

आप यह कह सकते हैं कि उस का कुल दृष्टिकोण एक प्रकार का है, परन्तु जो दृष्टिकोण, अर्थात् आउटलुक है, वह समाज का बना हुआ है, जिस समाज से उस का मत उसका विचार बना हुआ है, वह समाज हमारे सामने है। मैं आज आपसे कहता हूं कि आप राय ले लीजिये स्त्रिबों से, हमारी कनाट सर्कस की तितलियों से नहीं, हमारे घर की स्त्रियों से। हमारी भाभी उमा जी को अनुभव है, उन्होंने समाज को देखा है और उन्होंने दबे शब्दों में आप से अपनी राय भी बता दी कि आज हमारे कुटुम्बों के लिये जो क्रम आप बनाने जा रहे हैं वह हमारे अनुकूल नहीं है। यह दृष्टिकोण पुरुष और स्त्री में भेद करने के लिये नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक और प्राकृतिक बात है कि गृहस्थी बनती है लड़कों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा नहीं। पतियों के द्वारा बनती है, उन को अधिकार दिया जाय। माता को अधिकार दिया जाय। परन्तु लड़की जहां जायेगी वहां वह पत्नी होगी, बड़ी बूढ़ी होगी, उस को वहां पर अधिकार मिलेगा।

मैं और अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि जो यह बिल विधि मंत्रालय ने बनाया है, उस को बदलिये। इसमें देश का हित नहीं है। इस में तो उस की बहुत हानि ही होगी और कांग्रेस बदनाम होगी। इस तरह से कांग्रेस चौपट होगी और इस चट्टान पर टूट जायेगी।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : लोक-सभा में दो प्रकार के मत प्रकट किये गये हैं। इसमें से एक तो कट्टरपन और पुरानी रूढ़ियों का समर्थन करता है और दूसरा मत उस भूतकाल से जिस में जाति भेद था जिस में अस्पृश्यता की व्याधि पैदा हुई थी, जिसने शूद्रों को दासता में जकड़े रखा, छुटकारा पाकर प्रगति करने और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने के पक्ष में हैं।

हम राजनैतिक और उन आर्थिक मामलों में, जिनका हमारी जेबों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बड़ी उदारता दिखाते हैं। बैंकों और बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण से लोग तुरन्त सहमत हो जाते हैं परन्तु जब उन से अपनी सम्पत्ति में किसी व्यक्ति या अपनी पुत्रियों के साथ हिस्सा बंटाने के लिये कहा जाता है तो उनका बर्ताव श्री देशपांडे जैसा हो जाता है। तब यह कहा जाता है कि हम विधान बनाने में शीघ्रता कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम और कितने समय तक प्रतीक्षा करते रहें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंग्रेजों के समय से ही कुछ लोग पुराने रिवाजों का अन्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं, उस समय जब सती प्रथा का अन्त करने का प्रयास किया गया था तब भी इसी प्रकार के भाषण दिये गये थे जैसा कि श्री देशपांडे ने अब दिया और यह कहा गया था कि हमारी समाज की व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। सन् १८५६ में विधवा पुनर्विवाह का विधेयक का भी इसी प्रकार विरोध किया गया था। अनेक अभ्यावेदन भेजे गये थे कि स्वयं विधवायें इस के पक्ष में नहीं हैं। माननीय टंडन जी ने स्त्रियों का मत जानने के लिये कहा और मुझे उनकी इस बात से बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने कनाट प्लेस में घूमने वाली स्त्रियों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। वे स्त्रियां शिक्षित हैं और उन में जनता में घूमने फिरने का साहस है। वे अनैतिक नहीं हैं और न ही वे किसी का कुछ बिगाड़ती ही हैं। उन्हें अपनी राय प्रगट करने के अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। सन् १८५६ में यदि अंग्रेज विधवाओं का मत जानने का प्रयास करते तो वे भी यही कहतीं कि वे रूढ़ि का त्याग कैसे कर सकती थीं। लोग उन से घृणा करने लगते।

कहने का अभिप्राय यह है कि हमें इस आधार पर निर्णय नहीं करना है कि इसका कितना विरोध हो रहा है। हमारे संविधान में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने का प्रयास किये जाने के बारे में कहा गया है। हमने समाज की समाजवादी व्यवस्था करने की भी शपथ ली है। क्या हम उस शपथ का पालन कर रहे हैं? मुझे यह देख कर बड़ा दुःख हुआ कि श्रीमती उमा नेहरू ने, जो प्रवर समिति में समस्त प्रगतिशील मदों का समर्थन कर रही थीं, अकस्मात अपना व्यवहार बदल लिया है, इसी से पता चलता है कि इस विधेयक के विरुद्ध जो चुपके चुपके आन्दोलन चल रहा है उसका कितना प्रभाव पड़ा है।

हमें स्वयं अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिये कि क्या हम समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं? क्या समाजवादी व्यवस्था के लिये यह भी आवश्यक नहीं कि पुत्रों और पुत्रियों में समता हो, टंडन जी ने हमारी गौरवशाली परम्परा और शानदार भूतकाल की प्रसंशा की है, मैं यह नहीं कहता कि पुरानी अच्छाइयों को ही निकाल फैंका जाये। शुद्ध रक्त तो शरीर में ही रहेगा परन्तु जो खराब है और जो हमें रोगी बना दे, उसे तो निकालना ही होगा।

जनवरी १९४१ में नियुक्ति की गई हिन्दू विधि समिति ने जनता की राय मांगी थी और जनता का बहुमत यह था कि पुत्री को पुत्र के समान हिस्सा दिया जाय। १९४६ में भी यही किया गया। उस के पश्चात् संविधान सभा में हिन्दू कोड बिल पुरःस्थापित किया गया और एक प्रवर समिति नियुक्त की गई। प्रवर समिति ने अनुभव किया कि पुत्री को आधा हिस्सा मिलना चाहिये। उस समिति के आप भी सदस्य थे।

कांग्रेस ने हिन्दू कोड में सुधार करने का वचन देकर निर्वाचन लड़े। कांग्रेस ने जनता से कहा था यदि उसे सत्ता दी जाये तो हिन्दू विधि में सुधार किया जायेगा। संसदीय लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार जो कांग्रेसी यह विचार प्रकट करता रहा है उसे जनता के इस परमादेश को स्वीकार करना होगा। सब बातों पर विचार करने के पश्चात् हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह विधेयक उचित समय पर प्रस्तुत किया गया है और इस से हम समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ सकेंगे।

कुछ विशेष खंडों को लीजिये। विधेयक के पृष्ठ ३ पर एक उपबन्ध है। जारज बच्चों को, अपने पिताओं के विरुद्ध दिये गये अधिकारों सम्बन्धी उपबन्ध को राज्य सभा में संशोधत किया गया। विभाजन के पश्चात् अनेक अपहृत स्त्रियों को ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना पड़ा जो पहले से विवाहित थे। वे व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि उन से जो सन्तानें हुईं वह उनकी सन्ताने हैं परन्तु ऐसा होने पर भी विधि उनके रास्ते में रुकावट डाल रही है क्योंकि उन स्त्रियों से इन के पहिले पतियों ने नियमित

[श्री एस० एस० मोरे]

रूप से विवाह विच्छेद नहीं किया था। अतः उनकी सन्तान को जारज माना जायेगा जिसके परिणाम-स्वरूप वे अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परन्तु यदि माता-पिता के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध हो तो बच्चों को पिता की सम्पत्ति में कुछ हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिये ?

श्री पाटस्कर, जो स्वयं एक वकील हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे कि जहां तक शूद्रों का सम्बन्ध है अवैध सन्तान को पिता की सम्पत्ति से वैध सन्तान की अपेक्षा आधा हिस्सा पाने का अधिकार होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो भी ऐसा नियम या प्रथा होगी उसका अन्त हो जायेगा और स्थिति पूर्ववत नहीं रहेगी।

मेरे मित्र पं० ठाकुर दास भार्गव ने इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया है कि संयुक्त समिति ने खण्ड ५ को संशोधित करके अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। मेरा निवेदन है कि विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत जिसका विवाह हुआ है ऐसे पुरुष की विधवा को भारतीय-उत्तराधिकार अधिनियम में कुछ कठिनाइयां होती हैं। इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कहना मेरे लिये इस समय सम्भव नहीं है। किन्तु श्री पाटस्कर से मेरा अनुरोध है कि वह मेरी विमत टिप्पणी को पढ़ें। उस से उन्हें यह ज्ञात होगा कि जिनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है उन्हें केवल इसी कारण उन सभी विशेषाधिकारों और रियायतों से वंचित रखा गया है जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। (**अन्तर्बाधाएं**) इस बात पर मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से सहमत हूँ।

जब मैं संयुक्त समिति का एक सदस्य था तब मैं ने खंड ६ के बारे में कई आपत्तियां उठाई थीं। आपके समक्ष जो प्रश्न विचार के लिये है वह यह है कि मिताक्षरा परिवार में समांशी सदस्यों को दिया गया उत्तर जीविका अधिकार कायम रखा जाय अथवा नहीं। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि हमें एकरूपता की ओर बढ़ना चाहिये और देश में एकरूपता का ही विकास किया जाना चाहिये। मैं उनका समर्थन करता हूँ।

देश के कुछ भागों में दायभाग पद्धति प्रचलित है और कुछ अन्य भागों में मिताक्षरा। क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं कि देश में कोई एक समान पद्धति प्रचलित होनी चाहिये ? मिताक्षरा पद्धति के फलस्वरूप एक ओर बंगाल और बिहार और दूसरी ओर देश के अन्य भागों के बीच अतीत में जो खाई बन गई थी वह यथासंभव पाट दी जानी चाहिये।

किन्तु माननीय मंत्री ने कहा है कि "संयुक्त परिवार" को हम अन्य उपाय से समाप्त करने का इरादा रखते हैं। इस सम्बन्ध में हिन्दू विधि समिति ने कहा था कि ऐसे मामलों में आंशिक विधान बनाना खतरनाक होगा और उससे हमारे प्रस्तावित सुधार की सारी व्यवस्था ही भंग हो जायेगी क्योंकि जब भी आप स्थिति को सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप उसका सही और स्पष्ट मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। उक्त समिति ने मिताक्षरा परिवार पद्धति की समाप्ति की सिफारिश की थी और संयुक्त समिति ने भी वैसा ही एक प्रस्ताव रखा था। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि विधि मंत्री मिताक्षरा पद्धति की समाप्ति के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं ?

जब तक आप मिताक्षरा पद्धति को समाप्त नहीं करते तब तक आप पुत्रों एवं पुत्रियों को उनका जायज़ हिस्सा नहीं दे सकेंगे क्योंकि आप यह देखेंगे कि पुत्रियों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही कम संख्या हिस्सेदारों की होगी। एक ऐसे पुत्र को जो अपने परिवार से अलग हो गया है, उस पुत्र की बनिस्बत अधिक लाभ प्राप्त होंगे जोकि अपने पिता के साथ संयुक्त परिवार के एक सदस्य के रूप में रहता है। इस प्रकार की विग्रहात्मक प्रवृत्ति को अब और बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि खंड ६ को इस तरह से संशोधित किया जाये ताकि मिताक्षरा पद्धति को समाप्त किया जा सके।

जहां तक खंड १६ का सम्बन्ध है, समिति द्वारा की गई कार्यवाही उचित ही है। उसने सिफारिश की है कि ऐसी सभी सम्पत्ति, जो विधवाओं के अधिकार में है, वह अब उन की पूर्ण सम्पत्ति होगी। यह एक मूल्यवान सिफारिश है जो कि स्त्रियों की कठिनाइयों को किसी हद तक दूर करती है।

इस के अतिरिक्त मैं खंड ३२ को भी पसंद नहीं करता हूँ। इस खंड की विधिक उपलक्षणायें क्या हैं? मेरा ख्याल है कि आप पुत्रियों को कोई ठोस अधिकार तो देने नहीं जा रहे हैं। उससे पुत्रियों को तो कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा किन्तु वकीलों को अवश्य होगा।

मेरा निवेदन है कि यह खंड अत्यन्त दुरूह है। हम पुत्रियों को बाएं हाथ से जो देने का प्रयत्न कर रहे हैं यह खंड उसे दाहिने हाथ से ले लेता है। इस प्रकार की व्यवस्था से इस अधिनियम में एक खामी रह जायेगी। यदि हम पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते हैं तो हमें यह कह देना चाहिये कि अभी समय उपयुक्त नहीं है और चुनाव निकट हैं इस बात को देखते हुए हम इस मामले की तह में जाना नहीं चाहते हैं। यह सही तरीका होगा किन्तु इस प्रकार का दो मुंहा रुख उचित नहीं है।

†**श्री सी० डी० पांडे** : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके सम्बन्ध में मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूँ। मेरी राय में यह विधेयक इस सभा में प्रथम पुरः स्थापित किया जाना चाहिए था। यह सभा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की है और हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इसके विपरीत विधेयक को प्रथम राज्य-सभा में पुरःस्थापित किया गया जबकि उसके सदस्यों का जनमत से कोई सम्पर्क नहीं होता है। इसलिये यह प्रक्रिया सही नहीं है और इसके परिणामस्वरूप हमारे समक्ष कई कठिनाईयां उपस्थित हुई हैं।

इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया था जिसमें इस सभा के तीस और राज्य-सभा के पन्द्रह सदस्य थे। जब राज्य-सभा में, संयुक्त समिति द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने के बाद, विधेयक पर चर्चा हुई तो संयुक्त समिति द्वारा विधेयक में प्रतिवेदित महत्वपूर्ण प्रावधाओं में राज्य-सभा ने कांट-छांट कर दी।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक का विरोध करने का एक प्रमुख कारण यह है कि वह सभी पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यह विधेयक केवल हिन्दुओं पर ही लागू हो सकता है। हम इसका स्पष्टीकरण यह कह कर देते हैं कि हिन्दू बहुमत में हैं। वह देशभक्त हैं; वह नेताओं के विचारों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं इसलिये इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए हम उन्हें बाध्य कर सकते हैं।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** (सारन दक्षिण) : आपका तात्पर्य है कि केवल हिन्दू ही देशभक्त हैं? (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री सी० डी० पांडे** : मुसलमानों के अपने कानून हैं। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।

†**श्री के० सी० बसु** : (डायमण्ड हार्बर) : माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं किन्तु इस विधेयक का विरोध वह क्यों कर रहे हैं?

†**श्री सी० डी० पांडे** : एक धर्म निरपेक्ष राज्य में आप साम्प्रदाय और विभेद के आधार पर कोई विधि निर्माण क्यों करते हैं? आपको ऐसे कानून बनाने चाहियें जो सभी पर समान रूप से लागू किये जा सकें।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के गुण कितने ही क्यों न हों किन्तु देश को इसकी आवश्यकता है यह प्रमाणित नहीं हुआ है। मुझे बरेली और नैनीताल के अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक भी ऐसा व्यक्ति

---

†मूल अंग्रजी में।

[श्री सी० डी० पांडे]

नहीं मिला जो इस विधेयक को चाहता हो। कल मेरी एक बहिन ने यहां कहा था कि उन्हें सीता और सावित्री की अपेक्षा किसी पतिता बहिन के प्रति अधिक सहानुभूति है। हम अपनी बहिनों से सीता और सावित्री जैसे आचरण की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं किन्तु निश्चय ही हम उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि वह देश के आदर्शों का समादर करें। हिन्दुओं के प्रति इस प्रकार व्यवहार करना और उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना एक खतरनाक बात है।

श्री मोरे ने कहा कि हिन्दू कोड के बारे में कुछ कार्यवाही करने के लिये हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हमने प्रतिज्ञा का पालन किया है। मैं यह जानता हूं कि जो सदस्य इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं वह अपनी पुत्रियों के बारे में चिन्तित हैं। किन्तु उन्हें यह नहीं सोचना चाहिये कि चूंकि हम विधेयक का विरोध कर रहे हैं इसलिये हमें पुत्रियों के अधिकारों के बारे में कोई आस्था नहीं है। मैं आपको यह बता दूं कि मेरे दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं किन्तु मुझे पुत्रियों का मोह अधिक है और संभव है कि मैं अपनी सारी सम्पत्ति पुत्रियों को दे दूं।

†**एक माननीय सदस्य :** क्या यही इस विधेयक की कसौटी है ?

†**श्री सी० डी० पांडे :** इस देश में कसौटी यह है कि जहां सम्पत्ति अत्यल्प है या है ही नहीं वहां आप पुत्रियों को उनके पिता के ऋणों का उत्तराधिकारी बना रहे हैं। इस देश में ऐसे व्यक्ति कहीं अधिक हैं जोकि ऋणग्रस्त हैं। आप अपने ऋण अपनी पुत्रियों, दामादों पर क्यों छोड़ जाना चाहते हैं ?

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** दामाद ससुर की सहायता करते हैं।

†**श्री सी० डी० पांडे :** ऐसा बहुत ही कम होता है। मेरा निवेदन यह है कि सम्पत्ति की व्यवस्था पिता द्वारा की जाती है। सम्पत्ति की व्यवस्था पुत्रों द्वारा की जाती है। इससे होगा यह कि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े देश भर में हो जायेंगे और पुत्रियों को पुत्रों की अपेक्षा अधिक कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसलिये इस तरह का एकपक्षीय रुख सही नहीं है। पुत्रियों को बराबर का हिस्सा देने के पक्ष में हम सभी हैं। जब तक पुत्री का विवाह नहीं होता है और वह पिता के साथ रहती है तब तक उसे अन्य भाइयों के साथ पिता की जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिये। किन्तु ज्यों ही वह विवाह के बाद ससुर के घर जाती है तो उसे ससुर की सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा प्राप्त होना चाहिये। इससे इस विधि के लागू किये जाने में जो कठिनाइयां हैं वह दूर हो जायेंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उत्तराधिकार का प्रमुख आधार प्रेम है। मेरा ख्याल है कि यह सभा इस बात से सहमत होगी कि मैंने जो हल प्रस्तुत किया है वह आवश्यक है और मुझे विश्वास है उसे सभा स्वीकार करेगी। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस सुझाव पर विचार करें और विधेयक में आवश्यक संशोधन करें। इससे देश की जनता को, इस सभा को, और उन व्यक्तियों को भी पूर्ण संतोष होगा जो पुत्री को समान हिस्सा देने की मांग कर रहे हैं। मैं इस विधान का विरोधी नहीं हूं और पुत्री को बराबर का हिस्सा दिये जाने के विरोध में भी मैं नहीं हूं।

कहा जाता है कि हिन्दू जाति की जो भी पद्धति है उससे सम्बन्धित सभी बातें निकृष्ट हैं। लोग कहते हैं कि यह सभी दोष हटाये जाने चाहियें। किन्तु मैं उनसे पूछता हूं कि क्या हमें अपने अतीत के बारे में लज्जा की अनुभूति होती है ? क्या एक निकृष्ट व्यवस्था के लिये यह संभव है कि वह टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राधाकृष्णन जैसी महान् विभूतियों को जन्म दे सके ? क्या इस देश में ऐसी अवस्था आ सकती है जबकि माताओं को ही आदर और सभी अधिकार प्राप्त होंगे और पुत्रियों को कुछ भी नहीं ? मेरा निवेदन है कि यदि किसी बात ने इस देश को हज़ारों वर्षों तक कायम रखा है तो वह हमारी सामाजिक व्यवस्था ही है। संभव है कि वह गतिशील न हो किन्तु समय के अनुसार उसमें

†मूल अंग्रेजी में।

आवश्यक परिवर्तन हो जाते हैं। आज मैं बिना किसी हिचक के यह कह सकता हूं कि कम से कम विवाह सम्बन्धी हमारी व्यवस्था पाश्चात्य देशों से सौ गुना अच्छी है। पंडित के० सी० शर्मा ने कल कहा कि हमें पश्चिम के सभ्य देशों के समकक्ष होना चाहिये। क्या ऐसा कह कर अपने आपको कम सभ्य बतलाना हमारे लिये लज्जास्पद नहीं है ?

लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में लड़कियों को स्वाधीनता प्राप्त है। वहां १८ वर्ष की लड़की को अपने पिता के घर में रहने पर शुल्क देना होता है। इस देश में लड़की को न केवल उसके पिता का किन्तु भाइयों और अन्य रिश्तेदारों का प्रेम भी प्राप्त होता है। यह हमारी पारिवारिक परम्परा है। इसलिये लड़की हमारे समाज में अधिक सुरक्षित है। निश्चय ही इसके अपवाद हैं किन्तु अपवाद सभी बातों में होते हैं। हम पाश्चात्य देशों से अधिक सभ्य हैं और इसका प्रमाणपत्र पाने के लिये हमें उनका मुंह ताकने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिये हमें भारत की संस्कृति के प्रति लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिये। निस्संदेह यदि परिवर्तन आवश्यक होंगे तो वह किये जायेंगे। परिवर्तन इस प्रकार विधानों और विधेयकों से नहीं किये जाते हैं किन्तु वह देश की स्थिति के अनुसार स्वयं ही हो जाते हैं।

संभव है कि इस विधेयक में आपको किन्हीं खंडों में परिवर्तन करना पड़े किन्तु इस देश ने जो महान सामाजिक संस्कृति निर्माण की है उसमें परिवर्तन स्वयं और धीरे-धीरे होंगे। हमें आज विश्व में जो सम्मान प्राप्त है वह हमारी महान् संस्कृति के कारण ही है। पश्चिम के अधिकांश पर्यवेक्षकों का कथन है कि भारत का मानस अति सूक्ष्म है और उसकी तुलना किसी अन्य देश से करना संभव नहीं है।

श्री भागवत झा आज़ाद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन जिस रूप में यह है, उस रूप में नहीं। मैं सदा इस बात का समर्थक रहा हूं और हमारी प्राचीन संस्कृति का यह आदर्श है कि स्त्री और पुरुष समाजरूपी गाड़ी के दो पहिये हैं और समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि दोनों को उचित स्थान दिया जाय। यह कोई नई बात नहीं है, जिस पर हमारे माननीय मंत्री और हमारे कुछ दोस्त बार-बार ज़ोर दिये जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति खराब है, हमारे विचार खराब हैं, हमने स्त्रियों को दबा रखा है और हमारे देश की सब बातें सड़ी हुई हैं और हमको सुधार करना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि हमारे शास्त्रों ने, हमारे कानून बनाने वाले मनु ने और हमारे अन्य विद्वान् पुरुषों ने जिस समाज की कल्पना की थी और जो समाज प्रारम्भ काल में था, वह नहीं रहा। मैं यह भी मानता हूं कि आज हमारे समाज में स्त्रियों को वह स्थान प्राप्त नहीं है, जो कि होना चाहिये। मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं कि हमारे कुछ बन्धु उन पर ज़ुल्म (अत्याचार) करते हैं, लेकिन क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस तरह कुछ पति ज़ुल्मी हैं, उसी तरह कुछ स्त्रियां भी हो सकती हैं, जिनका व्यवहार आपत्तिजनक हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अपवाद तो हर समय और हर स्थान पर पाये जा सकते हैं। मैंने विवाह और विच्छेद विधेयक और विशेष विवाह विधेयक का भी समर्थन किया था और आज इस विधेयक का भी समर्थन करता हूं ——पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं——लेकिन मैं आप के सामने यह भी कहना चाहता हूं कि सम्भव है कि मेरे कुछ माननीय मित्र कहें कि तुम्हारे विचार असंतुलित और अपरिपक्व हैं और तुम क्या जानते हो और साथ ही यह भी कह दें कि "मैं पच्चीस वर्ष की वकालत और सार्वजनिक जीवन के अनुभव के आधार पर बोलता हूं"। मैं मानता हूं कि मेरा अनुभव आप से कम हो, परन्तु मेरा विचार है कि आप जिस वक्त मेरी उम्र के होंगे, उस वक्त आप चोरी करते होंगे या मछली मारते होंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीच्युएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) मेरा ज़िला और मेरा प्रदेश इस विधेयक का इस रूप में स्वागत नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि लड़कियों को सम्पत्ति में अधिकार मिले, लेकिन यह कार्य क्रमशः और एक व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक होना चाहिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मद्य-निषेध कानून अच्छा नहीं है ? क्या देश इस का स्वागत नहीं करता है ? हम जानते हैं कि हम एक साथ ही देश में मद्य-निषेध लागू नहीं कर सकते, इसलिये हमने निश्चय

[श्री भागवत झा आज़ाद]

किया है कि इस विषय में हम क्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या शारदा कानून यहां पर पास नहीं किया गया ? आज वह कानून कहां है ? वह कानून हवा में उड़ गया है ---रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। तथ्य यह है कि समाज इस प्रकार के कानूनों के लिये अभी तैयार नहीं है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि इस विधेयक में सब परिस्थितियों को ध्यान में रख कर आवश्यक परिवर्तन किया जाये। परमपूज्या श्रीमती उमा नेहरू ने अभी जिस बात की ओर संकेत किया है, उसपर हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। प्रश्न यह है कि इस कानून को ज़मीन पर भी लागू किया जाये या नहीं। मैं ज़मीन पर सीलिंग (उच्चतम भूधारण सीमा) का समर्थक हूं और हमें इस बात का गौरव है कि हिन्दुस्तान भर में बिहार सर्वप्रथम यह कानून लाया है और वह आज-कल बिहार असेम्बली (विधान-सभा) में पास हो रहा है जिस का तात्पर्य यह है कि ज़मीन पर सीलिंग लगाई जाये---एक परिवार को सिंचाई वाली ज़मीन पच्चीस एकड़ और बिना सिंचाई वाली पचास एकड़ ज़मीन दी जाये। इस कानून के द्वारा जिस सम्पत्ति का बंटवारा करने का विचार किया जा रहा है, क्या वह बम्बई और कलकत्ता में स्थित है ? उस सम्पत्ति का अस्सी प्रतिशत भाग देहात में है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस कानून के द्वारा सम्पत्ति का बंटवारा होगा या गरीबी का ? मेरे परिवार के पास पच्चीस एकड़ ज़मीन है। मेरे दो बच्चे हैं और मेरे बड़े भाई के छः बच्चे हैं। अगर हमारे परिवार की लड़की को ज़मीन मिलेगी, तो वह केवल एक एकड़ होगी---एक एकड़ ज़मीन और एक झौंपड़ी मिलेगी। अगर वह लड़की उस ज़मीन को लेने आ जाय और मेरे भाई के पास उसको खरीदने के लिये रुपया न हो तो वह ज़मीन को दूसरे को बेचेगी और इस प्रकार अपने माता-पिता के पास आने में घबरायगी और डरेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ज़मीन को इस में सम्मिलित न किया जाय। जिस समय यह कानून पूर्ण रूप से देश में लागू हो जाय और हम आवश्यकता अनुभव करें, तो ज़मीन को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। मैं आज कहता हूं कि उस समय मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन कठिनाई तो यह है कि आप समझते हैं कि यह कानून पास (पारित) कर देने से सारा मामला हल हो जायगा। मेरी बहिन श्रीमती सुभद्रा जोशी ने बड़े जोश-खरोश के साथ कहा कि इस कानून के पास होने से सब समस्यायें हल हो जायेंगी---शायद इसके पास होने से एस० आर० बिल (राज्य पुनर्गठन विधेयक) का मामला भी हल हो जायगा और दिल्ली को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट (प्रजातांत्रिक सरकार) भी मिल जायगी---और यहां पर स्वर्ग स्थापित हो जायगा।

मेरे मित्र श्री देशपांडे उदाहरण देते हैं रामचन्द्र और सीता का। मेरा निवेदन है कि वह ज़रा इस ज़माने को देखें जिस समय रामचन्द्र जी वन जाने लगे, तो सीता ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन अगर आज रामचन्द्र बन जाने लगें, तो सीता जी सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) से इंजंक्शन (आज्ञप्ति) ले आयेंगी। अपना अपना आदर्श होता है, जो कि समयानुसार बदलता भी रहता है। आज की सीता कह सकती है कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे साथ बन में मारी-मारी फिरूं। इसी प्रकार लक्ष्मण का उदाहरण भी दिया गया है। लक्ष्मण ने कहा था कि मैं सीता की मनटिकिया नहीं पहचानता हूं, उनकी पैंजनी पहचानता हूं, लेकिन आज का लक्ष्मण तो कहेगा कि मैं तो केवल सीता की मनटिकिया ही पहचानता हूं। मैं उन बातों का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, जो कि हमारे एक दो पूज्य पुरुषों ने कही हैं। इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे मोरे साहब ने जो लम्बा चौड़ा भाषण दिया है, उससे मुझे अपने उस प्रोफेसर की याद आई है, जो कि हर रोज़ हमको यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) में कहा करता था : "अब मैं आपको प्रश्न की व्यापक बातें बताऊंगा"। हालांकि इकनामक्सि के हैड आफ दि डिपार्टमेंट (विभाग अध्यक्ष) हमको उस विषय में बहुत कुछ बता चुके थे और हम उतना ही जानते थे, जितना कि वह प्रोफेसर साहब जानते थे। वही स्थिति हमारे मोरे साहब की है। जो बातें हम उनसे ज्यादा जानते हैं, वही बातें वह हमारे सामने बार-बार रखने का प्रयत्न करते हैं। जब वह कांग्रस में थे, तो उनको कुछ मिला नहीं। आज उनकी एक मेम्बर (सदस्य) की

पार्टी (दल) कहती है कि हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। मैं भी तो इसका समर्थन करता हूं। यह श्रेय कांग्रेस पार्टी (दल) को है जिसने समाजवाद को कायम करने का प्रस्ताव रखा है; यह श्रेय कांग्रेस पार्टी को है जिसने विवाह और विच्छेद बिल पास किया है, यह श्रेय कांग्रेस पार्टी को है जिसने और विशेष कानून पास किये हैं; और यह श्रेय है कांग्रेस पार्टी को जो इस बिल को पास कर रही है। अगर वह अपोजीशन के मेम्बरों (विरोधी दल के सदस्यों) को यह सब चीजें समझायें तो उनको फायदा हो सकता है। मैं इस विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं और मैं यह मानता हूं कि औरतों को अधिकार मिलने चाहियें लेकिन मैं यह नहीं मानता कि आज ही वह उपयुक्त अवसर है जब कि वे सब अधिकार दे दिये जायें। १४ साल से यह बिल देश के सामने है। हमने चुनाव में यह कहा था कि हम इस कानून को पास करेंगे। जब जवाहरलाल जी से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने पूछा कि क्या आप यह विधेयक पास करेंगे तो उन्होंने यह कहा था कि, "मैं यही कह सकता हूं कि मैं इस विधेयक को पारित करूंगा"। लेकिन यह कहां कहा था कि पहले क्लाज से लेकर आखिर तक पास करेंगे। हमारे मोरे साहब किसी के विचार की यह व्याख्या करते हैं जो कि उचित नहीं है। वह कभी ईस्ट इंडिया कम्पनी को कोट (उल्लेख) करते हैं और कभी आगे से और कभी पीछे से कोट करते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि जिस रफ्तार (गति) से समाज बढ़ रहा है उसी रफ्तार से हमको भी बढ़ना चाहिये। हमको इतनी तेजी नहीं करनी चाहिये कि हम स्वयं ही गिर जायें। मैं इस बिल का समर्थक हूं लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रान्त का मैं रहने वाला हूं वहां की जनता इस विधेयक से सहमत तो है परन्तु वह यह नहीं चाहती कि इसको इस रूप में पास न किया जाये जिसमें कि आप कर रहे हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दो साल तक देखें कि इसका सीलिंग पर क्या असर होगा ? आपने यह तै कर लिया है कि सारे देश में पांच साल में ज़मीन का सीलिंग हो जायेगा। अभी यह पता नहीं है कि वह सीलिंग क्या होगा, २५ एकड़ होगा या १० एकड़ होगा। अब आपके इस कानून के अनुसार हमारी उस ज़मीन का बंटवारा होगा। हम लोग अपनी लड़कियों को अपनी भतीजियों को अपनी चल सम्पत्ति दे सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ८० प्रतिशत सम्पत्ति अचल है। अगर आपको चल सम्पत्ति का बंटवारा करना है तो आपको गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि हम ऐसा करें या न करें।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि यह कानून ज़मीन पर भी लागू हो जाये, अगर आप चाहते हैं कि हम यह अधिकार सब लोगों को दें तो आपको लड़की को केवल उस सम्पत्ति में से हिस्सा देना चाहिये जो कि पिता के हिस्से की हो। जैसे कि अगर एक आदमी के दो लड़के हैं और एक लड़की है। तो पिता का तिहाई हिस्सा हुआ। उसमें से आप लड़की को हिस्सा दें। इसे हम मान लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोनों सुझावों पर गौर करें। या तो आप ज़मीन पर इस कानून को लागू न करें या अगर करते हैं तो लड़की को केवल पिता के हिस्से में से हिस्सा दिया जाये।

आपने पढ़ कर बताया कि क्लाज ४ के सब-क्लाज (खंड ४ के उप खण्ड) में यह कहा गया है कि यह ज़मीन पर लागू नहीं होगा। माननीय मंत्री जी मुझे माफ करेंगे, वह तो बड़े कानूनदां हैं। मैंने भी कानून पास तो किया है पर मैं कभी अदालत में नहीं गया, मुझे वहां जाने से घबराहट होती है। यहां पर आपके चरणों में कुछ सीख रहा हूं। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन (व्याख्या) आपने दिया है वही अदालतों में दिया जायेगा यह मेरी समझ में नहीं आता। इसमें लिखा है कि "जोतों के छोटे-छोटे टुकड़े होने से रोकने के लिये या काश्तकारी अधिकारों के न्यसन के लिये सीमा निर्धारण के लिये बनी विधियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा"।

पहले तो आप मुझे यह बतलायें कि आपने जो यह कहा कि यह कानून उन राज्यों में लागू नहीं होगा जहां पर ऐसे कानून हैं, मैं पूछता हूं कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें ऐसा कानून है ? क्या आप

[श्री भागवत झा आज़ाद]

समझते हैं कि इस कानून के पास होने के बाद वे राज्य जिनमें पहले से कानून नहीं है इस कानून की परवाह किये बिना कानून बना सकती हैं और ऐसा प्रावीजन (व्यवस्था) कर सकती हैं कि ज़मीन के रूप में सम्पत्ति लड़की को नहीं दी जायेगी ? क्या आप समझते हैं कि इस सब-क्लाज (उपखण्ड) के अनुसार लड़कियां ज़मीन में अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकेंगी ? अगर आपका ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि लड़कियां इस कानून के अनुसार ज़मीन में अपना हिस्सा नहीं मांग सकेंगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन हम देखते हैं कि यह इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता । आप कहते हैं फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिग्स (जोतों का छोटे टुकड़ों में बंटना) के बारे में.....

श्री कासलीवाल (कोटा झालावाड़) : यह तो ज़मीन पर लागू होने के लिये रखा गया है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : यही बात है फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिग्स का जिक्र इसीलिये किया गया मालूम होता है कि लोग इसको होल्डिग (जोत) के बारे में समझ लें । अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हो पाया है कि होल्डिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, सीलिंग (अधिकतम सीमा) क्या है ? मैं नहीं समझ सकता कि इस सब-क्लाज से जो आप कहते हैं वह कैसे सम्भव होगा ? आज कांग्रेस की मीटिंग्स (सभाओं) में और बाहर भी कहा जा रहा है कि सीलिंग को लगा कर हम प्रोडक्शन (उत्पादन) को बढ़ायेंगे । लेकिन अब इस पर भी संदेह प्रकट किया जाने लगा है । मैं तो अभी भी उन लोगों में हूं जो कि यह कहते हैं कि सीलिंग लगाने से उत्पादन बढ़ेगा लेकिन मेरे कुछ वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री मित्र इस बात पर सन्देह प्रकट करने लगे हैं । वह समझते हैं कि शायद सीलिंग करने से प्रोडक्शन घट जाये । जहां यह हालत है वहां आपको यह भी सोचना होगा कि अगर किसी के पास एक एकड़ या दो एकड़ या तीन एकड़ ज़मीन होगी तो क्या उसका बंटवारा करना ठीक होगा । अभी हमारे यहां सीलिंग का प्रश्न चल रहा है । कितने ऐसे आदमी हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है । आज हमारे यहां ९० या ९५ प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके होल्डिंग बहुत छोटे हैं । मेरा विश्वास है कि इस दृष्टि से कानून मंत्री जी ने इस प्रश्न को सोचा ही नहीं है । आप अब सोचें कि इसका क्या अर्थ होगा ?

मैं एक गरीब आदमी हूं । मैंने हाल में अपनी भतीजी का विवाह किया है पांच हजार रुपया तो नकद दिया है । इतने पर वे लोग इसलिये संतुष्ट हो गये कि उन्होंने समझा कि यह एम० पी० (संसद् सदस्य) है कोई अच्छी नौकरी दिलवा देगा । बारात आयी डेढ़ सौ और कोई साढ़े तीन हजार रुपया उनके खाने पीने पर खर्च हुआ और इसके अतिरिक्त घड़ी, रेडियो आदि और दिया गया । और यह हमने खुशी खुशी दिया क्योंकि हमने सोचा कि लड़की का हिस्सा हमारी प्रापर्टी (सम्पत्ति) में है । लेकिन अगर कानून पास हो गया और मेरे पुत्री हुई तो मैं कहूंगा कि मेरिज सैरीमनी (विवाह संस्कार) की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट में चलो पांच रुपये में शादी हो जायेगी ।

एक माननीय सदस्य : वह कानून तो है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं भी कह रहा हूं कि वह कानून है । तो हम अपने होने वाले दामाद से कहेंगे कि कोर्ट (न्यायालय) में शादी कर लो और जो मेरी ६ एकड़ जमीन है उसमें से एक एकड़ तुम ले लो । मैं समझता हूं कि मेरी बहिनें मुझ से नाराज होंगी, लेकिन में इस प्रश्न को आर्थिक दृष्टि से देखता हूं क्योंकि में अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं । यदि आज इस देश में सम्पत्ति चल होती तो दूसरी बात थी । लेकिन इस देश की ८० से ९० प्रतिशत सम्पत्ति अचल है । मैं इसको ठीक नहीं समझता कि उसका बंटवारा हो । मुझे इस बात का दुःख है कि आपने सिर्फ एक ही बात को समझा है और वह है पिता की सम्पत्ति में लड़की द्वारा जैसे भी हो बंटवारा करने की बात । मैंने जो कुछ कहा है उससे यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि मैंने लड़कियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार मिलने का विरोध किया है । मैंने तो केवल यह बतलाया है

कि आज जैसी हमारी आर्थिक अवस्था है उसमें इस तरह बंटवारा करना संभव और उचित नहीं होगा। मैं इस बिल का समर्थन करते हुये यह चाहता हूं कि ज़मीन के बंटवारे वाली बात को इसमें से निकाल दिया जाय। आज इस तरह का कानून लागू करने के लिये अनुकूल परिस्थिति विद्यमान नहीं है और इसलिये बेहतर होगा कि इसको एक साल बाद फिर लागू किया जाय और ज़मीन को इस क़ानून से बाहर रखने की जो बात श्रीमती उमा नेहरू ने की है उस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और हम अधिकांश सदस्य उनके इस विचार से सहमत हैं, जिस विचार का प्रतिपादन हमारी श्रीमती उमा नहरू ने किया है, उसको सदन के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा आलटरनेटिव (विकल्प) यह है कि अगर लड़की को हिस्सा देना है तो उसको पिता की सम्पत्ति में से दिया जाय और सब भाइयों के बराबर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इन शर्त्तों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** (गुण्टूर) : कुछ माननीय सदस्यों का विचार यह मालूम पड़ता है कि इस विधेयक के समर्थक पुरातन संस्कृति को नष्ठ-भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है, वह विकासशील होती है। मैंने तो अपनी पुरातन संस्कृति को इसी रूप में समझा है कि उसे निरन्तर प्रगति ही करनी चाहिये। इसीलिये, यदि हम आज हिन्दू विधि के किसी पक्ष विशेष को संहिताबद्ध करते हैं, तो उसका अर्थ पुरातन संस्कृति को नष्ट करना नहीं हो सकता।

विधान कोई उद्देश्य नहीं होता। वह तो एक साधन मात्र होता है। उसे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति को सुविधाजनक बनाना चाहिये, उन्हें जकड़ना नहीं चाहिये। अब हमें यह सोचना चाहिये कि हमें अपने देश में किस प्रकार के समाज की स्थापना करनी है। स्पष्ट है कि हम अपने देश में अस्पृश्यता, जातिवाद, और विधवाओं की विडम्बना को मिटा देना चाहते हैं। हमारे संविधान ने भी सामाजिक और आर्थिक न्याय का ही उद्देश्य हमारे सामने रखा है। हम सभी प्रकार की असमानतायें मिटा देना चाहते हैं। इसीलिये इन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये विधान बनाना हमारा एक कर्त्तव्य है। और इसीलिये हमारे देश की प्रगति में सहायक होने वाले नियमों में संशोधन करने का पूर्ण औचित्य है।

दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि इस विधेयक से संयुक्त पारिवारिक जीवन छिन्न-भिन्न हो जायेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस विधेयक के किसी भी खण्ड में यह नहीं कहा गया है कि प्रत्येक वारिस को आवश्यक रूप से विभाजन की मांग करनी चाहिये। आप अपनी सम्पत्ति का विभाजन इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं, बल्कि वर्तमान विधि के अन्तर्गत ही करते हैं। मिताक्षरा समांशिता की विशेषता क्या है? यही कि परिवार में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक पुत्र या पौत्र जन्म से ही संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का अंशधारी बन जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है—उत्तरजीविता।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

क्या हिन्दू संमाशिता की इस प्रणाली से भूमि के विभाजन के विरुद्ध कोई सुरक्षा मिलती है? नहीं, क्योंकि जन्म से ही सम्पत्ति के अंशधारी बनने का अधिकार देना ही विभाजन के अधिकार को मान लेना है। संयुक्त परिवार को छिन्न-भिन्न करने का बीज तो वहीं बो दिया गया। तब फिर यह कहना गलत है कि इस विधेयक से संयुक्त परिवार छिन्न-भिन्न हो जायेगा।

अब, मैं अलग-अलग खण्डों को लेता हूं। संयुक्त समिति में, हमने खण्ड ३ (१) (च) के अन्तर्गत आने वाले "related" ["सम्बंधित"] शब्द की परिभाषा कर देना ही उचित समझा था। पहले तो विधेयक का रूप कुछ ऐसा था कि अवैध संतानों को केवल माता के ही सम्बन्ध में वैध माना जाना चाहिये पर, हमने इस लोक-सभा में ही पारित विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम में

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्]

विवाह रद्द किये जाने पर, संतान के हितों की रक्षा की है। इसीलिये, हमने यह रखा था कि पिता का पता लगने पर उस अवैध संतान को पिता से भी सम्बंधित माना जाये। इसीलिये, अब इस विधेयक में मेरा सुझाव है कि अवैध संतानों को पिता की सम्पत्ति का वैध अंशधारी भी माना जाये।

खण्ड ४ (२) में कृषि सम्पत्ति को इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया है। हम जानते हैं कि कुछ राज्यों ने जोतों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटने से रोकने के लिये विधान बनाये हैं। यह विधेयक उनमें हस्तक्षेप नहीं करता। कुछ सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ भय प्रकट किया था कि इससे विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार के कार्य में बाधा पड़ेगी। उसी को दूर करने के लिये यह खण्ड इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है, वैसे यदि इसे निकाल भी दिया जाये तो भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं आयेगा।

एक तर्क यह भी दिया गया है कि कृषि सम्पत्ति को शब्द 'सम्पत्ति' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। इस देश में तो मुख्य सम्पत्ति कृषि सम्पत्ति ही है। इसलिये वैसा करना ग़लत होगा। इस विधेयक का कोई भी प्रभाव किसी भी प्रकार से उत्पादन वृद्धि या भूमि की उपयोगिता पर नहीं पड़ेगा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि खण्ड ६ को कुछ अच्छे शब्दों में प्रारूपित नहीं किया गया है। वास्तव में, इस विधान का मूल सिद्धान्त यही है कि सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में लिंग के आधार पर स्त्री-पुरुषों में कोई विभेद न किया जाये। इसीलिये हमने संयुक्त समिति में यही प्रयास किया था कि जन्म द्वारा प्राप्त अधिकार और उत्तरजीविता द्वारा प्राप्त अधिकार के सिद्धान्तों को बनाये रखें, और साथ ही साथ स्त्री को भी समान अंशधारी बना दें, और यदि यह दोनों एक साथ न हो सकें तो मिताक्षरा संमाशिता की समूची प्रणाली को ही हटा दें। संयुक्त समिति के बहुमत की राय यही थी कि इन दोनों को ही पूरा किया जा सकता है। इसके लिये तमाम प्रारूप तैयार किये गये थे और काफी चर्चा हुई थी। उसी सब का परिणाम यह खण्ड ६ है। यदि आप संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के साथ जुड़ी हुई विमिति टिप्पणियों को देखें, तो आपको पता चल जायेगा कि समिति के अधिकांश सदस्य भी इस बात पर सहमत थे कि इस खण्ड को अधिक अच्छे शब्दों में प्रारूपित नहीं किया गया है और इससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है जो हमने अपने लिये निश्चित किया था।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि मिताक्षरा संमाशिता की प्रणाली अब एक नष्टप्रायः प्रणाली है। विभाजन का अधिकार देने के साथ ही साथ, आपने व्यवहारिक रूप में समांशी प्रणाली के छिन्न-भिन्न होने का भी आधार जुटा दिया था। अब मिताक्षरा समांशिता को नष्ट होने से रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो नष्ट हो कर ही रहेगी। लेकिन, यदि कोई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इस प्रणाली के रखते हुए भी पुत्रियों को समान सम्पत्ति-अधिकार दिये जा सकते हैं, तो मैं पूरी तौर से उसका समर्थन करूंगा। लेकिन, यह सम्भव नहीं है। जन्म द्वारा प्राप्त अधिकार और उत्तरजीविता के सिद्धान्त को हटाये बिना, हम यह नहीं कर सकेंगे।

मैं खण्ड १७ (१) और खण्ड १७ (२) (क) के विरुद्ध की गई आलोचनाओं से सहमत हूं। इस खण्ड से हिन्दू स्त्रियों के उत्तराधिकार के सामान्य नियम पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। संहिता में तो संतान न होने पर भी मृतक पति की सम्पत्ति में उसकी पत्नी को अंशधारिणी बनाया गया है। लेकिन, पत्नी को उसके माता-पिता की ओर से मिलने वाली सम्पत्ति में, संतान न होने पर, पति को कोई अंश नहीं दिया गया है। यह एक विभेद है। स्त्रियों ने भी इसका विरोध किया है। इसलिये, इस खण्ड का उपयुक्त संशोधन होना चाहिये।

अन्त में, मैं फिर से यही कहूंगा कि इस विधेयक का आशय बिलकुल भी यह नहीं है कि पुरातन संस्कृति को मिटा दिया जाये। यह तो समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिये ही किया जा

रहा है; यह तो सामाजिक बुराइयों की जड़ें खोदने के लिये ही किया जा रहा है। इससे हमारी संस्कृति में वृद्धि ही होगी, कमी नहीं।

श्रीमती कमलेन्दुमती शाह (जिला गढ़वाल–पश्चिम व जिला टिहरी-गढ़वाल व जिला बिजनौर-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, पुत्रियों को सम्पत्ति में अधिकार मिलने के सम्बन्ध में मेरे विचार इस प्रकार हैं, महिलाओं के कष्ट दूर करने के लिये आज इस सदन में मेरे भाई, जिन के यहां भी पुत्रियां हैं, बहनें हैं, मातायें हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं वह सराहनीय है। परन्तु उन प्रयत्नों का परिणाम क्या होगा, मैं समझती हूं कि यह भी एक विचारने की बात है। आज मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज स्त्रियों की दुर्दशा हो रही है, यदि स्त्रियों को कष्ट है, यदि आज वह उचित बर्ताव नहीं कर रहीं हैं, तो इस का कारण उन के भाई, पिता और पुत्र हैं। इसलिये यदि स्त्रियों के दुःखों को आप दूर करना चाहें तो पिता, भाई और पुत्र ही दूर कर सकते हैं और उसके लिये वे ही उपाय कर सकते हैं। कोई भी पिता अपनी पुत्री को देने में कुछ कमी नहीं करता है, यहां तक कि उस का विवाह करने में ऋणी तक हो जाता है, अनगिनत कष्ट सह कर पिता विवाह करने के बाद पुत्री को त्यौहारों में बुला कर कुछ न कुछ अवश्य देता है। पिता को पुत्री की चिन्ता जितनी होती है उतनी पुत्र के लिये नहीं होती। पुत्र के लिये इतनी ही चिन्ता होती है कि वह थोड़ा पढ़ ले और पढ़ने के बाद कुछ काम करे और खेती में हाथ बटाये। लेकिन जैसा मैंने कहा पुत्री की चिन्ता में वह ऋणी तक हो जाता है। इसलिये यह नितान्त ग़लत बात है कि पिता पुत्री की अवहेलना करता है अथवा पुत्री को पिता की सम्पत्ति का पुत्र के समान भाग नहीं देने से पुत्री की समाज में अवहेलना होती है या समाज में उसका आदर कम हो जाता है। पिता की सम्पत्ति का आधा भाग तो सम्पत्ति कर में चला जायेगा, जो आधा भाग बचेगा वह पुत्रों के बीच बंटेगा, जिसके कारण भाई-भाई में स्वयं झगड़ा होता है, उस में यदि बहन ने भी अपना भाग मांगा तो उस पर से भी भाइयों का विश्वास उठ जायेगा, उन का प्रेम खत्म हो जायेगा। कल यहां कहा गया कि बहन का और भाई का बन्धन बहुत मजबूत होता है। यह सब होते हुए भी अगर बहन अपना भाग नहीं भी मांगती तब भी ससुराल वाले तो कानून का आश्रय लेने से कभी नहीं चूकेंगे। नतीजा यह होगा कि सम्पत्ति के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे और उस सम्पत्ति को बचाने के लिये ममेरे और चचेरे भाई बहन में विवाह होने की प्रथा चल पड़ेगी और हमारा नैतिक पतन हो जायेगा।

यह जो कहा जाता है कि लड़कियों को बराबर का भाग देने से समाज उन का आदर करेगा, इसमें मुझे शक है। आदर के बदले घर में रही सही शान्ति और आपस का प्रेम भी खत्म हो जायेगा और बहन को तब भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। आज मैं पूछना चाहती हूं कि अगर बहन को सम्पत्ति का बराबर भाग मिलेगा तो क्या उस के कोमल कन्धों पर आप उस के पिता के कर्ज का बोझ भी डालेंगे जो कि भाई तथा घर वाले देते हैं ?

एक माननीय सदस्य: कर्जा का बोझा भी उठाना पड़ेगा।

श्रीमती कमलेन्दुमती शाह : गरीब से गरीब मां और बहिन अपने पति और बच्चों को, भाई को स्वयं भूखे रह कर खिलाती हैं। जब बहन अपना भाग मांगने लगेगी तो क्या उसका प्रेम अपने भाई के प्रति सुदृढ रह सकेगा ? कम से कम मुझे तो इस में शंका है। कन्या भी पुत्र के समान पिता की सम्पत्ति का भाग पा जायेगी, सुनने में यह बहुत भला लगता है, परन्तु व्यावहारिक रूप में इस का क्या परिणाम होगा ? इस का परिणाम यह होगा कि वर पक्ष वाले केवल सम्पत्ति का ध्यान रखेंगे कि कन्या के आने से कितनी सम्पत्ति मिलेगी और उसके अनुसार सम्बन्ध करेंगे। इससे मुझे यह शंका होती है कि कन्या को विवाह के पश्चात् शायद ही कोई आराम मिल सके। यह एक विचारणीय विषय है। यदि पति द्वारा पत्नी को कोई भाग मिल सकता है तो उस का उपाय रखा जाये क्योंकि यही ठीक है और उसको पति की सम्पत्ति में से आधा भाग दिलाया जाना चाहिये। महिलाओं को अपने पति की सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

है और वह उन को मिलना चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि जैसे भाई से आप बहन को आधा भाग दिला रहे है उसी तरह से आप पति से पत्नी को उस की सम्पत्ति का आधा भाग क्यों नहीं दिला रहे हैं ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि स्त्री ने विवाह के बाद जिस धर म जाना है, उस घर में उस को सम्पत्ति का भाग मिलना चाहिये। अगर उसको भाई की सम्पत्ति में भाग देने की व्यवस्था की गई, तो वह सम्पत्ति पराये हाथों में चली जायेगी और पितृ-गृह वालों को अवश्य असुविधा होगी इस बात में कोई संशय नहीं है। अगर पति की सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार होगा, तो इस में पति को कोई असुविधा का प्रश्न ही नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर वह सम्पत्ति उस स्त्री के काम आयेगी।

मेरा यह भी निवेदन है कि अवैध बच्चों को कोई अधिकार न देना बहुत ग़लत बात है। उन बच्चों का कोई दोष नहीं होता है। अगर आप उनको कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो इस का तात्पर्य यह है कि आप उन को भूखा मारना चाहते हैं।

इस विधेयक द्वारा स्त्रियों को अधिकाधिक सुख पहुंचाने के लिये प्रयत्न किया गया है। परन्तु यदि इस सम्बन्ध में मुझे अधिकार होता तो मैं तो यह व्यवस्था करती कि पुत्री के जन्म लेते ही पिता एक बचत योजना आरम्भ कर दे और विवाह के समय वह धन उसको दे दे। इस प्रकार उस कन्या का भावी जीवन अधिक सुरक्षित हो जायेगा।

यह भी व्यवस्था की जाये कि विवाह के समय पति की सम्पत्ति का आधा भाग पत्नी को दे दिया जाये। इस अवस्था में पति अपनी पत्नी को कष्ट पहुंचाने में झिझकेगा और इन के ज्यादा मेल से रहने की सम्भावना होगी। अगर वह उस को कभी कष्ट भी देगा, तो वह सम्पत्ति उस स्त्री के काम आयेगी और वह बिल्कुल असहाय और निराश्रय नहीं हो जायेगी।

यह बात बिल्कुल उचित और आवश्यक है कि अगर स्त्री का चाल चलन बुरा हो या वह दूसरा विवाह कर ले, तो उस को पति की सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाय।

विवाह के समय पिता के द्वारा दिये गये धन को दहेज़ कहा जाता है, परन्तु उस को स्त्रीधन मानना चाहिये। आप हिन्दू लॉ (विधि) में देखिये अथवा हिन्दी शब्द कोष देखिये, आप यही पायेंगे कि दहेज़ का अर्थ स्त्रीधन है अर्थात् स्त्री उस की मालिक हो, लेकिन हम देखते हैं कि दहेज़ को वर की सम्पत्ति समझा जाता है, वर को तो जो कुछ देना होता है वह तिलक के समय दिया जाता है और केवल उसी धन पर उसका अधिकार होता है। उस धन को वह अपने पास रखे, लेकिन दहेज़ पर स्त्री का ही अधिकार होना चाहिये। हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि पुराने राजा विवाह के समय दहेज में अपनी पुत्री को दासियां और गउएं देते थे, जिन पर पुत्री का अधिकार होता था।

स्त्रीधन को स्त्री अपने जीवन-काल में जिस प्रकार चाहे व्यय करे और उस पर उसका पूर्ण अधिकार हो और मृत्यु के बाद वह उस के पुत्र और पुत्रियों में बांट दिया जाये तथा उस पर मृत्यु-कर नहीं लगना चाहिये। अगर आप स्त्रियों को वास्तव में कुछ सुविधा और सुख पहुंचाना चाहते हैं, तो यह प्रबन्ध कर दीजिये।

मैं कानून के बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन मैं अनुभव करती हूं कि इसमें एक बड़ी उल्टी व्यवस्था यह की गई है कि पुत्री की सम्पत्ति माता-पिता को जाये। पता नहीं यह किस की ब्रेन-वेव (दिमाग की सूझ) है ? मेरी समझ में तो यह बात बिल्कुल नहीं आई है।

वर्तमान विधान पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नि को उसकी सम्पत्ति की पूर्ण अधिकारिणी और समभागिनी बना देता है। अगर यह अधिकार विवाह के समय ही उस को दे दिया जाये, तो कितना अच्छा हो। इस तरह वह निश्चिन्त हो कर अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी।

मैं समझती हूं कि इसके साथ ही साथ यह व्यवस्था भी कर दी जाये कि अगर विवाह के पश्चात् पति की आर्थिक स्थिति सुधर जाये, तो उसी अनुपात से पत्नी के भाग को भी बढ़ाया जाता रहे।

अगर पुत्री का विवाह न हो या वह विवाह न करना चाहे, तो विवाह के समय दिया जाने वाला धन पिता उसके नाम कर दे और अगर उसके नाम करने से पहले ही पिता मर जाये, तो भाई से वह सम्पत्ति बहिन को दिलाई जाये। अगर बहन व्यस्क न हो, तो उस सम्पत्ति को उसके लिये सुरक्षित रखा जाये और बालिग होने पर उस को दे दी जाये, चाहे वह विवाह करे या न करे।

यह विधेयक केवल हिन्दुओं पर लागू किया जाना अहितकर है और प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। इस प्रकार की व्यवस्था की जाने पर पिता, पति और मृत माता का भाग पाने से देश की सब स्त्रियों का जीवन सुखी व सुरक्षित हो जायेगा। अतः उसको भाई का भाग दिलाना अनुचित होगा। माता की मृत्यु के बाद भी उस को उस की सम्पत्ति का भाग मिलेगा। अगर वह अपने भाई से भाग मांगती है, तो वह अन्याय है और मेरे विचार में उसका मन कभी भी ऐसा करने की उसे अनुमति न देगा। उस को विवाह के समय में पिता, पति द्वारा जो भाग मिल जायेंगे जो उसके लिये पर्याप्त होंगे अगर ऐसी व्यवस्था की जायगी, तो स्त्री हर प्रकार के कष्ट से बच जायेगी और उस को किसी की सहायता तथा न्यायालय की शरण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं तो पिता के मरने तक उसे सम्पत्ति पाने को ठहरना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसे धन न मिल सकेगा।

अगर पुरुष वास्तव में महिलाओं की सहायता करना चाहते हैं तो मेरे विचार में सब से पहले उनको वेश्यालय बन्द करने चाहिये थे—ब्राथल्ज़ (वेश्या गृह) बन्द करने चाहिये थे। आज वेश्यालय किस के कारण खुले हुए हैं? वे हमारे पुरुष भाइयों के कारण ही खुले हुए हैं। उन को बन्द करके आप सचमुच स्त्रियों की रक्षा करेंगे। दूसरे कई देशों में ऐसा किया जा चुका है। चीन में ऐसा कर दिया गया है। यहां भी इस ओर कदम उठाना आवश्यक है। जो स्त्रियां वेश्यालयों में फंसी हुई हैं, उनको निकालने के साथ उनकी सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इसके लिये पहले कानून बनाना चाहिये। उन छोटी-छोटी बच्चियों को बचाना चाहिये जो कि पांच छः वर्ष की उम्र से ही वेश्यालयों के वातावरण में रखी जाती हैं। ऐसा करने से आप सचमुच स्त्रियों का कल्याण करेंगे।

पंडित डी० एन० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों की तरफ एक कहावत है कि :

"चले थे हरि-भजन को, ओटन लगे कपास।"

हम यहां पर आये थे समाज सुधार करने और हिन्दुस्तान की आर्थिक हालत को सुधारने, लेकिन इससे पहले कि हम आर्थिक हालत को सुधार सकें या इस देश की नव्वे प्रतिशत गरीब जनता को कुछ सुख-सुविधा दे सकें, हम उसके धन का बंटवारा करने में लग गये हैं। जो लोग देहात में गये हैं, जिनकी कांस्टीच्युएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) देहात में हैं, उनको ज्ञात होगा कि देहात में साधारणतया लोगों के पास दो तीन एकड़ ज़मीन होती है और उस ज़मीन को वे लड़की की शादी में बन्धक रख देते हैं और हर लिहाज़ से उसकी शादी ठीक प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। ऐसी जगहों में और ऐसे लोगों के सामने यह कानून बनाना कि वे दो तीन एकड़ ज़मीन में से एक चौथाई हिस्सा या आधा हिस्सा लड़की को दे कर अपनी जवाबदेही से बरी हो जायें कहां तक उचित है, यह सोचने की बात है। मैं नहीं समझता कि इस तरह हम कहां तक उनके साथ न्याय कर रहे हैं या औरतों के हक में अच्छे कानून बना रहे हैं। जो लोग इस कानून के प्रवर्तक हैं, उनके दिमाग में यह बात थी कि स्त्रियों की हालत सुधरे और उनको धन में हिस्सा मिले। इस सदन में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, जो उनको यह हक नहीं देना चाहता है। फ़र्क हम लोगों में यह है—हमारे विचारों में विभिन्नता इस बात में है—कि वह हक कहां मिले और कैसे मिले? प्रश्न यह नहीं है कि हम औरतों को सदा गुलाम बनाये रखें या उनको कोई हक न दें। सोचना यह है कि किस हालत

[पंडित डी० एन० तिवारी]

में और कहां उनको हक देने से उनकी भलाई होगी और समाज का कल्याण होगा और हिन्दुस्तान में जो होल्डिंग्स का फ्रेंग्मेंटेशन (जोतों का बंटवारा) हो रहा है उससे बचा जा सकता है। किन्हीं लोगों का विचार है कि पिता के धन में लड़कियों को हिस्सा दिया जाये तो कुछ लोगों का मत है कि पति के धन में स्त्री को हिस्सा दिया जाये। दोनों में कौन सी बात अच्छी है यही विचारणीय बात है। आज कल कुछ लोग कह देते हैं कि यह लोग दकियानूसी हैं और औरतों को अधिकार नहीं देना चाहते। आज कल यह कहना कुछ फैशन सा हो गया है। आज कल ऐसे बहुत से तथाकथित सुधारवादी हैं जो कि अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं और और जो लोग देश की वस्तुस्थिति को देख कर चलना चाहते हैं उनको वे दकियानूसी कहते हैं और अपने को बड़ा सुधारवादी समझते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे अपनी कांस्टीट्यएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) में जायें और अपने कांस्टीट्यूएंट्स (निर्वाचकों) के सामने यह बात रखें कि उनकी जो एक दो एकड़ जमीन है उसमें से उनकी लड़की को भी लड़के के बराबर हिस्सा दिया जाये और जो जवाब मिले उसको देखें और फिर उनके सामने यह चीज़ रखें कि उनकी जमीन में से उनकी स्त्री को भी हिस्सा दिया जाये और जो इसका जवाब मिले उसे भी देखें और दोनों का मुकाबला करें। मैं समझता हूं कि ८० या ८५ प्रतिशत आदमी इसके पक्ष में होंगे कि उनकी स्त्री को उनकी जमीन में से हिस्सा दिया जाये और ८० या ८५ प्रतिशत इसके खिलाफ होंगे कि लड़की को पिता की जमीन में से हिस्सा दिया जाये। हिन्दू समाज में यह बात विशेष रूप से अच्छी समझी जाती है कि लड़की को पिता की जमीन का हिस्सा न मिले बल्कि पति की जमीन का हिस्सा मिले। और इसका कारण है। इसका कारण यह है कि हिन्दू अपनी लड़की का नजदीकी रिश्ते में विवाह नहीं करते। मुसलमान समाज में और ईसाई समाज में लड़की का विवाह नजदीकी रिश्ते में किया जाता है इसलिये वहां स्थिति दूसरी है। मान लीजिये कि किसी हिन्दू लड़की की शादी बीस पच्चीस मील या सैंकड़ों मील दूर होती है और उसके पिता के पास चार एकड़ जमीन है उसके चार लड़के और दो लड़कियां हैं। अगर उसकी जमीन का लड़कों और लड़कियों में हिस्सा होगा तो लड़कियों को क्या मिलेगा ? एक लड़की को आधा एकड़ जमीन मिलेगी जिसकी कीमत दो सौ या ढाई सौ रुपया होगी। हर एक आदमी अपनी लड़की की शादी अपने से ऊंचे घर में करने की कोशिश करता है और ऐसा करने के लिये काफी रुपया खर्च करता है और जितना लड़की का हिस्सा होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च करता है। लेकिन अगर यह कानून पास हो गया तो कोई लड़की के हिस्से से ज्यादा खर्च करके उसके लिये ऊंचा घर नहीं देखेगा। केवल उसको उसका हिस्सा भर दे देगा। हमारी बहनें समझती हैं कि जमीन में हिस्सा मिलने से उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी हो जायेगी और न जाने उनको क्या अलभ्य वस्तु मिल जायेगी। लेकिन यह उनका भ्रम है। हमारी बहिनें बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की स्थिति को ही केवल देखती हैं। उनको देहातों की स्थिति का कोई ध्यान नहीं है। यदि उनको देहातों के जीवन का ध्यान होता तो वे ऐसी मांग पेश न करतीं।

इस बिल में ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी (संयुक्त प्रवर-समिति) ने जो प्रावीजन (उपबन्ध) रखे थे उनके विपरीत राज्य-सभा ने इसको और भी खराब कर दिया है। अभी हमारे भाई श्री सी० डी० पांडे ने कहा था कि यह बिल समाज सुधार का बिल था और इसलिये इसको पहले इस हाउस (सभा) में आना चाहिये था इसलिये कि राज्य-सभा नहीं बल्कि लोक-सभा जनता की प्रतिनिधि है और लोक-सभा की जवाबदेही जनता के प्रति है, राज्य-सभा के सदस्यों की जवाबदेही जनता के सामने नहीं है। हम को जनता के सामने जाना पड़ता है और उसकी बातें सुननी पड़ती हैं। हम को देखना चाहिये कि जनता क्या चाहती है और वही हम को करना चाहिये। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि यह बिल पहले वहां गया। अब हम लोगों को जो जनता के प्रतिनिधि हैं यह देखना चाहिये कि यह कानून ऐसा बने जिससे जनता की रक्षा हो सके। बिल में यह प्रोवीजन है कि

हसबेंड (पति) के मरने के बाद विडो (विधवा) को एबसोल्यूट राइट (पूर्णाधिकार) हो जायें। अगर विडो इश्यूलैस (निस्संतान) हो और पुनर्विवाह कर ले तो वह सारी प्रोपर्टी (संपत्ति) दूसरे आदमी के घर चली जावेगी। अगर वहां भी वह इश्यूलैस रहे और फिर भी विडो हो जाये और तीसरी जगह विवाह करे तो वह दोनों घरों की प्रापर्टी तीसरे घर चली जावेगी और अगर वहां उसके बच्चा हुआ तो वह सारी प्रापर्टी उस बच्चे को मिल जावेगी। यह अजीब सी बात है। हमको यह प्रोवीजन करना चाहिये कि यदि कोई विडो हो जाये और उसके बच्चा न हो और वह दूसरा विवाह करे तो उसकी प्रापर्टी ओरिजिनल होम (मूल गृह) को रिवर्ट करे (वापस हो जाये) न कि उसके साथ चली जाये।

हम चाहते हैं कि क्लाज़ (खण्ड) ६ का एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) हटा दिया जाये। उससे कोई फायदा नहीं है और केवल झगड़े बढ़ जायेंगे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो कि मैं भूल ही गया था। सरकार यह नहीं चाहती कि मिताक्षरा कानून को सीधे सीधे हटा दिया जाये। अगर सरकार चाहती है तो वह सदन में सीधे यह कानून ले आवे कि हम को मिताक्षरा कानून हटाना है। लेकिन ऐसा न करके राउंड एबाउट (गोल-मोल) तरीके से उसको हटाने का प्रयत्न किया जाता है। यह ठीक नहीं है। यह हम लोगों की कायरता का द्योतक है कि उसे सीधे नहीं हटाते बल्कि लोगों को भुलावा दे कर उसे हटाने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि एस्टेट ड्यूटी (सम्पदा शुल्क) की वजह से इनकम टैक्स लॉ (आयकर विधि) की वजह से ज्वाइंट हिन्दू फैमिली (संयुक्त हिन्दू परिवार) डिसइंटीग्रेट (छिन्न भिन्न) होता जा रहा है और हमारे सदन के बहुत से सदस्य हैं जो कि यह चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी खत्म हो। उनको यह नहीं मालूम है कि अभी भी जब हमारी सरकार हर एक बालिग को या काम करने वाले को काम नहीं दे सकती है या उनकी रोज़ी का प्रबन्ध नहीं कर सकती है तो उनका आश्रय वही ज्वाइंट फैमिली सिस्टम (संयुक्त परिवार प्रणाली) होता है। मैं पूछता हूं कि अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम न रहे तो ऐसे लोगों को, जिनका कि कहीं ठिकाना नहीं है उनको कहां आश्रय मिलेगा? आज भी इस तरह के बेकार लोग अपने चाचा और मामा के वहां जा कर रहते हैं और वहां पर उनको आश्रय मिलता है। अगर यहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम न होता तो आपके देश में रैवूलूशन (क्रांति) होता और वह रेवूलूशन ऐसा होता कि लोगों को चैन से सोने नहीं देता। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कुछ पढ़े लिखे लोगों में और जो शहर में बसते हैं वहां तो हटाना चाहते हैं लेकिन देहातों में यह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत उपयोगी सिद्ध होता है और वहां पर इसको नहीं हटाया जाना चाहिये और हमारे देखने में आता है कि मामा अपने बेकार भांजों को आश्रय देता है ....

†**डा० सुरेश चन्द्र** : (औरंगाबाद) : मामा तो संयुक्त परिवार में नहीं आता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : हमारे देहातों में जो परिपाटी चली आती है उसके अनुसार वह उसमें आता है, भले ही आपकी कानून की डेफनीशन (परिभाषा) में न हो लेकिन यह हक़ीक़त है कि एक मामा अपने भानजे को आश्रय देना अपना कर्तव्य समझता है। इसलिये देहातों में जब तक कि बिल्कुल बेकारी दूर नहीं हो जाती और हर एक को काम मिलने की सुविधा नहीं सुलभ होती तब तक यह संयुक्त परिवार की प्रथा वहां के लिये बहुत ही लाभप्रद है और इसको नहीं हटाया जाना चाहिये। आप सीधे सीधे मिताक्षरा को हटा दीजिये वह तो ठीक है लेकिन यह राउंड ऐबाउट वे से उसके अंगों को काट काट कर अपंग बनाना ठीक नहीं है।

एक बात और कह कर मैं बैठ जाता हूं और वह यह है कि जिस वक्त यह बिल सदन के सामने आया था उस वक्त इसमें मिताक्षरा का कोई ज़िक्र नहीं था और मिताक्षरा सिस्टम इससे एग्ज़म्प्ट (मुक्त) था लेकिन ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने यह उचित समझा और उस सिस्टम को भी इसके

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित डी० एन० तिवारी]

परव्यू (क्षेत्राधिकार) में ले आये जिसके कि कारण देश में तहलका मचा हुआ है और मैं समझता हूं कि मिताक्षरा क़ानून को इस से बाहर रखना चाहिये और उस पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिये।

तीसरी बात जो मार्के की है वह यह है कि हम दुंनिया को कहते फिरते हैं कि हमारी स्टेट सैकुलर (राज्य धर्म निरक्षेप) है और हम किसी धर्म विशेष के लिये ही कानून नहीं बनायेंगे और न किसी धर्म विशेष के लिये अड़चन डालेंगे लेकिन यहां उलटी बात हो रही है और मालूम यह होता है कि इस सम्बन्ध में हम जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वह केवल गले के ऊपर से कहते हैं, गले के नीचे से नहीं कहते। मैं पूछता हूं कि यदि हम सैकुलर स्टेट के लोग हैं तो केवल हिन्दुओं के लिये ही यह कानून क्यों बनाया जा रहा है और यह दूसरी जातियों के वास्ते क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जब स्पेशल मैरिज बिल (विशेष विवाह विधेयक) यहां से पास हुआ था तो वह सब पर लागू था, वैसे ही इस कानून को भी सब जातियों के वास्ते बनाना चाहिये था। मैं पाटस्कर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे इस बिल को वापिस ले लें और सारे देश के निवासियों के लिये एक युनिफार्म (समान) सिविल लॉ (दीवानी कानून) लायें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्त्रियों को पिता के धन में नहीं बल्कि उसको पति के धन में पूरा हक़ मिलना चाहिये और उसके लिये क़ानून बनाना चाहिये।

†**श्री वेंकटरामन** (तंजोर) : संयुक्त प्रवर समिति ने इस विधेयक में अत्यन्त उपयोगी सुधार किये हैं। समाज सुधारकों की बराबर यही मांग रही है कि कम से कम इस देश के हिन्दुओं के लिये एक समान विधि-प्रणाली होनी चाहिये। मैं उनमें से प्रत्येक का उल्लेख करके सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं, परन्तु माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह देश भर के प्रगतिशील व्यक्तियों द्वारा प्रगट किये गये विचारों पर ध्यान अवश्य दें।

मूल विधेयक में अलिय संतान, मरूमकट्टयम और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत आने वालों को अलग कर दिया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इन मातृमूलक प्रणालियों द्वारा शासित होने वालों को भी इस विधेयक के अधीन ले आया गया है, जिससे हमारे यहां उनके लिये भी एक ही समान विधि हो सके।

संयुक्त प्रवर समिति ने दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया है कि इस विधि को मिताक्षरा परिवारों पर सीमित रूप से लागू किया है। मुझे इतने से ही संतोष नहीं है। परन्तु फिर भी संयुक्त प्रवर समिति ने मिताक्षरा परिवारों को एक स्वरूप प्रदान करने के लिये जो प्रयास किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

इस विधेयक का इतिहास काफी लम्बा और क्षत-विक्षत रहा है। वास्तव में तो यह विधेयक किसी न किसी रूप में गत २० वर्षों से देश के सामने है। यह आरोप लगाना, कि यह विधेयक समूचे समुदाय के केवल एक वर्ग से ही सम्बन्धित है, सच नहीं है, क्योंकि ईसाइयों और मुसलमानों में तो स्त्रियों को पहले से ही उत्तराधिकार प्राप्त है और वह केवल हिन्दू-कानून ही है जिसमें स्त्रियों को उत्तराधिकार नहीं दिया गया है। इसलिये यदि हमको एकरूपता स्थापित करनी है तो कुछ समुदायों के लिये यह आवश्यक है कि वह उन अधिकारों के स्तर तक पहुंच जायें अन्य समुदाय जिनका उपभोग पहले से ही कर रहे हैं, अन्यथा अन्य लोगों के अधिकारों को कम किये बिना एकरूपता नहीं लाई जा सकती है।

फिर यह कहा गया है कि हम को कृषिभमि को इससे अलग कर दना चाहिये। भारत में अधिकांश सम्पत्ति कृषि भूमि के रूप में ही है। यह तो स्त्रियों को उत्तराधिकार देने से मुकरने का दूसरा ढंग है। यदि हम इसको ही अलग कर दें तो फिर देने के लिये बचेगा ही क्या?

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह कहा गया है कि हिन्दू समांशिता को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है। यदि ऐसा हो भी, तो आज हिन्दू संयुक्त परिवार की क्या स्थिति है ? उसकी अधिकांश शुद्धता नष्ट हो चुकी है। हम संयुक्त परिवार प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं। सभी आधुनिक देशों और आधुनिक समाजों में सम्पत्ति पर स्वामित्व का अधिकार व्यक्तिगत प्रकार का है और सम्पत्ति के लेन देन में जितनी ही कम बाधायें होती हैं, समाज उतनी ही अधिक प्रगति करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि सम्पत्ति के स्वामित्व और व्ययन की स्वतन्त्रता से ही समाज की प्रगति होती है, हम को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिये। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के खण्ड ६ के स्थान पर एक ऐसा खण्ड रख दिया जाये, जो इसी विधेयक में ही उत्तर जीवी, अथवा जन्मगत उत्तराधिकार का ही उत्सादन कर दे।

मूल हिन्दू कोड में डा० अम्बेडकर ने इसी आशय का उपबन्ध रखा था और मैं भी इसी आशय का संशोधन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। खण्ड ६ अपने वर्त्तमान रूप में अत्यन्त ही जटिल है। इसके फलस्वरूप जबर्दस्त मुकदमेबाजी होगी और हम गड़बड़ी में पड़ जायेंगे। स्त्रियों को उत्तराधिकार प्रदान करन का सिद्धांत और उत्तरजीविता सम्बन्धी कानून, एक साथ नहीं चल सकते हैं वह परस्पर विरोधी हैं। हमको साहस करके यह निश्चय कर लेना है कि हम ऐसी प्रणाली की, जिसमें सम्पत्ति बिल्कुल स्वतन्त्र हो, स्थापना करना चाहते हैं अथवा हम मिताक्षरा पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं।

मैं एक उदाहरण दूंगा। वर्त्तमान खण्ड ६ में एक उपबन्ध है। यदि परिवार में कोई स्त्री नहीं है तो संयुक्त परिवार चलता रहेगा। जैसे ही किसी कन्या का जन्म हुआ, यह उपबन्ध लागू हो जायेगा और ऐसे मामले में इस कन्या के अंश का निर्णय, उस व्यक्ति के, जिसका उत्तराधिकार कन्या को प्राप्त होने वाला है, अंश का निर्णय करके उसी के आधार पर किया जायेगा। जैसी शिकायत की गई है, इसके फलस्वरूप अनेक बंटवारे हो सकते हैं। और ऐसा होने पर जो पुत्र अथवा व्यक्ति पहले ही बंटवारा कराने के अधिकारी हैं, उनको अधिक अंश प्राप्त होगा और जो बच्चे बंटवारे के बाद जन्म लेंगे, चाहे वह पुत्र हों अथवा पुत्री, उनको कम अंश प्राप्त होगा। यह उपबन्ध स्थिति को और भी बिगाड़ देगा। किसी भी विधान का उद्देश्य यह नहीं हो सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के स्पष्टीकरण पर पूर्णतया विचार किया गया है।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : मैं इस विधेयक के उपबन्धों से पूर्णतया सहमत हूं। २० वर्ष पहले भी इस आशय के क्रान्तिकारी विचार प्रकट किये गये थे कि दायभाग-कानून को मिताक्षरा कानून में मिला दिया जाना चाहिये।

जहां तक साधारण जनता का सम्बन्ध है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आर्य सभ्यता और शास्त्रीय उपलक्षणाओं को लागू किया गया था और वह जनता के जीवन में घुल-मिल चुकी है। सौ वर्ष के ब्रिटिश शासन-काल में ब्रिटिश शासन ने जनता को बहुत क्षति पहुंचायी है। पंडितों की सहायता से अंग्रेज जजों ने प्रत्येक बात का निर्णय मनु और याज्ञवल्क्य के आधार पर ही किया और इस प्रकार उन्होंने उन नयी प्रथाओं और प्रगतिशील स्वरूप को विकसित नहीं होने दिया, जिनको समाज ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपना लिया होता।

सन् १९३१ के बाद से अनेक प्रमुख न्यायशास्त्री हिन्दुओं में सम्पत्ति पर अधिकार रखने की प्रणाली के सम्बन्ध में विचार प्रगट कर चुके हैं। उनमें ब्राह्मण भी थे जिन्हें मिताक्षरा-प्रथा से स्नेह था। परन्तु यह होते हुए भी उन्होंने कहा कि मिताक्षरा प्रणाली का अन्त करके दायभाग प्रणाली लागू की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वल्लाथरास]

किसी प्रणाली को कार्यान्वित करना कठिन नहीं है । परन्तु उसकी उपलक्षणाओं पर विचार किया जाना आवश्यक है । मान लीजिये कि यदि दायभाग प्रणाली को लागू करके पिता को सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दे दिया जाये, तो हो सकता है कि वह उस सम्पत्ति को अपने लड़के-लड़की में से किसी को भी देने के लिये तैयार न हो । वह सम्पत्ति के व्ययन का अधिकार पूर्णतया अपने हाथ में रख सकता है । इस दृष्टि से, मैं कहूंगा कि चाहे जानबूझ कर अथवा अनजाने ही, इस विधेयक में प्रमुख न्याय-शास्त्रियों द्वारा प्रगट किये गये उग्र विचारों और पुरानपंथियों के विचारों में समझौता करने का प्रयास किया गया है ।

पुरानपन्थी सदा से ही समाज की प्रगति में बाधक रहे हैं । वह स्त्रियों को ईंट-पत्थर के समान समझते हैं । वह चाहे कितना भी प्रेम क्यों न प्रकट करें, परन्तु जब सम्पत्ति के देने की बात आती है तब वह देते नहीं हैं । दक्षिण में अनेक स्त्रियां और लड़कियां इसी प्रथा के कारण अत्यधिक कष्ट उठा रही हैं ।

इसलिये मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि खण्ड ६ को उसके वर्त्तमान रूप में ही लागू रखना होगा और कुछ अनुभव प्राप्त हो जाने के बाद हम सम्पत्ति पर स्वामी को पूर्ण अधिकार देने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं । परिस्थितियां बदल रहीं हैं और प्रत्येक संस्था अथवा प्रत्येक व्यक्ति को अपने साधारण सिद्धांत का नहीं, वरन साधारण जनता का अधिक ध्यान रखना पड़ेगा । क्या आज भी आप मनु की इस बात का समर्थन कर सकते हैं कि यदि कोई अनार्य वेद-पाठ सुने तो या तो उसके कानों में सीसा गला दिया जाये अथवा उसकी जिह्वा कटवा दी जाये । मैं उनसे सहमत नहीं हूं । वह अपने समय के लिये ठीक हो सकते थे । जिस प्रकार वेदों का आदर किया जाता है उसी प्रकार जो भी साहित्य समाजिक आचरण के नियम निर्धारित करता है, उसका आदर और सम्मान किया जाना चाहिये ।

पिछले ५० वर्षों में राजा राममोहन राय, बुद्ध अथवा अन्य समाज सुधारकों का नितांत अभाव रहा है । अब विधान निर्माण का कार्य हम ने अपने हाथ में लिया है । हिन्दू महासभाइयों और सनातनियों आदि का कहना है कि वह केवल राजा द्वारा बनायी गई विधि की अधीनता स्वीकार करेंगे । कल हमारी एक महिला सदस्या ने पुरुषों द्वारा बनायी गई विधियों का उल्लेख किया था । मैं कहूंगा कि मरुमक्कट्टयम विधि के सम्बन्ध में पुरुषों ने भी स्त्रियों द्वारा बनाई गई विधियों की अधीनता स्वीकार की है । हम स्त्रियों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हैं और अपने घरों में हमने स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता दे भी रखी है ।

परन्तु जब सम्पत्ति के बंटवारे और नगद रुपयों के विभाजन का प्रश्न आता है तब एक पैसे की मिठाई तक के लिये स्त्री को अपने पति का मुंह जोहना पड़ता है । इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि स्त्रियों के पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिये जिसके सहारे वह अपना जीवन व्यतीत कर सकें । इसकी बिना शर्त्त व्यवस्था की जानी चाहिये ।

अब मैं विधेयक के एक गम्भीर पहलू पर आता हूं । जहां तक धर्म परिवर्त्तन करने वालों का सम्बन्ध है, विधेयक में आमतौर पर सुधार किया गया है । विधेयक में इस बात का उपबन्ध रखा गया है कि धर्म परिवर्त्तन करने वाले व्यक्तियों को अपने सम्बन्धियों की सम्पत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिल सकता है । इस दृष्टि से विधेयक में कुछ सुधार किया गया है ।

विधवाओं और जारज संतति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों के विचारानुसार इस सम्बन्ध में संशोधन किये जाने आवश्यक हैं । परन्तु मैं तो इनको अनिवार्य सामाजिक आवश्यकता का रूप देना चाहता हूं । यद्यपि जारज संतति, रखैल-प्रथा आदि को नहीं रहने देना चाहिये, फिर भी उन से जो संतान उत्पन्न होती है, वह भी भारतीय ही है और उसके लिये आवश्यक उपबन्ध

किया जाना चाहिये। परन्तु साथ ही इस प्रकार के अवैध-सम्बन्धों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की संतानोत्पति पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये जायें जिससे कि समाज उन्नति कर सके।

सनातनियों के एक नेता ने एक बार यह कहा था कि यद्यपि मिताक्षरा कानून के अन्तर्गत पुत्री को भी सम्पत्ति का एक अंश दिया गया है, फिर भी वह उससे सहमत नहीं होंगी। इस दृष्टि से हमको इस समय यह नहीं समझना चाहिये कि इस समय मिताक्षरा कानून को, उसका समाज से चाहे कितना भी लोप क्यों न हो गया हो, पूर्णतया विघटित किया जा रहा है। एक प्रकार से तो पिता की सम्पत्ति को पुत्र और पुत्री के लिये फांसी का फन्दा बनाया जाता है और पिता अपने ढंग से सम्पत्ति का व्ययन करता है। अब इस परित्राण की प्रस्थापना की गई है, और इस सीमा तक पुत्र और पुत्रियों की अवस्था पहले से अच्छी है। ऐसी परिस्थिति में मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। निश्चय ही, विधेयक को व्यवहार में लाने पर प्राप्त अनुभवों के आधार पर उसमें काफ़ी सुधार करने की गुंजायश हो जायेगी। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस समय दायभाग प्रणाली को लागू किया जाना चाहिये।

†**श्री बोगावत** (अहमदनगर– दक्षिण) : हम जब सम्पत्ति के वसीयतरहित उत्तराधिकार से सम्बन्ध रखने वाली विधि का संशोधन कर रहे हैं, तो हमें वहीं तक सीमित रहना चाहिये, समाज के सारे के सारे ढांचे को बदल देने का प्रयन्न नहीं करना चाहिये। यदि हम सम्पूर्ण ढांचे को बदल देने का प्रयत्न करेंगे तो उससे हमारी सामाजिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जायेगी।

मैं स्त्रियों को सम्पत्ति-अधिकार देने के विरोध में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि उन्हें भी पुरुषों के समान ही अधिकार दिया जाये, परन्तु मैं इस बात पर जोर देता हूं कि स्त्री को पति की सम्पत्ति में भी भाग दिया जाये। अविभक्त परिवार को अस्तव्यस्त करने अथवा पिता की सम्पत्ति में से स्त्री को भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि स्त्री को पिता की सम्पत्ति में से भाग दिया गया तो उससे देश में मुकदमेबाज़ी बढ़ जायेगी और हमारी सामाजिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जायेगी। इससे सर्वत्र असन्तोष फैल जायेगा और देश का कोई हित नहीं होगा।

पिता के व्यापार तथा सम्पत्ति की वृद्धि में पुत्र ही सच्चा योग देता है, अतः सम्पति में उसी का ही हिस्सा होना चाहिये। यदि उसमें कुछ भाग पुत्री को भी दिया गया तो उससे व्यापार तथा सम्पत्ति की वृद्धि नहीं हो सकेगी। उससे पारिवारिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त सी हो जायेगी। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अनेकों व्यक्तियों से बातचीत की है। केवल पुरुषों का ही नहीं, स्त्रियों का भी यही मत है कि पैतृक सम्पत्ति परिवार से बाहिर नहीं जानी चाहिये। माताओं का भी यही कहना है कि सम्पत्ति केवल पुत्रों को ही दी जानी चाहिये। यदि हमारी सामाजिक स्थिति तथा संस्कृति की यही मांग है तो फिर इस प्रकार की विधि बना कर सामाजिक व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने से क्या लाभ है।

मुसलमानों में विवाह विधि भिन्न है। वे भी सम्पत्ति को परिवार से बाहिर ले जाने की अनुमति नहीं देते। लड़की को लड़के के हिस्से का आधा भाग दिया जाता है। ईसाई धर्म में भी उस प्रकार की विधि नहीं है जैसी कि इस विधेयक में रखी गई है। तो यह काम देश के हित में नहीं हो रहा है। लड़की को यदि अपने पिता और पति दोनों की सम्पत्ति में हिस्सा दिया जाय तो उसे दूनी सम्पत्ति प्राप्त होगी। पुराने जमाने में स्त्रियों को कुछ नहीं मिलता था इस का यह अर्थ तो नहीं कि अब उन्हें पुरुषों से कहीं अधिक धन दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि देश की स्त्रियां अभी शिक्षित नहीं हैं और अन्य लोग गांवों में इस का अनुचित लाभ उठा कर झगड़े पैदा करेंगे जिन से मुकदमेबाज़ी बहुत बढ़ जायेगी। अतः मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि लड़की को पिता और पति दोनों की सम्पत्ति में अधिकार दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री बोगावत]

मरते समय बहुत से आदमी अपना इच्छा पत्र छोड़ जाते हैं किन्तु हम जानते हैं कि उन को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और अदालतों में उन्हें चुनौती दे कर लोग अपनी सम्पत्ति प्राप्त कर लेते हैं। अतएव सम्पत्ति के वितरण के लिये हम इच्छा पत्रों पर निर्भर नहीं कर सकते।

अब मैं मिताक्षरा पद्धति के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। इस पद्धति से संयुक्त परिवार को कृषि, व्यापार आदि कार्यों में बहुत लाभ होता है परन्तु खण्ड ६ में इस पद्धति की जो व्याख्या दी गई है वह बड़ी अजीब सी लगती है। यदि किसी परिवार में दो लड़के और तीन लड़कियां हों तो सम्पत्ति विभाजन के समय दूसरे लड़के को बहुत ही कम सम्पत्ति मिल सकेगी। इसी प्रकार खण्ड १० में लड़की का हिस्सा लड़के के बराबर माना गया है जो सर्वथा अनुचित है। मैं समझता हूं कि लड़की का हिस्सा आधा होना चाहिये। यदि बाद में हमें यह पता चले कि लड़कियां भी पिता की सम्पत्ति बढ़ाने में उचित योग दे सकती हैं तो हम उन्हें अधिक सम्पत्ति पाने का अधिकार दे सकते हैं। खण्ड १६ में "इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले या बाद में" शब्द दिये गये हैं। इस का अर्थ यह होगा कि यदि पुरुष की मृत्यु से पहले हम स्त्री को परमाधिकार दे देते हैं तो गोद लेने का काम नहीं हो सकेगा और मान लीजिये कि कोई स्त्री मुसलमान हो गई तो क्या उस की सम्पत्ति मुसलमान के घर में जायेगी ? इन सब समस्याओं का समाधान इस विधेयक में किया जाना चाहिये।

विधेयक में उल्लिखित प्रथम श्रेणी में बहुत से उत्तराधिकारियों की एक सूची दी गई है। मैं चाहता हूं कि यह सूची इतनी लम्बी न हो। उस में तीन पीढ़ी का जिक्र न करके दो पीढ़ी तक ही उपबन्ध किया जाना चाहिये। लड़के और लड़कियों का उल्लेख काफी है। उन के भी लड़के लड़कियों की सूची बनानी आवश्यक नहीं है।

अन्त में, मेरा यही मत है कि जनता अभी इस प्रकार की विधि के लिये तैयार नहीं है। इससे स्त्रियों को, व्यापारियों को और ग्रामवासियों को, सब को हानि होगी। अतः मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बातें कहीं हैं उन पर माननीय विधि कार्य मंत्री भली भांति ध्यान देंगे।

श्रीमती मिनीमाता (बिलासपुर दुर्ग रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, इस हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं।

यहां पर कहा गया है कि हमारी स्त्रियों को इस कानून के द्वारा पूर्ण अधिकार प्राप्त हो रहे हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि यह सब अगर वास्तव में देखा जाय तो कुछ भी नहीं है और उनको अधिकार मिलने की बात तो वही हुई जैसे कि हमारी छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि "घर द्वार तोर बहुरिया डेढ़ी में पांव झन देवे"। इसका अर्थ यह है कि घर द्वार वैसे तो सब तुम्हारा है, सास कहती है कि हे बहू वैसे तो घर द्वार तुम्हारा है मगर डेढ़ी के अन्दर मत आना। मैं समझती हूं कि इस प्रकार का कानून हमारे मिनिस्टर साहब ने बनाया है। इस बिल को देखने से तो मालूम होता है कि स्त्रियों को काफी अधिकार दिये जा रहे हैं परन्तु वह अधिकार ऐसा है कि न तो उनको सम्मिलित घर में रहने का अधिकार है और न उनको सम्मिलित सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है।

मेरे विचार में लड़कियों को सम्मिलित सम्पत्ति में हक देने के बजाय कुछ मुआविज़ा हर साल दिया जाय ताकि लड़की अपने पिता की सम्पत्ति के कुछ अंश का उपभोग कर सके। लड़कियों को पिताओं से दहेज़ के रूप में जो सम्पत्ति प्राप्त होती है वह सम्पत्ति लड़कियों की ही होनी चाहिये। क्योंकि भार्गव साहब ने कहा कि पंजाब में जब शादी होती है तो कोई २५ हज़ार खर्च करता है कोई ५० हज़ार खर्च करता है। लेकिन पंजाब जाने से मुझे मालूम हुआ कि कई जगहों पर यह हाल है कि जब शादी होती है और लड़की ससुराल आती है तो वह जो दहेज़ लाती है, यहां तक कि मिठाइयां और साड़ियां

आदि, उस पर सास अपना अधिकार जमा बैठती है। लड़की को कोई भी हक नहीं रहता है। मैं कहना चाहती हूं कि जो भी दहेज आये वह लड़की को मिलना चाहिये। अगर कभी पति के भाइयों में बटवारा भी हो जाय तो पत्नी की सम्पत्ति के बटवारे का सवाल नहीं उठना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : सास तो सम्पत्ति भी ले जायेगी।

श्रीमती मिनीमाता : वह तो दहेज में आता है। इस बिल में भी लिखा है कि लड़कों की शिक्षा और दहेज को बांटने पर ही सम्पत्ति का बटवारा किया जायेगा और लड़कों को दिया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता क्या आप लड़कियों की शिक्षा पर और शादी पर खर्च नहीं करते हैं। अगर आप लड़कियों को समानाधिकार देने जा रहे हैं तो लड़कियों की शादी और शिक्षा के खर्च को काट कर लड़की को हिस्सा देना उनके साथ अन्याय करना है। जब आप लड़कों और लड़कियों दोनों को ही समानाधिकार देते हैं तो लड़की की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति पर उसके पति का अधिकार होना चाहिये इसको मैं मानती हूं कि दे देना चाहिये। यहां पर दहेज की बहुत सी बातें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि लड़की को उसमें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि लड़की को सम्पत्ति में जरूर हिस्सा दिया जाय ताकि वह शान से रहे, शान से खाये, शान से जिये और शान से मरे। उसका समाज में सम्मान हो। यहां पर बहुत से बोलने वालों ने सीता और सावित्री का उदाहरण दिया है। मैं समझ नहीं सकती कि वह क्यों भूल जाते हैं कि सीता जी के ऊपर कितना अन्याय हुआ ? बेचारी को १४ वर्षों तक वन में रहने पर भी पूरी रक्षा नहीं मिल सकी। रावण उनको हर ले गया। वहां से लौटने पर उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और उस परीक्षा के बाद भी उनको समाज ने जिन्दा नहीं रहने दिया। आखिर में उनको मृत्यु का सहारा लेना पड़ा।

एक माननीय सदस्य : वह आज भी जीवित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्या आज की स्त्री का जिक्र करें।

श्रीमती मिनीमाता : कल से तो उनका जिक्र हो रहा है। चूंकि यहां पर सीता और सावित्री का जिक्र बार-बार आया, इसलिये मुझे भी कहना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने गलतियां की हैं, आप न करें।

श्रीमती मिनीमाता : मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आज सीता और सावित्री का जिक्र करने वाले क्या राम और सत्यवान का सा बर्ताव औरतों से करते हैं ?

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उनसे भी बुरा करते हैं।

श्रीमती मिनीमाता : इस बिल में पिता को पूर्ण अधिकार दिया गया है कि एक लड़के को सम्पत्ति देकर पिता उस में बटवारा ले सकता है। इसी तरह से विधवा मां को भी अधिकार क्यों न दिया जाय ? जितना अधिकार पिता को हो उतना ही मां को भी होना चाहिये।

श्री टंडन ने कहा कि इस बिल के सम्बन्ध में औरतों से बुड्ढ़ी स्त्रियों से पूछा जाय कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा देना चाहिये या नहीं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब हमारे भाई दो-दो और तीन-तीन शादियां करते हैं और उन औरतों के लड़के होते हैं, कोई कानून की बात वहां पर पूछता है और तीनों औरतों से पूछता है कि संयुक्त सम्पत्ति को संयुक्त रखा जाय या अलग-अलग कर दिया जाय। हमारे भाई साहब चिल्ला रहे हैं कि संयुक्त सम्पत्ति का कानून बनना चाहिये। लेकिन अगर हमारे एक भाई अपनी अमानुषिक पिपासा को शान्त करने के लिये रखैल रख लेते हैं और रखैल के संसर्ग से बच्चे होते हैं तो क्या उन बच्चों को जायदाद में हिस्सा दिया जाता है ? मैं इसको सोच नहीं

[श्रीमती मिनीमाता]

सकती कि क्यों इस चीज को इस बिल से हटा दिया गया। अगर हमारी ला मिनिस्ट्री में कोई महिला होती तो वह रखैल औरतों की दशा को गम्भीरतापूर्वक सोच कर तब कोई निर्णय करती और इस प्रकार के अवैधानिक बच्चों को अवश्य जायदाद में कोई भाग दिलवाती। आखिर अगर कोई खराबी है तो वह मां बाप में है, उस अबोध बच्चे का क्या कसूर है ? बाप की सम्पत्ति में उसे कोई हक ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : माता की सम्पत्ति में से हक दे दिया जाय।

श्रीमती मिनीमाता : माता की सम्पत्ति ऐसी कोई विशेष सम्पत्ति नहीं है। वह तो खुद ही रखैल है, उसको कौन सी सम्पत्ति मिलती है जिसमें कि बच्चे को अधिकार दिया जा सके। होता यह है कि मर्द दो-चार बरस तक औरत को रख लेता है, जहां उसके दो-चार बच्चे हुए, उसको १००, ५० रु० देकर अलग कर दिया जाता है। यहां तक होता है कि अवैध बच्चों को बड़े होने के पहले तक यह पता होता है कि मैं फलां आदमी का बेटा हूं, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उस को यह पता नहीं रहता कि उस का बाप कौन है। मैं आप को बताती हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि इस प्रकार की रखैल मां और उस का लड़का दोनों पागल हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या मुझ को सुनायें, मैं उनकी बात सुनने के लिये तैयार हूं, दूसरे नहीं सुनेंगे। आप उनकी बातों पर ध्यान न दें।

श्रीमती मिनीमाता : यहां पर वेश्याओं के बारे में भी एक प्वाइंट रखा गया। मैं पूछना चाहती हूं उन महोदया से कि जब आप लड़कियों को हिस्सा देने के विरोध में हैं तो वह बेचारी लड़कियां क्या-क्या कर्म नहीं करेंगी ? मुझे इस बात का दुःख है कि रखैल ज्यादातर हमारे हरिजनों और आदिवासियों में ही होती हैं। जब उनको घर से निकाल दिया जाता है तो वही जा कर वेश्यायें हो जाती हैं। उनको किसी और घर में भी जगह नहीं मिलती कि कोई उनको रखैल ही रख ले।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले भी विनय की जो कुछ आपको कहना है वह मुझ से कहें, मैं सब कुछ सुनूंगा।

श्रीमती मिनीमाता : ऐसा करने में हमारे हरिजन और आदिवासी औरतों को खुद शर्म आती है, खास तौर पर जो छोटी जाति की होती हैं।

श्री सी० डी० पांडे : छोटी जाति मत कहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वाद-विवाद का स्तर नीचा नहीं होना चाहिये।

श्रीमती मिनीमाता : रखैल ही छोड़ दी जाने पर वैश्यायें हो जाती हैं। जब हमारी लड़कियों को सम्पत्ति में हक दिया जायेगा तभी यह दिक्कत दूर हो सकती है।

विधवाओं को सम्पत्ति देने के सम्बन्ध में हमारे तिवारी जी ने कहा कि यदि उसके बच्चे न हों और वह दूसरी जगह शादी कर ले तो उसको दी गई सम्पत्ति दूसरे घर चली जायेगी, इसी तरह से तीसरे घर और चौथे घर चली जायेगी। यह ठीक बात है कि इस तरह से वह जा सकती है लेकिन मैं ने यह भी देखा है कि अगर विधवा घर में रहती है तो उसको रोटी तक का हक नहीं रहता है। जब उस की यह हालत है तो वह क्या ले कर दूसरे या तीसरे घर चली जायेगी। विधवा होते ही वह कलंकिनी बन जाती है। उस को चौका तक छूने का अधिकार नहीं रहता है। मुझे कम से कम नहीं मालूम होता कि वह कौन सी सम्पत्ति ले कर दूसरे घर चली जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हमारे गांवों की सम्पत्ति के बारे में उमा भाभी जी ने जो कुछ कहा वह एक दृष्टि से सही है क्योंकि गांवों की सम्पत्ति बिल्कुल छोटी-छोटी हैं, कच्चे मकान होते हैं, मैं तो चाहती हूं कि परसेंटेज (प्रतिशत) मुकर्रर कर दिया जाय। अगर किसी के पास २५ एकड़ तक हो तो उस की जमीन पर लड़की को हक न दिया जाय उस को उस के लिये मुआवजा दे दिया जाय लेकिन और किसी के पास ५० एकड़ तक जमीन हो तो उस में लड़की को हक मिलना चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि गांवों की लड़कियां बड़ी भोली-भाली होती हैं, वकीलों के पास जाने में उन के परेशानी में पड़ जाने का डर है। इसलिये कानून ऐसा बनाया जाना चाहिये कि उनको कोई परेशानी वकीलों के पास जाने की न उठानी पड़े। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इस कानून के मामले में फैसला देने का हक गांव पंचायत को हो। अदालतों में जाने से भोली लड़कियों को वकील लोग ही चाट जायेंगे। जितनी सम्पत्ति उन को मिलेगी उस से ज्यादा तो वकील ही खा जायेंगे।

इस बिल में साधुओं के बारे में भी कहा गया है। जो व्यक्ति साधु हो जायगा, पिता और भाई की सम्पत्ति में उसका कोई हक नहीं है। लेकिन देखा गया है कि गृहस्थ से साधु हो कर फिर गृहस्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थी में आना चाहे, उसके खाने-पीने और रहने बसने का इन्तजाम होना ज़रूरी है। इसलिये इस बिल के द्वारा उनके अधिकार की रक्षा होनी चाहिये।

†**श्री बी० के० रे** (कटक) : प्रस्तुत विधेयक के बारे में जितनी चर्चा हो चुकी है वह सब मैंने ध्यान से सुनी है और मुझे संयुक्त समिति का सदस्य होने का सौभाग्य भी प्राप्त था। हमारे यहाँ तीन प्रकार की विचारधारायें चल रही हैं; एक तो वे लोग हैं जो रूढ़िवाद का समर्थन करते हैं, दूसरे वे जो यह कहते हैं चाहे कुछ भी परिवर्तन हों किन्तु मिताक्षरा पद्धति को नहीं बदला जाये और तीसरे वे लोग हैं जो समाज का ढाँचा बदलना चाहते हैं।

अनेक लोगों ने यह आशंका प्रकट की है कि इस विधेयक के पारित होने पर समाज में उथल-पुथल मच जायगी; किन्तु हम देखते हैं कि अब तक सम्पत्ति, व्यापार तथा समाज सम्बन्धी अनेक विधियाँ बन चुकी हैं और भारतीय जनता ने उनका स्वागत किया है। हमारे यहाँ स्त्रियों के प्रति जो अन्याय होता रहा है उसे दूर करना हमारा कर्त्तव्य है।

जो रूढ़िवादी विचारधारा है उस के विरोध में मुझे कुछ शब्द कहने हैं। रूढ़िवादी लोग यह समझते हैं कि हिन्दू धर्म जैसा स्मृतियों में दिया गया है वैसा ही रहना चाहिये। वे ईश्वर के वाक्य हैं किन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि प्राचीन विद्वानों ने ही स्मृतियों पर अनेक टिप्पणियाँ लिखी हैं जो हमें समाज की वास्तविकताओं से परिचित कराती हैं।

प्राचीन विधि में बहुत सी विभिन्नतायें हैं जैसे दायभाग और मिताक्षरा पद्धति है और मिताक्षरा में भी बंगाल और महाराष्ट्र की पद्धतियों में अन्तर है। इन सब बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिन्दू विधि परिवर्तनशील थी। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन, इन चार बातों के अनुसार उस में यथोचित परिवर्तन किये जाते थे। प्राचीन नियमों में जीवन की विषमताओं के अनुसार हेरफेर किया जा सकता था। अनेक रीति रिवाजों के सामने स्मृतियों को अपना सिर झुकाना पड़ता था। अंग्रेजों के आगमन से पहले तक भारत में हिन्दू विधि परिवर्तनशील थी। जब अंग्रेज आये तो उन्होंने हिन्दू विधि को इस प्रकार सीमाबद्ध और लिपिबद्ध कर दिया कि हमारे न्यायशास्त्र में जो गतिशीलता थी वह समाप्त हो गई। किन्तु, अंग्रेजों ने हिन्दुओं की व्यक्तिगत विधि में कोई हस्तक्षेप न किया। वे जानते थे कि ऐसा करने से हिन्दुओं में बहुत असन्तोष फैल जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री बी० के० रे]

अब यह स्थिति नहीं है। अब हमारा राज्य है। हमें समाज का ढाँचा बदलना है और उनके साथ व्यक्तिगत नियमों को बदलना है। हिन्दू विधि समिति ने बहुत खोज और परिश्रम के पश्चात् यह विधेयक तैयार किया है। इस में जो विशेषता है वह यह है कि स्त्रियों को भी सम्पत्ति के परमाधिकार दिये गये हैं और लड़कियों को अपनी पैतृक सम्पत्ति में हिस्से दिये गये हैं। स्त्रियों का स्थान ऊँचा करने के लिये इस प्रकार के अधिकार बहुत ही आवश्यक हैं।

†**श्री सी० सी० शाह** : यह विधेयक हिन्दू समाज के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अनेक परिवर्तनों का प्रारम्भ हो जायगा। स्त्री और पुरुष के सामाजिक सम्बन्ध उन के सम्पत्ति अधिकारों से निश्चित किये जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय के विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार के विधेयक हमारी सभा में पेश किये जाने चाहियें। यदि उनके पास काम नहीं है तो कुछ दिनों के लिये उनकी बैठक स्थगित की जा सकती है। मैंने इस बात को विशेष विवाह विधेयक के समय भी कहा था।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण छीनाझपटी का नहीं होना चाहिये। स्त्री और पुरुष अपने-अपने अधिकारों के पीछे पड़े हुए हैं। इस तरह काम नहीं चल सकता। मैं इस विधेयक को मुख्यतया दो कारणों से पसन्द करता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस से समस्त हिन्दू समाज की एक ही संहिता बन गयी है और दूसरे इससे स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। पहले हिन्दू विधि में बहुत सी विभिन्नतायें थीं जिन के कारण मुकदमेबाज़ी बहुत होती थी और पिछले बीस वर्षों से इस प्रकार के विधान निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था। अन्त में हमें इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है।

इस विधेयक के प्रति हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिये जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को कोई धक्का न पहुँचे। स्त्रियों को जितने अधिकार दिया जाना न्यायोचित है उतने अधिकार उन्हें देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसी दृष्टिकोण से मैं प्रस्तुत विधेयक के उपबन्धों के प्रति अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ।

मेरी यह धारणा है कि संयुक्त समिति ने विधेयक में कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिये हैं जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि स्त्रियों को अधिक अधिकार दिये गये हैं। मुझे तो उन्हें सारे अधिकार देने में भी कोई एतराज नहीं है बशर्ते कि इससे समाज का हित होता हो। किन्तु इतने परिवर्तनों से समाज में निश्चय ही बड़ी हलचल पैदा होगी।

पहले संयुक्त परिवार को ही लीजिये। यदि इस विधेयक में संयुक्त परिवार के बारे में उपबन्ध न किया जाता तो इस का यह अर्थ होता कि स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकांश भाग पर कोई अधिकार न होता। मेरा निजी मत तो यह है कि संयुक्त परिवार पद्धति को ही समाप्त कर दिया जाय क्योंकि खण्ड ६ में उसकी जो व्याख्या दी गई है वह बहुत ही असंतोषजनक है। यह खण्ड इस विधेयक में सब से अधिक महत्त्व रखता है। राउ समिति ने भी यही सिफारिश की थी कि संयुक्त परिवार पद्धति समाप्त कर दी जाय किन्तु यदि ऐसा करना संभव न हो तो खण्ड ६ की व्याख्या ठीक तरह से की जानी चाहिये अन्यथा इस विधेयक का सारा उद्देश्य ही चौपट हो जायगा।

खण्ड ६ के अधीन पिता के हिस्से में, अविभक्त पुत्र का हिस्सा भी शामिल किया गया है इसका अर्थ यह होगा कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति में तो उसकी लड़की का हिस्सा होगा ही किन्तु अविभक्त पुत्र की सम्पत्ति में भी उस का हिस्सा होगा। इसे मैं अनुचित समझता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक वसीयतरहित सम्पत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न है मेरे विचार से ऐसी सम्पत्ति केवल वही समझी जानी चाहिये जिसके बारे में पुरुष को वसीयत करने का अधिकार हो। इस में समस्त सम्पत्ति शामिल नहीं की जानी चाहिये। वसीयतरहित उत्तराधिकार का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति ही अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सर्वोत्तम निर्णय कर सकता है।

खंड ३२ की व्याख्या के अनुसार एक हिन्दू अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है लेकिन वह अपने संयुक्त परिवार में रहने वाले पुत्र के हिस्से की वसीयत नहीं कर सकता है किन्तु वसीयतरहित उत्तराधिकार में लड़की का हिस्सा निकालने के लिये हम पिता के हिस्से के साथ संयुक्त परिवार में रहने वाले पुत्र के हिस्से को भी शामिल कर रहे हैं। साथ ही जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है इसका सम्पदा शुल्क अधिनियम से भी कोई सादृश्य नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अनावश्यक जटिलताओं तथा मुकदमेबाज़ी को दूर करने के लिये कम से कम इस व्याख्या को हटा देना चाहिये। निस्संदेह इससे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में पुत्रियों का अंश कम हो जायगा किन्तु हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि जब यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया था तब पुत्री को पुत्र से आधा हिस्सा देने की सिफारिश की गई थी किन्तु आज हम उन्हें पुत्र के बराबर हिस्सा दे रहे हैं। इसलिये मैं महिला सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे समाज के आर्थिक स्थायित्व तथा समाज के इस संक्रांति काल को ध्यान में रखते हुए इस मध्य मार्ग को स्वीकार करलें। मेरे विचार से इस समय यही उपयुक्त मार्ग है।

अब मैं खंड १७ को लेता हूँ। इस विधेयक के अन्तर्गत स्त्रियों का उत्तराधिकार पुरुषों के उत्तराधिकार से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्त्रियों को पिता तथा पति दोनों ओर से हिस्सा मिलता है। अतः हमें इसे ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये।

उपखंड (१) के अनुसार स्त्री की सम्पत्ति उसके पुत्र, पुत्रियों और पति को मिलेगी, किन्तु यदि उसके कोई बच्चा न हो और केवल एक विधवा वधू हो तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्या यह उचित है? दूसरे इसमें केवल दो पीढ़ियों तक की ही व्यवस्था की गई है जब कि पुरुषों के लिये तीन पीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। तीसरे, पति की सम्पत्ति उसके पुत्रहीन विधवा को मिल जायेगी और तत्पश्चात् विधवा के माता पिता को मिल जायेगी जब कि पति के अन्य उत्तराधिकारी जीवित हैं, यह कहां तक उचित है?

अब मैं उपखंड २ को लेता हूँ। इस सम्बन्ध में मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव से सहमत हूँ कि यह नितान्त अव्यावहारिक विधेयकहै औरइससे मुकदमेबाज़ीको ही प्रोत्साहन मिलेगा। वस्तुतः इसका उद्देश्य उपखंड १ से होने वाली खराबी को दूर करना है। किन्तु इसका सर्वोत्तम तरीका यह है कि उपखंड (१) के (ङ) को (ख) कर दिया जाय अर्थात् पति के उत्तराधिकारियों को मृतक के माँ बाप से पहिले हिस्सा मिलना चाहिये।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग—पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी इस विषय पर बोलने का अवसर दे दिया। यह बिल तो स्वागत का पात्र नहीं है, लेकिन इस विषय में जितने भाषण यहां पर हुए हैं वे अवश्य ऐसे हैं जिन का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिये करता हूँ कि मैं इस पार्लियामैंट में बहुत रहा हूँ, और हमेशा यह देखा है कि यह स्थान सदा एक युद्ध क्षेत्र जैसा रहा है। उधर से लोग जो कुछ कहें उस का इधर के लोग विरोध करें और इधर से जो कुछ कहा जाय, सरकार की तरफ से उसका विरोध हो। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं वह अपने अन्तःकरण की बात बोल रहे हैं। वे किसी भी दलबन्दी के दलदल में नहीं हैं। मैं समझत हूँ कि इसी तरह की बातें सदा हों, तभी यह पार्लियामैंट ठीक-ठीक अपना कार्य कर सकेगी

पंडित डी० एन० तिवारी : हम वही करते हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : मुझ को यह सुन कर बड़ी खुशी हुई कि हमारे मित्र कहते हैं कि हम लोग वही करते हैं। अगर यही हमेशा होता रहता तो मुझे इस के कहने का अवसर न मिलता।

पंडित डी० एन० तिवारी : भ्रम हो जाता है।

बाबू रामनारायण सिंह : हमारे एक मित्र कहते हैं कि हम को भ्रम हो जाता है। अगर भ्रम ही होता हो तो यह तो खुशी की बात है, लेकिन सत्य कथा तो यही है कि अगर भ्रम है तो रहे। लेकिन वास्तव में कार्य ठीक होना चाहिये।

मैं जो यह कह रहा था कि मैं इस बिल पर दिये गये भाषणों का स्वागत करता हूँ, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो कुछ कहा गया है उन सब का मैं समर्थन करता हूँ और सब चीजों से सहमत हूँ। लेकिन जो कुछ भी कहा गया, जैसे कि हमारी बहन सुभद्रा जोशी ने कहा बालिकाओं के कष्ट के बारे में और समाज में जैसा उनके साथ बर्ताव होता है, वह बहुत हद तक ठीक था। सच्ची बात यह है कि संसार का कोई विषय आ जाय, उसके लिये कह देना कि सर्वांग सुन्दर है, सर्वांग ठीक है, यह जरा कठिन है। इस सम्बन्ध में मुझे भ्रतृहरि का एक श्लोक याद आता है जिस का आखरी पद यह है :

"न जाने संसार: किममृतमय: किम् विषमय:"

इसका भावार्थ यह है कि संसार में जितने विषय होते हैं, उन सब के बारे में आप देखेंगे कि दो पक्ष रहते हैं। जैसे कि भतृहरि महाराज ने कहा है। परस्पर विरुद्ध भावनाओं के बारे में उन्होंने कहा है कि किसी तरफ से देखते हैं तो आनन्द की सीमा नहीं और किसी तरफ देखते हैं तो दु:ख की सीमा नहीं, किसी तरफ देखते हैं तो ज्ञान की सीमा नहीं, दूसरी तरफ से देखते हैं तो मूर्खता की सीमा नहीं। इसीलिये उनका कहना था :

"न जाने संसार: किममृतमय: किम् विषमय:"

अर्थात् किसी भी वस्तु के लिये यह कहना कठिन है कि वह अमृतमय है या विषमय है। हमारे यहां के जितने पुराने कानून चले आ रहे हैं, उन में यह कहना कि कोई दोष नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन यह भी कहना ठीक नहीं है कि वह बिल्कुल दोषमय है। इसीलिये जैसा मैंने कहा है मुझे बड़ी खुशी होती है कि जितने भी सदस्य बोल रहे हैं वह उसी बात को कह रहे हैं जो उनके हृदय में उठ रही है। लेकिन इस सरकार के सम्बन्ध में मुझे एक कथा याद आ जाती है। एक ऊंट पर सवार हो कर कोई आदमी कहीं चला जा रहा था। उस सवार के हाथ में ऊंट की नकेल नहीं थी। किसी ने उस से पूछा कि तुम कहां जाते हो, तो इस ने जवाब दिया कि न जाने कहां जाता हूं। मेरे हाथ में नकेल तो है नहीं, ऊंट की मर्जी है चाहे जहां ले जाये। इसी तरह से यह सरकार हमारे राज को किस तरफ ले जा रही है इस का पता नहीं। जनतारूपी सवार के हाथ में नकेल तो है नहीं, यह सरकाररूपी ऊंट जनता को चाहे गढ़े में ले जाये, चाहे जहन्नुम में ले जाये या कहीं भी ले जाये।

मैं एक बात कहता हूं कि मैंने जूरिज्पूडेन्स (न्यायशास्त्र) में कहीं पर पढ़ा था कि कानून क्या है। कानून जनता की इच्छा मात्र है और कुछ नहीं। जो कुछ जनता चाहती है, उसी को कानून का रूप दे दिया जाता है।

जो कानून बनने जा रहा है, या इस प्रकार के जो दूसरे कानून रोज-बरोज़ बन रहे हैं, उन को कौन चाहता है? श्री ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि इस बारे में देहात में जाकर पूछा जाये और शायद उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पूछा भी है। कोई भी इन कानूनों को नहीं चाहता है। जिस विधेयक पर आज बातें हो रही हैं, उसके विषय में कुछ इने-गिने लोगों को छोड़ कर, दस-पांच सैंकड़े लोगों को छोड़

कर सारा भारतवर्ष कहेगा कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इस कानून को बनाने वाली संस्था को सरकार कहलाने का हक नहीं है। हां, वर्तमान सत्तारूढ़ लोगों के पास लाठी है, वोट है, इसलिये वह जिस प्रकार चाहें, शासन करें, जो कानून चाहें, पास करते जायें और लोगों पर लादते जायें। यह डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) का सवाल नहीं है और न ही इस को डेमोक्रेसी कह सकते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है ? उस का अर्थ होता है रूल बाई दि मैजारिटी (बहुसंख्यकों का शासन)—डिसिज़न बाई दि मैजारिटी (बहुसंख्यकों का निर्णय) और वह मैजारिटी कैसी होनी चाहिये ? वह खरीदी हुई मैजारिटी नहीं होनी चाहिये—खरीदे हुए लोगों की मैजारिटी नहीं होनी चाहिये—जो स्वतन्त्र हो, पवित्र हो, जिसको अपनी बात कहने का हक हो, ताकत हो, उसको वास्तविक अर्थों में मैजारिटी कह सकते हैं। यह नहीं कि कोई जमींदार अपनी रैयत को बुला ले या कोई लीडर अपने अनुयायियों को बुला ले और उन से वोट दिला दे। वह मैजारिटी नहीं कहलाती। वह तो डेमोक्रेसी का अपमान है। इस तरह की जो भावना हमारे देश में चल रही है, वह बिल्कुल भ्रमात्मक है। जब किसी राजा का राज्य नहीं है, तो उसको डेमोक्रेसी कहेंगे—हिन्दी में उस को डैमोक्रेसी नहीं कहेंगे, हिन्दी में कहेंगे पंचायती राज। और पंच को हमारे देहात में पंच परमेश्वर कहा जाता है, जिस का तात्पर्य यह है कि वह इतना निष्पक्ष और न्यायी होता है, जितना कि ईश्वर स्वयं। हमारी जो पंचायत बनी हुई है, उसमें कहां तक निष्पक्षता के साथ या न्याय के साथ विचार होता है या वोट दिया जाता है ? मैं समझता हूं कि वह आप भी जानते हैं और संसार भी जानता है। इस को पंचायती राज नहीं कह सकते। जहां पर बहुत सुन्दरता से विचार किया जाय और स्वतन्त्र रूपसे अपनी राय दी जाय, वहां पर पंचायती राज होता है। यह कानून जबर्दस्ती बनाया जा रहा है, जिस को देश नहीं चाहता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे सब भाई अपने-अपने विचार बड़ी स्वतन्त्रता से रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर ठीक प्रकार से वोटिंग होगी—अगर अन्त तक वोट देने की भी स्वतन्त्रता रहे, तो यह विधेयक कभी पास नहीं होगा। यह न पास होना चाहिये और न यह पास होने के योग्य है। अगर हुकम आ गया कि इसको पास करना होगा, नहीं तो लीडर नाराज हो जायेंगे, या इस्तीफा देने की धमकी दी गई, तो उस हालत में तो जो भी हो जाय, लेकिन जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, अगर उन्हीं के अनुसार वोट भी देंगे, तो इसका पास होना असम्भव है। मैं एक बात सब को कह देना चाहता हूं कि जो लोग इस का विरोध कर रहे हैं—और जिन की संख्या बहुत काफी है—अगर वे अपनी राय व्याख्यान के खिलाफ वोट देंगे, तो जब हमारी भावी सन्तान पढ़ेगी कि हमारे पूर्वजों ने विधेयक के खिलाफ बोल तो खूब लिया, लेकिन वोट देने के वक्त उसको पास कर दिया, तो उनके दिमाग में उन लोगों के लिये क्या स्थान रहेगा, क्या सम्मान रहेगा इस पर भली प्रकार विचार कर लेना चाहिये। यह एक आदमी की बात नहीं है, सारे देश की बात है।

कल श्रीमती सुभद्रा जोशी ने कहा था—और बहस के लिये वह ठीक भी है—कि न जाने क्यों जो व्यवहार और दृष्टिकोण लड़कों के प्रति होता है, वह लड़कियों के प्रति नहीं होता है। यह भी ठीक है कि लड़कों का जो हक होता है, लड़कियों का हक भी उतना ही होना चाहिये। समानता के बारे में जो बातें होती हैं, उनको समझने में मुझे जरा दिक्कत होती है और लोग भी उन के बारे में गड़बड़ाए रहते हैं। स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध में समानता का प्रश्न तो तब आता, अगर दो स्वतन्त्र व्यक्ति रहते या कोई विरोधी व्यक्ति रहते, लेकिन जैसी सृष्टि है, उसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री अर्द्धांगिनी है। संसार का काम तब तक चल नहीं सकता जब तक कि दोनों में सहयोग न हो। इस अवस्था में समानता की बात कहां से आती है ? हमारे बहुत से अंग-प्रत्यंग हैं, जिन का अपना-अपना स्थान और महत्व होता है। यह कितनी हास्यास्पद बात होगी यदि हाथ की तरफ से दावा हो कि वह पैर के बराबर है।

[बाबू रामनारायण सिंह]

वास्तविकता यह है कि पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है और अब हमारा मत बन गया है कि जो कुछ पाश्चात्य देशों में होता है, वह सब कुछ यहां भी होना चाहिये।

हमारे शास्त्रों में यह विधान है कि जिस वक्त स्त्री और पुरुष बैठ कर सदा के लिये अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं—अर्थात् जिस समय उनका विवाह होता है—जहां तक मुझे ख्याल है,से दूसरे एक प्रतिज्ञा करते हुए पुरुष की तरफ से यह संकल्प होता है कि मेरी जो कुछ कमाई हो, वह स्त्री के लिये है—मेरा सर्वस्व स्त्री के लिये है। अगर किसी कानून के अनुसार पुरुष की जितनी कमाई हो, उसमें स्त्री का आधा हिस्सा रहे, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूँ कि पुरुष का कोई हक नहीं कि वह एक पैसा भी बिना स्त्री की मर्जी के खिलाफ खर्च कर सके। वह बिल्कुल अच्छी और सही बात है। लेकिन लड़की को भाई के बराबर हक देना, या पिता के धन में हक देना सारे देश को झगड़े में डाल देना और हर तरह की अशांति पैदा करना है। कानून बनते हैं दुनिया में हो रहे अनर्थ को रोकने के लिये, लेकिन इस तरह का कानून बनने से देश में अनर्थ फैलेगा, घटेगा नहीं, यह तो बिल्कुल मानी हुई बात होनी चाहिये। मैं लड़की का भी पिता हूँ और लड़के का भी। लड़की के लिये जो कुछ भी किया जाय, उसको आदमी कम समझता है और उस के लिये हर समय बहुत कुछ करने के लिये तैयार रहता है, लेकिन लड़की का वहां पर हक हो, यह बिल्कुल अनर्थ का मूल हो रहा है। मैं पाटस्कर साहब से कह देता हूँ कि देश का तकाज़ा है, हमारे धर्म का तकाज़ा है, हक का तकाज़ा है कि वह इस बिल को वापिस लें। जो व्यवस्था और जो कानून जब से दुनिया और चाँद सूरज बने हैं, तब से चले आ रहे हैं, उन से क्या हर्ज हो रहा है कि आप एक नई बात ला कर दुनिया में हलचल पैदा कर देना चाहते हैं? बहुत से लोग पागल होते हैं, जो दुनिया करती है, उसके खिलाफ काम करके वह दुनिया में सनसनी पैदा करते हैं।

तो यह जो बिल आपने पेश किया है इस के बारे में सब की और अपने दल वालों की राय भी आपने सुन ली है। इस वक्त ईमानदारी और धर्म का यह तकाज़ा है कि आप इस बिल को सीधे-सीधे वापस ले लें। हां स्त्रियों और लड़कियों के सुख के लिये आप कोई ऐसा उपाय सोचें कि जिसमें सब लोग सहमत हों तो उसको आप सदन के सामने ला सकते हैं। पर इस तरह का अनर्थ फैलाना तो किसी तरह योग्य नहीं है और न सरकार को ऐसा करने का हक है।

†**श्रीमती मायदेव** (पूना दक्षिण) : मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे स्त्रियों को समाज में न्यायोचित अधिकार मिलगा और यदि इसके अन्तर्गत २१ वर्ष से कम आयु की स्त्रियां भी आयेंगी तो इससे १६ करोड़ स्त्रियों को लाभ पहुँचेगा जिससे हमारे परिवारों में संतोष तथा प्रसन्नता आयेगी।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि हम स्मृतिकारों तथा वेदों में कही गई बातों को बदल रहे हैं। वस्तुतः विधियों में निरंतर परिवर्तन होता रहा है वे कभी स्थिर नहीं रही हैं। वस्तुतः हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं; अपितु वैदिक युग की अवस्था को लाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् भाई और बहिनों में स्नेह नहीं रहेगा। मेरे विचार में यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्नेह केवल धन पर ही निर्भर नहीं रहता है।

कुछ सदस्यों ने यह भी आशंका प्रगट की है कि स्त्रियों को हिस्सा देने से परिवारों में कलह और विघटन पैदा हो जायेगा यह निरर्थक है। यह कहना भी गलत है कि केवल पति की सम्पत्ति पर पत्नी उत्तराधिकारिणी होगी इसके विपरीत भी पत्नी की सम्पत्ति का उत्तराधिकार उस के पुत्रों को मिलेगा

†मूल अंग्रेजी में।

केवल उसके पुत्रहीन मर जाने पर उसके पिता के घर से मिली सम्पत्ति उस के पिता पक्ष वालों को मिलेगी ।

श्री सी० सी० शाह ने खंड ६ पर आपत्ति की है और यह कहा है कि इससे मिताक्षर पद्धति पर कुठाराघात होगा । वस्तुतः जब विधि मंत्री ने इस विधेयक का मसविदा इस प्रकार तैयार किया है कि उसके अन्तर्गत पिता पुत्री के नाम सम्पत्ति का वसीयत नामा कर सकता है और पुत्रों को भी पृथक् होने का अधिकार होगा । इससे मिताक्षर पद्धति भी बनी रहेगी और पुत्री को भी सम्पत्ति में अधिकार मिल जायेगा ।

कुछ सदस्यों ने यह आशंका भी प्रगट की है कि पिता को सम्पत्ति पर वसीयत करने का अधिकार देकर, जो कुछ एक ओर से दिया जा रहा है वह दूसरी ओर से ले लिया जा रहा है । किन्तु यह भय निर्मूल है । बहिनें भाइयों से कम हिस्सा पाने पर भी संतुष्ट हो जायेंगी ।

स्त्रियों को सम्पत्ति में हिस्सा मिलने का एक सुपरिणाम यह भी होगा कि दहेज व बालविवाह इत्यादि की बुरी प्रथायें समाप्त ही जायेंगी । निसंदेह लड़कियों को पिता तथा पति की ओर से पर्याप्त मिलता है लेकिन वे इसे किसी की दया पर नहीं प्रत्युत अधिकारपूर्वक चाहती हैं ।

सम्पत्ति में अधिकार मिलने से स्त्रियाँ सुशिक्षित बन सकेंगी तथा समाज में उनका दर्जा ऊँचा हो सकेगा ।

कृषि भूमि पर पुत्रियों को हिस्सा देने पर आपत्ति उठाई गई है; किन्तु भूमि के अलावा किसानों के पास होता ही क्या है ? यदि वे मकान का बंटवारा करने को तैयार न हों, तो बेचारी लड़की को कुछ नहीं मिलेगा । मान लिया जाय कि लड़की को अपने हिस्से में कुछ भूमि मिलती है । इसे वह अपनी ससुराल तो ले जा नहीं सकती; वह अपने भाई से कहेगी कि वह उसे जोत कर उसकी पैदावार का कुछ भाग बहिन को दे दे । वह इतने से संतुष्ट हो जायेगी ।

अतः मेरे विचार से यह विधेयक नितांत उपयुक्त है और इसे अविलम्ब पारित कर देना चाहिये ।

श्री बी० पी० सिंह (मुंगेर सदर व जमुई) : मैं समझता हूँ कि यह बिल लाना ही अनधिकार है क्योंकि संविधान के अनुसार हमारा एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और इसलिये हमें केवल हिंदुओं के नाम पर कोई बिल नहीं लाना चाहिये था और सब जातियों के वास्ते एक-सा यूनिफार्म सिविल ला एक रूप व्यवहार विधि लाना चाहिये था । और उसी हालत में विधान की प्रतिष्ठा स्थापित हो सकती है । पहली शिकायत तो इस बिल के सम्बन्ध में यह है कि यह यूनिफार्म नहीं है और केवल हिन्दुओं पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है ।

दूसरी बात यह है कि यह बिल जो लाया जा रहा है इससे देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है और इस बिल को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि इस कानून के बनाने वालों को देश के निवासियों की सच्ची परिस्थिति का ज्ञान नहीं है । मैं समझता हूं कि इस बिल का एक ही मंशा हो सकता है कि स्त्रियों को समानाधिकार मिले और सम्पत्ति में अधिकार मिले । मैं माननीय कानून मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या स्त्रियों को हस्बैंड की प्रापर्टी (पति की सम्पत्ति) में पूरा अधिकार मिलने से इस बिल की मंशा पूरी नहीं होती है । मैं तो समझता हूँ कि कानून में अगर इस बात की व्यवस्था हो जाय कि लड़की जब तक अविवाहित रहे तब तक तो उसे पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त रहे और तत्पश्चात् उसको अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो तो इस कानून के बनाने वालों की मंशा पूरी हो जाती है और उस मंशा के पूरी होने में कोई कमी नहीं रह जाती है ।

[श्री बी० पी० सिंह]

साथ ही साथ जो हमारे देश के किसानों की अवस्था से परिचित होंगे वे जानते होंगे कि इस विधेयक के द्वारा किसानों में कितनी बेचैनी फैल रही है। आज यह कहा जा रहा है कि किसानों की सम्पत्ति सीमित कर दी जायगी अर्थात् एक किसान की २५ एकड़ भूमि की सीलिंग फिक्स कर दी जायगी और मान लीजिये कि अगर एक किसान के चार लड़कियां और एक लड़का है तो वे लड़कियां २० एकड़ भूमि की अधिकारी हो जाती हैं और अगर एक लड़का नावालिग है और उसकी नावालिगी में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़के की क्या अवस्था होगी ? यह कहा जाता है कि आगामी पंचवर्षीय योजना काल में हम लोगों के स्टेंडर्ड आफ लिविंग (जीवन स्तर) को ऊँचा करने जा रहे हैं जब कि हम देख रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसानों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ भी ऊँचा नहीं हो सका है और आज हालत यह है कि जहां राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति २८५ रुपया है वहां पूर्वी भाग के किसानों की आय प्रति व्यक्ति ११० रुपया है। और यदि १६ प्रतिशत आय में वृद्धि हो गई है तो भी आज उन किसानों की क्या अवस्था है। आज जब आप इस तरह के विधेयक ला रहे हैं तब इसका कैसा प्रतिकूल असर उन लोगों पर पड़ेगा और कितनी गलतफहमी इसको लेकर उन लोगों में आप फलाने जा रहे हैं। आज हमारे किसानों के पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं है और वह समझ नहीं पाते हैं कि आज हम किस अवस्था में हैं और कल किस अवस्था में रहेंगे। हमारे नेताओं को उनकी सच्ची परिस्थिति का ज्ञान नहीं है और न ही उन्होंने सच्ची-सच्ची जानकारी प्राप्त करने की कोशिश ही की है और यदि उन्होंने उसके लिये कोशिश की होती तो फिर उनको इस तरह का कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आज सब से पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक अवस्था में सुधार लाने का प्रयत्न होना चाहिये। सरकार इस बारे में जो कुछ कदम उठाती भी है वह महज़ कागज़ी कदम होते हैं और वे वास्तविकता से दूर होते हैं। आज आप एक किसान परिवार की सीलिंग (अधिकतम भूमि) २५ एकड़ पर फिक्स (निश्चित) करने जा रहे हैं और उस थोड़ी सी सम्पत्ति या ज़मीन में लड़की को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, यह चीज़ साबित करती है कि आप को वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान नहीं है कि इसका कैसा खराब नतीज़ा निकलने वाला है और इसके द्वारा गांवों के परिवारों में कैसे कलह और झगड़े के बीज आप बोने जा रहे हैं। जहां तक लड़की को उसका अधिकार दिलाने की बात का सम्बन्ध है, मुझे गांवों का अनुभव है और मैं जानता हूँ कि धनी लोग भले ही अपनी लड़कियों को सम्पत्ति में हिस्सा न दें लेकिन एक गरीब किसान जिसके कि पास सिवाय एक लोटा और थाली के कुछ नहीं होता वह भी जब लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल जाने लगती है तो वह इस बात की पर्वाह नहीं करता कि आज जो मैं यह लोटा और थाली लड़की को दे रहा हूँ तो कल को मैं किस में खाऊँगा और पानी पिऊँगा और वह लड़की को चलते वक्त दे देता है। आप कानून के जरिये लड़की के प्रति माता-पिता के दिल में वह प्रेम भाव पैदा नहीं कर सकते जो कि आज उनके दिलों में मौजूद है।

मैं समझता हूँ कि श्रीमती उमा नेहरू की इस राय से कि किसान की जो की खेती भूमि है उसमें बंटवारे का अधिकार न दिया जाय हर एक आदमी सहमत होगा और मेरा अनुरोध है कि न्याय मंत्री उनकी इस राय को मान लेंगे और इस विधेयक के द्वारा हमार देश की सामाजिक अवस्था में जो गड़बड़ी और अव्यवस्था फैलने वाली है, उसको फैलने से बचा लेंगे। आज हमारे समाज की संयुक्त परिवार प्रणाली में एक विशेषता है और उस विशेषता को नष्ट करने के लिये कितनी ही चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एस्टेट ड्यूटी बिल (सम्पदा शुल्क विधेयक) और इस तरह के दूसरे कानूनों से हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रणाली को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जो कि आज की आर्थिक अवस्था में करना उचित नहीं होगा और अगर ऐसा किया गया तो उस प्रणाली की जो विशेषता है और उससे जो हमको

लाभ था उससे हम वंचित रह जायेंगे । मैं समझता हूँ कि जो हमारा समाज है उसको आप बिगाड़ नहीं सकते ।

इसलिये मेरा निवेदन इस बिल के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से यह है वे कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और इससे देश में जो भ्रम फैलने वाला है, जो अशान्ति फैलने वाली है, उस को मिटाने की पूरी-पूरी चेष्टा करें ।

इस बिल में उस क्लाज (खंड) में जहां पर कि मकान का जिक्र आया है मकान की पूरी छूट रहनी चाहिये । इसी तरह से ऐग्रिकल्चरल (खेती की) जमीन की छूट रहनी चाहिये जैसा मेरी बहन ने बताया कि ऐग्रिकल्चर लैंड में लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिये, हां, मां को उसमें हिस्सा मिल सकता है । आज जब जमीन की सीलिंग होने जा रही है और कोई भी आदमी बहुत ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकेगा, उस समय में यदि उस की जमीन के और भी हिस्से हो गये तो वह कभी भी खेती नहीं कर सकेगा । फल यह होगा कि वह दूसरे रोजगारों में लग जायगा जिसमें कि वह ज्यादा पैसा पैदा कर सके। लेकिन अगर हमारे कानून मंत्री इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं और चाहते हैं कि लड़कियों को शादी के बाद भी सम्पत्ति में अधिकार मिलना चाहिये, तो उसके लिये सबसे उच्च चीज यह होगी, और लड़कियों को भी इसमें घाटा नहीं होगा, उनको गारण्टी हो कि वे अपने पति की प्रापर्टी में हिस्सा पायेंगी । जब तक वे अविवाहित हों तब तक उनको पिता की सम्पत्ति में अधिकार हो और शादी के बाद पति की सम्पत्ति में अधिकार हो । इससे इस कानून की मंशा पूरी हो जायेगी और किसानों के बीच में, जनसाधारण के बीच में, सरकार के प्रति जो अविश्वास पैदा हो रहा है वह भी दूर हो जायेगा ।

मैं समझता हूँ कि मैं ने जो सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करेंगे । मैं समझता हूं कि आज यहां पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो यह चाहता हो कि स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रक्खा जाय । और यदि पति की सम्पत्ति में स्त्री को अधिकार देने से मंशा पूरी हो जाती है तो हमारे मंत्री को जो कुछ उन्होंने सोच रक्खा है उस पर जोर नहीं देना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं फिर न्याय मंत्री से कहूँगा कि स्त्री को विवाह के पूर्व पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिये और विवाह के उपरान्त पति की सम्पत्ति में और इन शब्दों को कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा ।

†**श्री बी० सी० दास** (गंजम दक्षिण) : भाषणों के रुख से यह ज्ञात होता है कि कांग्रेस दल वालों का बहुमत भीं इस विधेयक के विपक्ष में है । मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक के ऊपर इतना गुलगपाड़ा खड़ा किया जा रहा है । क्या ऐसा विधेयक आज से बहुत पूर्व ही पारित नहीं हो जाना चाहिये था ? वस्तुत: विधेयक का विरोध कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है । इसमें वस्तुत: कोई जान नहीं है ।

आज वस्तुत: राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से हम इस विधेयक का स्वागत करने को तैयार हैं क्योंकि राजनीति में हमने लोक तंत्र का सिद्धांत अपना लिया है । लोकतंत्र की इकाई व्यक्ति होता है न कि परिवार । अत: अब संयुक्त परिवार की कोई उपयोगिता नहीं रही है । व्यक्ति को ही सब अधिकार प्राप्त होने चाहियें—और लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान हैं । अत: स्त्री पुरुष में विभेद नहीं हो सकता ।

संयुक्त परिवार में एक व्यक्ति जो परिवार का प्रधान होता है, का शासन होता है । अन्य व्यक्तियों को अपने अधिकार उसको समर्पित करने पड़ते हैं । लेकिन आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति ऐसा करने

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री बी० सी० दास]

को तैयार नहीं है । आर्थिक दृष्टि से भी संयुक्त परिवार की कोई उपयोगिता नहीं है । संयुक्त परिवार पद्धति पर पहिली चोट तब लगी जबकि एक समांशी को पृथक् होने का अधिकार दिया गया । आय-कर से संयुक्त परिवार पद्धति को बड़ा धक्का लगा है । सम्पदा शुल्क तो इसी अनुमान पर आधारित है कि व्यक्ति संयुक्त परिवार से पृथक् हो सकता है और इसी आधार पर सम्पदा शुल्क लगता है । इसके अतिरिक्त काश्तकारी अधिनियम तथा जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित करने से भी मिताक्षर संयुक्त परिवार पद्धति के समाप्त होने में सहायता मिली है । अतः यह पद्धति मरणासन्न अवस्था में है । किन्तु कुछ लोग धर्म के नाम पर सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध करना चाहते हैं; यह अनुचित है । स्वयं कांग्रेस दल के नेता इसके पक्ष में हैं और सदैव सभी स्थानों में इसका समर्थन करते हैं किन्तु उन्हीं के पक्ष के कुछ लोग इस विधेयक के विरोधी हैं ।

बल्कि मेरी शिकायत यह है कि यह विधेयक बहुत उदार है; इसमें रूढ़िवादिता व पुरातन पंथी की बातों का भी समावेश कर दिया गया है । मेरे विचार में विधेयक में समिति की सब सिफारिशों को मान्यता दी जानी चाहिये थी और मिताक्षर संयुक्त परिवार पद्धति समाप्त कर दी जानी जाहिये थी । उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि मिताक्षर पद्धति का अन्त कर दिया जाय और दाय-भाग पद्धति अपनाई जाये । वस्तुतः प्राचीनकाल में हमारी सामाजिक नीति पवित्तनशील रही है । इसका ही यह परिणाम हुआ है कि देश के विभिन्न भागों में विधि की भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या की गई है और कहीं दायभाग पद्धति है तो कहीं मिताक्षर पद्धति । जिन लोगों में अब दायभाग पद्धति प्रचलित है वे उन हिन्दुओं से कम हिन्दू नहीं हैं जो मिताक्षर पद्धति का अनुसंरण करते हैं । इस लिये हम यह नहीं कह सकते कि दायभाग व्यवस्था धर्म विरोधी है और मिताक्षरा व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो धर्म से ऊँची है, इसे बदला जा सकता है क्योंकि इस के बने रहने की परिस्थितियां बदल गई हैं ।

विधेयक के खण्ड ६ में लड़की को बराबरी का हिस्सा दिया गया है परन्तु लड़की को बराबरी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है । पिता की मृत्यु के पश्चात् ही वह सम्पत्ति में हिस्सा पा सकती है परन्तु लड़का पैदा होते ही सम्पत्ति का भागीदार बन जाता है । उसे पृथक् होने का अधिकार भी प्राप्त है । मान लीजिये कि सभी लड़के अलग हो जाते हैं तो लड़की के हिस्से का क्या होगा ? ऐसी आकस्मिकता के लिये कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये थी । मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री ने इस समबन्ध में अपना संशोधन क्यों नहीं प्रस्तुत किया ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्हें लड़की को बराबरी का दर्जा देना चाहिये था या फिर मिताक्षरा विधि के आधीन संयुक्त परिवार पद्धति को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिये था ।

खण्ड ५ के उपखण्ड १ का मैं कड़ा विरोध करता हूँ जिसमें १९५४ के विशेष विवाह अधिनियम के अधीन हुए विवाहों को इस उपबन्ध से अपवर्जित किया गया है । इस से इस अधिनियम के अधीन होने वाली सभी शादियों पर प्रभाव पड़ेगा । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस विधि के अधीन इन शादियों को लाने के लिये एक संशोधन स्वीकार करें । यह कहा जाता है कि यदि लड़की को बराबरी का दर्जा दे दिया गया तो संयुक्त परिवार पद्धति टूट जायेगी । परन्तु यह सन्देह निराधार है । हम राज्यों में भूमि विधान अधिनियमित कर सकते हैं और भूमि के बंटन को रोक सकते हैं । लड़के और लड़की दोनों पर यह विधान अधिनियमित हो सकता है । परन्तु यदि आप कहें कि यह केवल लड़की पर ही लागू होगा लड़के के मामले में लागू नहीं होगा तो यह उचित नहीं है ।

यह कहना कि पत्नी पति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होगी इस लिये पत्नी को अपने पिता की सम्पत्ति नहीं मिलनी चाहिये उचित नहीं है। यदि पत्नी अपने पति के घर में कुछ सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बन कर आती है तो वह पति से कुछ सम्मान पाने की अधिकारिणी हो सकती है। यदि कोई आर्थिक रूप से स्वतन्त्र नहीं है तो वह स्वतन्त्रता का दावा नहीं कर सकता है। इसलिये लड़की को अवश्य ही पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होना चाहिये।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** (गुड़गांव) : वह पिता की बजाय अपने ससुर की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी क्यों न बने।

†**श्री बी० सी० दास** : ससुर की मृत्यु के पश्चात् ही वह ससुर की उत्तराधिकारिणी होंगी। मेरी आपत्ति केवल इतनी है कि इस उपबन्ध के अधीन लड़की केवल पिता की मृत्यु के पश्चात् ही उत्तराधिकारिणी हो सकती है जब कि लड़का जन्म के साथ ही उत्तराधिकारी हो जाता है। लड़के तथा लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिये। संयुक्त परिवार पद्धति हमारे समाज के अग्रेतर विकास में बाधक है। हमें एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहिये जो वास्तव में लोकतन्त्रात्मक हो। जिससे समाजवादी ढंग क समाज की रचना में सहायता मिल सके। इसलिये हम स्त्रियों को बराबरी के साझीदार बनाना चाहते हैं।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** (डिंडीगल) : मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि स्वतन्त्र भारत में यह विधान पारित हो रहा है। लगभग २० वर्षों से इस पर विचार प्रकट किए जाते रहे हैं। बहुत से लोग इसके विरोधी भी हैं; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जल्दी में कोई काम किया गया है या जल्दबाज़ी में यह विधान अधिनियमित किया जा रहा है। यदि आज भी कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार है कि यदि स्त्रियों को सम्पत्ति आदि में बराबरी का अधिकार दे दिया गया तो सब कुछ चौपट हो जायगा और वे अपनी ज़िम्मेदारियों को भली प्रकार पूरा न कर सकेंगी। तो वे लोग लोक-सभा में स्त्रियों को क्यों आने देते हैं। हमें जो उत्तरदायित्व सौंपा जाता है यदि हम उसे पूरा नहीं कर सकते तो हम सदन में आती क्यों हैं? जिस समय धन का प्रश्न उत्पन्न होता है केवल उसी समय इन सभी कठिनाइयों की बात कही जाती है।

मुझे यह समझ में नहीं आता कि मां, बाप, लड़के और लड़की में मतभेद क्यों करें? लड़कियों को सम्पत्ति में से बराबर का हिस्सा क्यों न दिया जाए।

कुछ सदस्यों ने राम तथा सीता की चर्चा की है। इतिहास के इस प्राचीन काल में जाने की क्या आवश्यकता है? महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता मानते हैं, उनकी चर्चा क्यों न की जाए। उन्होंने सदा यही कहा था कि यदि भारत को स्वतन्त्र होना है तो इस देश की स्त्रियों तथा पुरुषों को मिलकर कार्य करना होगा। यदि पुरुष को ही सारी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होना है और स्त्रियों को उस में से कुछ नहीं मिलना है तो वे मिल कर क्यों काम करें? महात्मा गांधी के कहने पर हज़ारों स्त्रियों ने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था। वे सैंकड़ों की संख्या में जेलों में गई थीं। जो सदस्य इस विधेयक का विरोध करते हैं वे स्त्रियों को घरों में बैठने के लिये क्यों नहीं कहते और इसमें हिस्सा लेने से उन्हें क्यों नहीं रोकते हैं? उन्होंने उस समय यह क्यों नहीं कहा था कि स्त्रियां असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के लिये उपयुक्त नहीं हैं और केवल पुरुषों को ही आन्दोलन में भाग लेना चाहिये। यदि वे स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों को कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंपना चाहते तो उन्हें आगे क्यों बढ़ने दिया था?

जब हम समाजवादी ढंग के समाज की चर्चा करते हैं तो हमें स्त्रियों तथा पुरुषों में बराबरी की बात भी सोचनी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कठिनाई क्या है? समस्त संसार आगे

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन]

बढ़ रहा है। संसार के अन्य देशों की भांति हम भारत में भी क्यों न प्रगति करें ? मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाती हूं कि बराबरी के इन अधिकारों से देश में कोई संकट उत्पन्न नहीं हो जायेगा।

वास्तव में मैं यह अनुभव करती हूं कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा सम्पत्ति की ज्यादा अच्छी तरह देख-भाल कर सकती हैं। वे पुरुषों की भांति धन को नहीं लुटायेंगी। स्त्रियां यह समझती हैं कि उनके बच्चों के लिये धन का अधिक महत्व है। उन्हें बच्चों से जितना प्रेम होता है उतना पुरुषों को नहीं होता। वे अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। हमें इस प्रश्न पर राम तथा सीता के युगकालीन व्यक्तियों से तुलना नहीं करनी चाहिये और यथार्थवादी ढंग से सोचना चाहिये। हमें यह सोचना चाहिए कि हम पुरुष तथा स्त्री, दोनों ही इस देश के हैं और हमारे एक से अधिकार हैं और यह एक ऐसी बात है जो हमें स्वतन्त्र भारत में प्राप्त है।

यह एक गलत विचार है कि हमारे प्रकृष्ट अधिकार हैं। हमारे प्रकृष्ट नहीं अपितु समान अधिकार हैं। और फिर यदि स्त्रियां बच्चों की अच्छी देख भाल कर सकती हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, बच्चों के भविष्य की चिन्ता कर सकती हैं तो उनके प्रकृष्ट अधिकार होने में हानि भी क्या है ? वे मातायें हैं, वे पत्नियां हैं, वे बहिनें हैं, वे पुत्रियां हैं। आप उन्हें लड़के, भाइयों तथा भतीजों के समान अधिकार देने में क्यों हिचकिचाते हैं ? मुझे विश्वास है कि यदि हम इस विधेयक के प्रति यह दृष्टिकोण अपनायेंगे तो विधेयक का बिल्कुल विरोध नहीं होगा। यदि कुछ ऐसी विधि सम्बन्धी बातें हैं जिन्हें ठीक किया जाता है तो मुझे आशा है कि विधि मंत्री उन सभी विधि सम्बन्धी कठिनाइयों को समझ कर उन्हें दूर कर देंगे।

श्री अजीत सिंह (कपूरथला भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अगर यह बिल आज से बीस साल बाद आता तो मैं इसको सपोर्ट (समर्थन) करता।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : आप यही तसव्वुर (कल्पना) कीजिये।

श्री अजीत सिंह : आज इस बिल की शक्ल जो है वह बहुत डिफेक्टिव (अपूर्ण) है। इस बिल का हमारे तीन-चार पहलुओं पर असर पड़ता है यानी पोलीटिकल (राजनीतिक), सोशल (सामाजिक), इकानमिक (आर्थिक) और रिलीजस (धार्मिक) पहलुओं पर इसका असर पड़ता है। इस बिल पर सन् ३७ से सोच-विचार होता आ रहा है। मगर हमको सोचना चाहिये था कि इसको ठीक फार्म (रूप) में किस वक्त लाना चाहिये था। सन् ४७ में हम आजाद हुए। उसके बाद इन चीजो को सोचने का मौका मिला। हमने सब से पहले अपनी इकानमिक (आर्थिक) हालत को सुधारने का सारा जोर लगाया। हमने पहली फाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) बनायी। अब दूसरी बनायी है। देश का डेवेलपमेंट (विकास) करने के लिये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ (उद्योग) खोलीं, जमीन का कंसालीडेशन (ऐकीकरण) करने का भी प्रबन्ध किया। कई जगह आज लैंड (भूमि) का कंसालीडेशन हो भी रहा है। अब हम लोग सीलिंग (अधिकतम सीमा) की बात करते हैं। कई जगह सीलिंग किया जा रहा है। इसका असर क्या होगा। आपके कानून का असर जमीन पर यह होगा कि एक लड़की शादी के बाद अपने बाप से जमीन का हिस्सा लेने आवेगी और इस तरह से जमीन के टुकड़े हो जायेंगे और जो आप कंसालीडेशन पर आज इतना खर्चा कर रहे हैं वह बेकार जायेगा। अब अगर बाप अमीर हुआ तो वह लड़की को पैसे दे देगा और अपनी जमीन बचा लेगा। लेकिन अगर बेचारा बाप गरीब हुआ तो वह कहां से पैसा देगा।

कोई ज़मींदार यह नहीं चाहता है कि उसके शरीक उसकी जमीन को ले लें या उसकी जायदाद को वह ले लें और इस बिल का असर यह पड़ेगा कि आपस में झगड़ेबाजी और फूट बढ़ जायगी और इस बिना पर मैं इस बिल को सपोर्ट (समर्थन) करने से कासिर (असमर्थ) हूं।

मैं पंजाब से आया हूँ और पंजाब के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मैं जानता हूँ कि पंजाब के लोग इस बिल के सख्त मुखालिफ़ हैं और वे इस विल को अपने यहां लागू होने देना नहीं चाहते हैं लेकिन अगर क्लाज (खण्ड) ५ में एक इस तरह का प्राविज़न (उपबन्ध) जोड़ दिया जाय कि यह बिल पंजाब राज्य में किसी सम्पदा या व्यक्ति पर लागू नहीं होगा तो मैं इस बिल को स्वीकार कर सकता हूँ ।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम इस बिल को क्यों नहीं अच्छा समझते हैं और उसकी खास वजह यह है कि इस की वजह से हमारे गांवों में झगड़ेबाज़ी और मुकदमेबाज़ी बढ़ जायगी और लोग लिटिगेशन माइंडेड (वादप्रिय) हो जायेंगे । अब श्री एस० एस० मोरे इस बिल को बहुत अच्छा बिल बतलाते हैं और वह ऐसा क्यों न बतलायें क्योंकि वह तो ऐडवोकेट हैं और इसके अन्दर उनको अपनी वकालत चलाने का काफी मौका मिल सकेगा । हमारे गरीब और अनपढ़ किसान लोग लिटिगेशन (मुकदमेबाज़ी) के झगड़ों में फंस जायेंगे । हम तो चाहते हैं कि यह बिल पास न किया जाय जिससे कि हमारे वकील लोगों को जो भोली भाली लड़कियों को चाट जायेंगे इसका मौका न दिया जाय.....

†**पंडित के० सी० शर्मा** : "यह लड़कियों को चाट जायेंगे " ये शब्द असंसदीय हैं ।

†**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : वे केवल शब्दों को दुहरा रहे हैं ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है । "लड़कियों को चाट जायेग" यह अभिव्यक्ति असंसदीय है ।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : इसका अर्थ क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनकी हंसी में मैं कुछ भी नहीं समझ पाया हूँ ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तब एक विशिष्ठ खण्ड, अर्थात् वकील जिनमें संसद्-सदस्य भी सम्मिलित हैं—उन्होंने श्री मोरे की चर्चा की है—भोली-भाली जवान लड़कियों को चाट जायेंगे ।

†**श्री अजीत सिंह** : जी, नहीं, मैं ने यह नहीं कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई किसी को नहीं खा सकता है । हम आदमखोर नहीं हैं । यह एक प्रकार की अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है कि किसी लड़की द्वारा अर्जित सारी सम्पदा मुकदमेबाज़ी में चली जायेगी । यदि यही अर्थ है तो और अधिक सुन्दर अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाना चाहिये ।

†**श्री अजीत सिंह** : जनाबआला (श्रीमान्), मैं ने वही लफ्ज़ (शब्द) दोहराये हैं । इस बिल के लिये यह कहा जा रहा है कि हम औरतों और मर्दों में इक्वैलिटी (समानता) लाने के लिये इसको ला रहे हैं । मैं पूछता हूँ कि आखिर इक्वैलिटी से उनका मतलब क्या है ? जैसा कि हमारे बुज़ुर्ग नेता श्री टंडन ने फरमाया था कि स्त्री पुरुष को तो भगवान ने ही ईक्वल नहीं बनाया है तो आप कैसे ज़बर्दस्ती उनको एक समान कर सकते हैं । जहां आप लड़की को उस के पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिलाने की बात करते हैं वहां इस तरह का भी कानून में कोई प्राविज़न (उपबन्ध) रखिये कि अभी तक जो बाप के मरने के बाद उसका बेटा ही कर्ज़ा वगैरह अदा करने का जिम्मेदार होता है, तो अब आगे से लड़की भी उस कर्ज़ के अदा करने में हिस्सेदार बने और ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि आप उनको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

[श्री अजीत सिंह]

इस बिल का प्रभाव हमारे डेवलपमेंट (विकास) पर बहुत ख़राब पड़ेगा और डेवलपमेंट का कार्य रुक जायगा। कोई बाप ऐसा नहीं करेगा कि अपने लड़कों और बच्चों को बिल्कुल भूखा मारने के लिए छोड़ देगा। आपने स्टेट ड्यूटी बिल (सम्पत्ति शुल्क विधेयक) बनाया और दूसरे बिल बनाये और इस बिल को जिसको कि आप बनाने जा रहे हैं, इस से झगड़ेबाज़ी बढ़ेगी और लोग अपनी इमारतें बनाना बन्द कर देंगे और इसका असर यह पड़ने वाला है कि लोगों का बड़े-बड़े कारखान और प्रापर्टीज़ (सम्पदा) बनाने के लिये दिल नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री अजीत सिंह : क्योंकि उनको यह अंदेशा (भय) लगा रहेगा कि लड़कियां ले जायेंगी। अगर इस कानून को आज से बीस वर्ष बाद लगाते तो हमारे देश का जो सोशल स्ट्रक्चर (सामाजिक ढांचा) है वह चेंज (परिवर्तित) हो चुका होगा और हम लोग यह समझने लग जायेंगे कि यह जो सारी ज़मीन है स्टेट (राष्ट्र) की है और मैं समझता हूँ कि वह वक्त आने वाला है जब सारी ज़मीन लोगों की नहीं रहेगी और वह गवर्नमेंट की बन जायेगी और जितने भी बैंक, कारख़ाने और इंडस्ट्रीज़ (उद्योग) हैं वे सब गवर्नमेंट की हो जायेंगी और उस वक्त हमें कोई तकलीफ नहीं होगी कि कौन उसको ले जाता है लड़की ले जाती है या लड़का ले जाता है और जो उस पर काम करेगा वह उसको ले जायगा।

हम इस बिल को पास तो इसलिए करने जा रहे हैं कि वह डाउरी सिस्टम (दहेज़ पद्धति) बंद हो जाय लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस कानून के द्वारा इनडाइरेक्ट (अप्रत्यक्ष) डाउरी सिस्टम जारी रहेगा। अभी तो हालत यह है कि लड़की का बाप कहीं से चार-पांच हज़ार रुपया जुटा कर लड़की के हाथ पीले कर देता है और जैसे भी होता है लड़के वालो कों दहेज़ जुटा कर शादी कर देता है, अब इस कानून के बाद यह होने वाला है कि हर एक नौजवान लड़का शादी करने से पहले यह देखेगा कि किस लड़की के बाप के पास ज्यादा प्रापर्टी है और कौन ज्यादा दे सकता है और वह उसी लड़की से शादी करने पर रज़ामन्द होगा जहां से कि उसको प्रापर्टी में हिस्सा मिलने की उम्मीद होगी और इसका नतीजा यह होगा कि गरीब आदमी के लिये दामाद मिलना मुश्किल हो जायगा। गरीब आदमी कैसे अपनी लड़की की शादी कर सकेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो बिल है वह हमारे लिये नुकसानदेह साबित होगा।

इस बिल को जो आज लाया जा रहा है उसके बारे में तो मुझे लार्ड टैनिसन की यह बात याद आ जाती है जो उन्होंने कही थी : "पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था के लिये स्थान बनाती है और ईश्वर कई प्रकार से अपना कार्य सम्पन्न करता है ताकि एक अच्छी रीति संसार को भ्रष्ट न कर सके।"

मैं समझता हूँ कि इस बिल को लाने के लिए आज के हालात उपयुक्त नहीं हैं और मंत्री महोदय को चाहिये कि लोगों में इसके विरुद्ध जो तीव्र भावना है उसको देखते हुए इस बिल को वापिस ले लें।

आख़िर में मुझे एक बात यह कहनी है कि जैसा कि टंडन जी ने भी फरमाया था कि अगर हम औरतों को हक़ देना ही चाहते हैं तो हमें मदर (माता) और वाइफ (पत्नी) इन दोनों को हक़ देना चाहिए न कि लड़की को हक़ देकर भाई बहनों और लड़की और मां बाप में झगड़ा कराया जाय।

मैं अन्त में और अधिक न कह कर मंत्री महोदय से इस बिल को वापिस लेने के लिये अनुरोध करता हूँ।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ बहुत ही आवेशपूर्ण भाषणों के बादजूद साधारणतया गम्भीर वातावरण रहा है जिससे स्पष्टतया यह संकेत मिलता है कि लोक-सभा के अधिकतर सदस्य इस बात के पक्ष में हैं कि .....

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हम यह नहीं मानते ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सदस्यों की गणना की जाए । मैं संख्या जानना चाहता हूँ ।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** (गोलाघाट–जोरहाट) : माननीय मंत्री बिल्कुल ठीक कहते हैं ।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे खेद है कि सदस्यों में इतना सब्र नहीं है कि वे मुझे वाक्य भी पूरा करने दें । मुझे विश्वास है कि जब मैं वाक्य पूरा कर लूंगा तो वे मुझ से सहमत होंगे । मैं यह कह रहा था कि सदस्यों का बहुमत इस बात के पक्ष में है कि स्त्रियों के साथ न्याय किया जाए । सर्वप्रथम मैं उन्हें इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि वे चाहते हैं कि कुछ भी अन्य मतभेद हों न्याय किया जाना चाहिये । उनका ख्याल था कि जल्दी में कुछ पारित किया जायगा ····

†**श्री देवेश्वर सर्मा** : कृपया आप किसी दबाव के आगे न झुकिए ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं किसी ओर भी दबाव के आगे न झुकूंगा ।

†**श्री आर० वी० गर्ग** (पटियाला) : दबाव नहीं, शोर के आगे ।

†**श्री पाटस्कर** : क्या मैं कल अपना भाषण जारी रखूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां, अब साढ़े पांच बज गए हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार २ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १ मई, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के १ अप्रैल, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २९२७

श्री आल्तेकर ने विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

विधेयक विचाराधीन २९२८–७७

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर विचार करने का जो प्रस्ताव श्री पाटस्कर ने १२ दिसम्बर, १९५५ को प्रस्तुत किया था, उस पर और आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, २ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर और आगे चर्चा ।

M127LSD—190—17-12-57—GIPF